शुक्रवार,
१२ दिसंबर, १९५२

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

दूसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

—:o:—

भाग १—प्रश्न और उत्तर

लोक सभा

शुक्रवार, १२ दिसम्बर, १९५२

सदन की बैठक पौने ग्यारह बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे ।]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

कपास के निर्यात के लिए लाइसैन्स

*११२९. **डा० राम सुभाग सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारतीय कपास का निर्यात करने के लिये नये लोगों को लाइसैन्स देने में किन सिद्धान्तों का अनुसरण किया जाता है ?

वाणिजय तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : निर्यात के संयुक्त मुख्य नियंत्रक, बम्बई द्वारा ११ अप्रैल, १५ मई और २९ अक्तूबर, १९५२ को जारी की गई सार्वजनिक सूचनाओं में इस बात का स्पष्टीकरण कर दिया गया है जिनकी प्रतियां सदन पटल पर रख दी गई हैं । [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या १ ।**]

शहरी निष्क्राम्य सम्पत्ति का नियतन

*११३०. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के शहरी क्षेत्र में स्थित निष्क्राम्य सम्पत्ति के नियतन के लिये विस्थापित व्यक्तियों द्वारा भेजे गये कितने प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) अब तक इनमें से कितने प्रार्थियों को निष्क्राम्य सम्पत्ति का नियतन किया जा चुका है; तथा

(ग) क्या इस सम्बन्ध में अब भी नये प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जा रहे हैं ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) से (ग). १५ अक्तूबर, १९५२ तक ५६,०३७ प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए थे । ३,९१६ मामलों में प्रारम्भिक नियतन कर दिये गये हैं तथा २३ नवम्बर, १९४९ तक विस्थापित व्यक्तियों द्वारा अनधिकृत कब्जे के २४,९५७ मामलों के सम्बन्ध में निष्क्राम्य सम्पत्ति अभिरक्षक ने अपनी मंजूरी दे दी है । नये प्रार्थनापत्र स्वीकार नहीं किये जा रहे हैं और जो कुछ भी मकान आदि खाली होते हैं उन्हें उचित जांच करने के पश्चात् कुछ विपत्ति-ग्रस्त व्यक्तियों को दे दिया जाता है ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या दिल्ली के शहरी क्षेत्र में स्थित समस्त निष्क्राम्य सम्पत्ति को निबटाया जा चुका है ?

श्री ए० पी० जैन : ११८० सम्पत्तियों को छोड़ कर जिसमें से १०९४ प्लाट हैं जो कि अधिकतर शाहदरे में स्थित हैं, शेष को निबटाया जा चुका है ।

डा० राम सुभग सिंह : शेष अन्य सम्पत्तियां क्या हैं ?

श्री ए० पी० जैन : हो सकता है वे मकान या दुकानें हों।

डा० राम सुभग सिंह : सरकार अन्य सम्पत्तियों को किस प्रकार से निबटाने का विचार रखती है तथा कितने समय में ?

श्री ए० पी० जैन : कुल ३२,००० सम्पत्तियों में से अन्य सम्पत्तियां केवल ८६ हैं। यह कोई अधिक तो हैं ही नहीं और अभिरक्षक उन्हें निबटा रहे हैं।

बिहार में विस्थापित व्यक्तियों को बसाना

*११३१. **डा० राम सुभग सिंह :** (क) क्या पुनर्वास मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पूर्वी बंगाल से आने वाले ऐसे कितने विस्थापित परिवारों को बिहार में बसाने का विचार है जो खेती बाड़ी करते थे ?

(ख) पुनः बसाने के लिये प्रत्येक परिवार को कितने एकड़ भूमि देने का विचार है ?

(ग) बैल, खेती के औज़ार आदि खरीदने के लिए प्रत्येक परिवार को कितना रुपया दिया जायेगा ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) ठीक ठीक कुछ भी नहीं कहा जा तकता है। यह सब इस बात पर निर्भर करेगा कि बिहार में विस्थापित व्यक्तियों को पुनः बसाने के लिये कितनी भूमि उपलब्ध है।

(ख) उद्देश्य यह है कि प्रत्येक परिवार को आर्थिक यूनिट दी जाये। यूनिट का आकार स्वभावतः भूमि के उपजाऊपन, सिंचाई की सुविधाओं आदि, पर निर्भर करेगा।

(ग) स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए घर बनाने, बैल, औज़ार, बीज तथा खाद खरीदने के लिये प्रत्येक परिवार को १००० रुपये से १,१०० रुपये तक का ऋण दिया जाता है। इसमें भूमि का मूल्य शामिल नहीं है जो स्थान स्थान पर बदलता रहता है। इसके अलावा निर्वाह ऋण के रूप में ६ महीने तक प्रति महीने प्रत्येक वयस्क को १२ रुपये तथा बच्चे को ८ रुपये दिये जाते हैं किन्तु किसी भी परिवार को प्रति महीने ५० रुपये से अधिक नहीं दिये जा सकते हैं।

डा० राम सुभग सिंह : क्या बिहार के किसी ऐसे क्षेत्र में इन विस्थापित व्यक्तियों को बसाने का विचार है ?

श्री ए० पी० जैन : भूमि तलाश की जा रही है किन्तु इस समय मेरा विचार २०० खेती-बाड़ी करने वाले परिवारों को पुर्निया जिले में बसाने का है।

डा० राम सुभग सिंह : क्या सरकार उस भूमि को कृषि योग्य बना देगी तथा सिंचाई की सुविधाओं की व्यवस्था कर देगी जहां इन परिवारों को बसाया जायेगा ?

श्री ए० पी० जैन : निस्सन्देह, भूमि को कृषि योग्य बनाया जायेगा तथा सिंचाई की सुविधाएं दी जायेंगी।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : बिहार में अब तक कितने व्यक्तियों को बसाया जा कचुा है तथा जिलेवार उनकी संख्या क्या है ?

श्री ए० पी० जैन : मैं जिलेवार तो संख्या नहीं बतला सकता हूं किन्तु सब मिला कर कोई ५०,००० व्यक्ति बिहार में आये थे जिनमें से २६,००० व्यक्तियों को सरकार ने भेजा था तथा शेष अपने आप आ गये थे। सरकार द्वारा भेजे गये व्यक्तियों में से लगभग ८ या ९ हजार बिहार छोड़ कर चले गये तथा शेष को बसाया जा चुका है।

श्री के० के० बसु : क्या सरकार ने मनभूम जिले में इस बात का पता लगाया है

वहां शरणार्थियों को बसाने के लिये फालतू भूमि उपलब्ध है अथवा नहीं ?

श्री ए० पी० जैन : समस्त पुनर्वास योजनाओं को राज्य सरकार कार्यान्वित कर रही है तथा हमने राज्य सरकार से विशेषतः यह कहा है कि जहां तक सम्भव हो सके वह बंगाल से लगे हुए ज़िलों में भूमि तलाश करने की कोशिश करे ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : अब तक इनमें से कुछ परिवारों को कितनी भूमि दी जा चुकी है तथा उपजाऊ और गैर उपजाऊ क्षेत्रों में सरकार किस सीमा तक भूमि को आर्थिक यूनिट समझती है ?

श्री ए० पी० जैन : पुर्निया में सब मिला कर ७१६ खेती-बाड़ी करने वाले परिवार बसाये जा चुके हैं तथा विस्थापित परिवारों को ४ से १२ एकड़ तक भूमि दी जा चुकी है ।

श्री के० के० बसु : क्या इनको जत्थों में बसाया गया है और यदि हां, तो एक जत्थे में कम से कम कितने व्यक्ति होते हैं ?

श्री ए० पी० जैन : इन ७१६ परिवारों को ७ बड़े और ६ छोटे गांवों में बसाया गया है । मै ठीक ठीक नहीं बतला सकता कि इन गांवों की न्यूनतम तथा अधिकतम आबादी क्या है ।

श्री बी० के० दास : क्या हाल ही में पूर्वी बंगाल से आने वाले परिवारों में से किसी को बिहार भेजा गया है ?

श्री ए० पी० जैन : जी हां, लगभग ४०० व्यक्तियों को भेजा गया है ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : क्या जिन भूमियों का अब विस्थापित व्यक्तियों को नियतन किया गया है पहले उन पर वहां की अनुसूचित जातियां रहती थीं ?

श्री ए० पी० जैन : बिल्कुल नहीं, यह भूमि खाली पड़ी हुई थी और अब उन्हें कृषि योग्य बनाया जा रहा है ।

संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में भारतीय व्यापारी

*११३२. **श्री पी० टी० चाको** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिका में बसे हुए या वहां जाने वाले भारतीय व्यापारियों को उस देश के प्रवासन कानूनों के अन्तर्गत किसी अयोग्यता का अनुभव करना पड़ता है, और यदि हां, तो वे अयोग्यताएं क्या हैं ; तथा

(ख) अमेरिका में बसे हुए या वहां जाने वाले भारतीय व्यापारियों की स्थिति भारत में बसे हुए या यहां आने वाले अमेरिकन व्यापारियों की तुलना में कैसी है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख). सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

श्री पी० टी० चाको : मैं विवरण नहीं पढ़ सका हूं । मैंने समझा था कि जब किसी प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में कोई विवरण सदन पटल पर रखा जाता है तो प्रश्न पूछने वाले को उस विवरण के पढ़ लेने का अवसर दिया जाता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रथा नहीं है । माननीय सदस्य, जिसने प्रश्न की सूचना दी होती है, यहां आने से पहले सूचना कार्यालय में जाकर इस बात का पता लगाता है कि पटल पर कोई विवरण रखा गया है अथवा नहीं ।

श्री टी० एन० सिंह : क्योंकि विवरण लम्बा नहीं है इसलिये मेरा निवेदन है कि उसे पढ़ दिया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों की सुविधा के लिये प्रति दिन सूचना बोर्ड पर एक विवरण लगा दिया जाता है जिस में उन विवरणों का उल्लेख होता है जो विशेष प्रश्नों के उत्तर में सदन पटल पर रखे जाते हैं । वे सूचना बोर्ड में पढ़ कर यह पता लगा

सकते हैं कि कौन से प्रश्न के लिये कौन सा विवरण रखा गया है तथा इस प्रकार यहां तैयार होकर आ सकते हैं ।

श्री बंसल : यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इसलिये मेरा निवेदन है कि यह विवरण यहां पढ़ दिया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : बार बार सुझाव देने की आवश्यकता नहीं है । यह विवरण कितना लम्बा है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : कोई तीन चौथाई पृष्ठ ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह बहुत अधिक नहीं है ; इसे यहां पढ़ा जा सकता है ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : (क) अमेरिका में बसे हुए या वहां जाने वाले भारतीय व्यापारियों को जिन असुविधाओं का सामना करना पड़ता है वे उस देश के प्रवासन कानूनों के अन्तर्गत उनकी डांवा-डोल स्थिति से उत्पन्न होती हैं । मुख्य अयोग्यताएं यह हैं :

(१) भारतीय व्यापारियों को अमेरिका में उतने समय तक नहीं ठहरने दिया जाता जितने समय तक वह ठहरना चाहते हैं या व्यापार के सम्बन्ध में उन्हें ठहरना चाहिये । भारत में प्रवेशपत्र १२ महीने के लिये जारी किया जा सकता है किन्तु अमेरिका के प्रवेश बन्दरगाह में पहुंचने पर उनके प्रवेशपत्र ३ से ६ महीने तक के लिये पृष्ठांकित कर दिये जाते हैं तथा उनसे पृष्ठांकित अवधि की समाप्ति के एक महीने पूर्व समय बढ़ाने के लिये प्रार्थना पत्र देने को कहा जाता है । समय बढ़ा ही दिया जायेगा इसके बारे में निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है ।

(२) कुछ मामलों में, भारत में प्रमाणित प्रवेशपत्र प्राप्त कर लेने पर भी, कभी कभी भारतीय नागरिकों को प्रवेश बन्दरगाह में बन्दरगाह के अधिकारी की मर्जी के अनुसार ५०० से १००० डालर तक का प्रतिज्ञा लेख्य भरना पड़ता है । कहा जाता है कि इससे व्यापारियों को कुछ कठिनाई होती है क्योंकि भारतीय नागरिकों के पास डालर सीमित संख्या में होते हैं ।

(ख) भारत में बसे हुए या यहां आने वाले अमेरिकन व्यापारियों को हमारे प्रवासन कानूनों के अन्तर्गत उपरोक्त उल्लिखित अयोग्यताओं में से किसी का सामना नहीं करना पड़ता है ।

श्री पी० टी० चाको : क्या अमेरिका जाने वाले भारतीय व्यापारियों को इस बात की छूट है कि वह बाजारों में जाकर जिस प्रकार का सामान चाहें खरीद सकते हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरे विचार में सामान खरीदने पर कोई पाबन्दी नहीं है ।

श्री पी० टी० चाको : जो भारतीय व्यापारी अमेरिका जाते हैं क्या अमेरिकन प्राधिकारी उन्हें उतने डालर दे देते हैं जितने कि उन्हें आवश्यकता होती है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं इसका उत्तर निश्चित रुप से नहीं दे सकता हूं अर्थात् उन्हें उतने डालर मिल जाते हैं, जितने कि वे चाहते हैं । इसका तो अधिकतर सम्बन्ध इस बात से है कि हम उन्हें कितने डालर देते हैं ।

श्री बंसल : अमेरिका जाने वाले भारतीयों या भारत आने वाले अमेरिकनों को जो यह अधिकार या सुविधाएं दी जाती हैं क्या वे किसी सन्धि, द्वौतिक लेख या समझौते के अनुसार दी जाती हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस समय तो कोई समझौता नहीं है । सम्भव है आगे चल कर कोई समझौता हो जाये ।

श्री बंसल : क्या सरकार को यह मालूम है कि इस सम्बन्ध में भारतीयों को बहुत से अन्य देशों में इसी प्रकार की असुविधाओं

का सामना करना पड़ता है जबकि उन्हीं अन्य देशों के नागरिकों को इस देश में सभी सुविधायें प्राप्त रहती हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरे विचार में माननीय सदस्य ने जिस प्रकार का प्रश्न पूछा है वह करीब करीब सभी देशों पर लागू हो जाता है और सरकार को यह सब मालूम नहीं हो सकता है । यदि माननीय सदस्य किसी विशेष देशों का निर्देश करें तो मैं उत्तर दे सकता हूं ।

श्री बंसल : क्या इस प्रश्न का भारत सरकार को बार बार निर्देश किया गया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : कदाचित्, इस प्रश्न का सम्बन्ध केवल संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से है तथा अमेरिका काफी बड़ा देश है और वहां पर जिन असुविधाओं का सामना करना पड़ता है वे भी काफी हैं । फिर हमें अन्य देशों का निर्देश करने की क्या आवश्यकता है ?

सेठ अचल सिंह : क्या माननीय मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो फेसिलिटीज़ अमरीकन बिजिनेसमैन को इंडिया में दी जाती हैं वही फैसिलिटीज़ हिन्दुस्तान के लोगों को वहां दी जायें इसके लिये गवर्नमेंट आफ इंडिया कोई कोशिश कर रही है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : जी हां, हमारे कौंसल जनरल और वहां की अथारिटीज़ के साथ न्यूयार्क में बातचीत चल रही है कि यहां के बिजिनेसमैन को भी वही सुविधायें मिलें जो युक्त हैं ।

डा० लंका सुन्दरम : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारतीय व्यापारियों के अमेरिका जाने तथा अमेरिकन व्यापारियों के भारत आने की शर्तों में काफी असमानता है, क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में ऐसी कार्यवाही करने का है जिससे प्रति-व्यवहार हो सके ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यही बात है ।

श्री टी० एन० सिंह : जहां तक अमेरिका में भारतीय व्यापारियों पर तथा भारत में अमेरिकन व्यापारियों पर आय-कर लगाने का सम्बन्ध है, क्या वह पारस्परिकता के आधार पर लगाया जाता है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस समय, वास्तव में, कोई पारस्परिक व्यवस्था नहीं है, किन्तु मेरे विचार में कोई भी अनावासिक विदेशी, जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में व्यापार न करता हो, किन्तु जो उस देश के साधनों से ही १५,४०० डालर या इससे कम की आय प्राप्त करता हो उस पर उस आय के हिसाब से ३० प्रतिशत का कर लगाया जाता है तथा ५०० डालर की व्यक्तिगत छूट दे दी जाती है जिससे वह किसी अधि-बासी विदेशी या नागरिक के मुकाबले आय-कर ऊंची दर पर देता है । अभिप्राय निवास करने से है । परन्तु जब किसी विदेशी से उसके प्रवेश पत्र पर लिखी मियाद से पहले ही देश से चले जाने के लिये कहा जाता है तो कम से कम आय-कर के सम्बन्ध में उसे अनावासिक ही समझा जाता है ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : क्या कोई ऐसा भी मामला है जिसमें किसी भारतीय व्यापारी से मंजूर की गई मियाद खत्म होने के पहले ही अमेरिका छोड़ देने के लिये कहा गया हो ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : हो सकता है कुछ मामले हुए हों, किन्तु इस समय मैं इस बात को निश्चित रूप से बतलाने की स्थिति में नहीं हूं ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : क्या किसी व्यक्ति ने यह बात सरकार को समझाई है और क्या सरकार ने वहां पर स्थित अपने दूता-वास द्वारा या अन्य प्रकार से उसे सहायता दी है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : पिछले कई महीनों से मैंने किसी ऐसे मामले के बारे में नहीं सुना है ।

श्री दामोदर मेनन : क्या सरकार ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को इन अयोग्यताओं को दूर करने के लिये लिखा है और यदि हां, तो उस सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या उत्तर दिया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह मामले तो बातचीत से सम्बन्ध रखते हैं । उस ओर बैठे हुए माननीय सदस्यों ने कुछ समय पहले यह पूछा था कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका तथा भारत के बीच किसी सन्धि के होने की सम्भावना है अथवा नहीं । सन्धि के सम्बन्ध में दो वर्ष से भी अधिक समय से बातचीत चल रही है । वास्तव में यदि वह सन्धि हो जाती है तो मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि उस प्रकार की सन्धि का आधार पारस्पर्य ही होगा ।

श्री पुन्नूस : क्या सरकार हमें बतला सकती है कि वर्ष १९५१–५२ के दौरान में कितने भारतीय व्यापारी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका गये तथा उसी अवधि में कितने अमेरिकन व्यापारी भारत आये ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरे विचार में यदि इस प्रकार के प्रश्न की सूचना दी जाये तो हम उसका उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे किन्तु, इस पर भी, मैं निश्चित रूप से यह नहीं कह सकता कि इस प्रकार की समस्त सूचना उपलब्ध ही हो सकेगी ।

मैथन बांध परियोजना

* ११३३. **श्री जजवाड़े** : (क) क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि बिहार में दामोदर घाटी योजना के अन्तर्गत मैथन बांध परियोजना के फलस्वरूप कितने परिवारों को हटाना पड़ता है ?

(ख) मैथन बांध परियोजना के फलस्वरूप हटाये गये व्यक्तियों को पुनः बसाने के लिये वर्ष १९५१ तथा १९५२ में वास्तव में कितनी राशि की व्यवस्था की गई थी ?

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि पुनर्वास योजना की कार्यान्विति में देर होने के कारण हटाये गये व्यक्तियों में कितना असन्तोष फैल रहा है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) मैथन बांध से १९५१ व्यक्तियों पर असर पड़ेगा । बांध से अभी तक किसी भूमि पर पानी नहीं भरा है । बांध स्थान पर कालोनी बसाने के कारण केवल कुछ परिवारों को हटाया गया है ।

(ख) पुनर्वास लागत के सम्बन्ध में अभी तक कोई प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया है । पुनर्वास पर अब तक कुछ भी व्यय नहीं किया गया है ।

(ग) कोई विलम्ब नहीं किया गया है ।

श्री जजवाड़े : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सरकार ने ज़मीन के लिए ज़मीन तथा मकान के लिये मकान देने का आश्वासन दिया था, क्या पुनर्वास योजना के कार्यान्वित होने के सम्बन्ध में कोई समय सीमा रखी गई है ?

श्री हाथी : वास्तविकता तो यह है कि दामोदर घाटी निगम उन व्यक्तियों से यह पूछता रहा है, जिनको वहां से हटाया जाना है, कि वे मकान के लिये मकान लेना पसन्द करेंगे अथवा रुपया लेना चाहेंगे, किन्तु समझाने बुझाने पर भी यह लोग कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं ।

श्री जजवाड़े : सरकार की बाढ़ नियंत्रण तथा सिंचाई योजनाओं को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार को यह मालूम है कि २२ सितम्बर, १९५१ को श्री काला वेंकटा राव ने यह कहा था कि सरकार इस योजना पर होने वाले भारी खर्चे की जांच करे

तथा मैथन और दुर्गापुर के बांधों का काम पहले हाथ में ले । क्या सरकार को इस वक्तव्य का ज्ञान है, और यदि हां, तो मैथन और दुर्गापुर बांधों का काम पहले हाथ में लिया गया है अथवा नहीं ? बाढ़ नियन्त्रण तथा सिंचाई के सम्बन्ध में श्री काला वेंकटा राव ने यह सुझाव रखा है कि मैथन तथा दुर्गापुर बांधों का काम पहले हाथ में लिया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का सम्बन्ध केवल उन लोगों से है जो हटाये गये हैं न कि बाढ़ नियन्त्रण से ।

श्री **जजवाड़े** : मैं जानना चाहता हूं कि मैथन बांध को पहले बनाने के कारण क्या विस्थापित व्यक्तियों को फिर से बसाने का काम भी पहले हाथ में लिया गया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता । मैथन बांध के कई पहलू हैं अर्थात् सिंचाई, बाढ़ नियन्त्रण तथा पुनर्वास । इस प्रश्न का सम्बन्ध केवल पुनर्वास से है ।

श्री जजवाड़े : जी नहीं, श्रीमान् । जब पहले यह योजना हाथ में ली जायेगी तो सबसे पहले हटाये जाने वाले व्यक्तियों को फिर से बसाने का सवाल पैदा होगा । अतः मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इस सम्बन्ध में कुछ कर भी रही है अथवा नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : इसका पहले ही उत्तर दिया जा चुका है ।

सरदार ए० एस० सहगल : मैथन बांध बनाने के कारण जो क्षेत्र पानी के नीचे आ जायेगा उस पर रहने वाले परिवारों को सुविधायें देने के सम्बन्ध में क्या प्रबन्ध किया गया है ?

श्री हाथी : जैसा कि मैं अभी बतला चुका हूं इन व्यक्तियों ने यह निश्चित नहीं किया है कि वे ज़मीन के बदले में ज़मीन या मकान के बदले में मकान चाहते हैं अथवा हर्जाने के रूप में रुपया चाहते हैं ।

श्री जयपाल सिंह : समय समय पर सरकार संसद् में तथा बाहर यह आश्वासन देती रही है कि आदिवासियों को ज़मीन के बदले ज़मीन तथा मकान के बदले मकान दिया जायेगा । माननीय मंत्री ने अभी बता लाया है कि वह उन लोगों को इस बात पर राज़ी करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि वे हर्जाने के रुप में रुपया या मकान के बदले मकान या ज़मीन के बदले ज़मीन लेना पसन्द करेंगे । वह इस बात पर किस प्रकार पहुंचे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : यदि वे मकान नहीं चाहते हैं तो क्या उन के गले से मकान बांध दिया जा सकता है ?

श्री जयपाल सिंह : जी नहीं, श्रीमान्, बात यह है.....

उपाध्यक्ष महोदय : इस बात पर बहस करने से कोई लाभ नहीं है ।

श्री जयपाल सिंह : मैं बहस नहीं कर रहा हूं । मैं जानना चाहता हूं कि देर क्यों की जा रही है । सरकार द्वारा रखे गये इन प्रस्तावों को सन्थल लोग क्यों अस्वीकार कर रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय मंत्री बतला सकते हैं कि ऐसा क्यों है ?

श्री हाथी : मैं नहीं बतला सकता कि वे क्यों इन्कार कर रहे हैं । मैं उनके मन की बात तो पढ़ नहीं सकता हूं । यदि वह यह जानना चाहते हैं कि वे किसी विशेष ढंग से अपनी पसन्द क्यों नहीं दे रहे हैं तो मैं यही कहूंगा कि इस सम्बन्ध में मेरे पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं है ।

श्री जयपाल सिंह : आरम्भ में सरकार ने संसद् को निश्चित रूप से यह आश्वासन दिया था तथा दामोदर घाटी निगम ने भी इस सम्बन्ध में पुस्तिकायें आदि वितरित की थीं

कि यह केवल रुपया देने का ही प्रश्न न होगा बल्कि ज़मीन के बदले ज़मीन तथा मकान के बदले मकान भी दिये जायेंगे। क्या सरकार ने अब अपनी नीति बदल दी है ?

श्री हाथी : मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि भाग लेने वाली सरकार यह अनुभव करती है कि मकान के बदले मकान तथा ज़मीन के बदले ज़मीन देने से लागत बढ़ जायेगी तथा इसीलिये, हो सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति को मकान के बदले मकान तथा ज़मीन के बदले ज़मीन देना सम्भव न हो सके।

श्री टी० एन० सिंह : हर्जाने के रूप में रुपया देने के अलावा क्या सरकार का विचार उन लोगों को फिर से बसाने के सम्बन्ध में कुछ अनुदान देने का भी है जब कि वे अन्य क्षत्रों को ले जाये जायेंगे ?

श्री हाथी : जहां तक सम्भव हो सकता है उन्हें सभी सुविधाएं दी जाती हैं, किन्तु इस सम्बन्ध में मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि दामोदर घाटी निगम के मन में क्या है।

श्री टी० एन० सिंह : इन लोगों को बसाने के लिये जिन ज़मीनों को कृषि योग्य बनाया जा रहा है क्या उसकी लागत दामोदर घाटी निगम के लेखे में अथवा और किसी लेखे में डाली जा रही है ?

श्री हाथी : जहां तक मैथन बांध का सम्बन्ध है ज़मीन को कृषि योग्य बनाने के बारे में कुछ भी नहीं किया गया है।

श्री टी० एन० सिंह : ज़मीन को कृषि योग्य बनाने के सम्बन्ध में जो लागत आती है उसको किस लेखे में डालने की बजट में व्यवस्था की गई है ?

श्री हाथी : जैसा कि मैं पहले ही बतला चुका हूं अभी तक ज़मीन को कृषि योग्य बनाने के सम्बन्ध में कोई प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया है क्योंकि अभी तो यही पता नहीं है कि कितनी ज़मीन की आवश्यकता होगी।

श्री टी० एन० सिंह : क्या इसका यह अर्थ हुआ कि इस राशि के कारण परियोजना का प्राक्कलन भी बढ़ जायेगा ?

श्री हाथी : हर्जाने के रूप में रुपया देने की व्यवस्था है। यदि वे सब के सब रुपया लेने को तैयार हो जायें तो हो सकता है प्राक्कलन में वृद्धि न हो।

श्री जयपाल सिंह : क्या यह सत्य है कि झगड़ा दामोदर घाटी निगम द्वारा ज़मीन के लिए दिये जाने वाले रुपयों के सम्बन्ध में है ? क्या यह सत्य है कि बिहार सरकार दी जाने वाली राशि को दुगना कर रही है जिससे उस क्षेत्र के लोग उसे स्वीकार कर लें और भूमि-हीन मज़दूर बन जायें ?

श्री हाथी : इस सम्बन्ध में मेरे पास कोई सूचना नहीं है।

श्री सारंगधर दास : बांध बनाने के लिये कितनी ज़मीन पानी के नीचे आ गई है या आनी है तथा विस्थापित व्यक्तियों को देने के लिये कितनी ज़मीन कृषि योग्य बनाई जा चुकी है ?

श्री हाथी : अभी तक कोई ज़मीन पानी के नीचे नहीं आई है क्योंकि अभी तक बांध बन कर ही तैयार नहीं हुआ है।

श्री जजवाड़े : क्या आप इस विषय पर आधे घंटे तक चर्चा होने की अनुमति देंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह अभी नहीं पूछा जा सकता है।

श्री सारंगधर दास : मैंने पूछा था कि कितनी ज़मीन पानी के नीचे आगई है या आनी है। यदि अभी तक पानी के नीचे नहीं आई है तो कितनी ज़मीन के आने की सम्भावना है तथा विस्थापित लोगों को उनकी ज़मीन के बदले कितनी ज़मीन देने के लिये तैयार कर ली गई है ?

श्री हाथी : कुल २५,५४८ एकड़ भूमि पानी के नीचे आनी है ।

श्री एस० सी० सामन्त : पानी जमा करने के लिये जितनी ज़मीन की आवश्यकता है क्या वह गज़ट में प्रकाशित कर दी गई है और यदि हां, तो क्या वहां के निवासियों को नोटिसें दे दी गई हैं जिससे वे सरकार को बतला सकें कि वे क्या चाहते हैं---ज़मीन या हर्जाना ?

श्री हाथी : जहां तक मंथन बांध का सम्बन्ध है कोई नोटिस नहीं दी गई हैं ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : क्या यह सत्य नहीं है कि संथलों के सामने जो शर्तें रखी गई हैं वे उनके अनुकूल नहीं हैं और इसीलिए वे सरकार के साथ सहयोग करने के लिये तैयार नहीं हैं ? सरकार उनका सहयोग प्राप्त करने के सम्बन्ध में क्या कर रही है ?

उपाध्यक्ष महोदय : वह पहले ही बतला चुके हैं कि सारा झगड़ा हर्जाने के सम्बन्ध में है ।

श्री के० के० बसु : बदले में जो ज़मीन दी जायेगी क्या वह घटिया किस्म की होगी ?

श्री हाथी : अभी तो यही पता नहीं लगा है कि वे ज़मीन चाहते भी हैं अथवा नहीं ।

फर्नीचर का निर्यात

*११३४. **श्री एस० सी० सामन्त** : (क) **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि निर्यात उन्नति समिति ने फर्नीचर का कर-मुक्त निर्यात करने तथा उसी हिसाब से लकड़ी के आयात में वृद्धि करने की सिफारिश की थी ?

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

(ग) भारत में बनी अलमारियों आदि तथा फर्नीचर की सबसे अधिक खपत कहां होती है ?

(घ) १९४७ से १९५१ तक के प्रत्येक वर्ष में निर्यात किये गये फर्नीचर तथा अलमारियों आदि का मूल्य क्या था ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां ।

(ख) फर्नीचर का निर्यात खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत होता है । उसी प्रकार अगरउड, टगरउड, संदलउड तथा प्लाईउड को छोड़ कर समस्त प्रकार की लकड़ी तथा इमारती लकड़ी का, जिसमें नक्काशी की लकड़ी भी शामिल है, आयात खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत होता है ।

(ग) कुवेत, केनिया कोलोनी तथा पाकिस्तान ।

(घ) सूचना नीचे दी जाती है :---

वर्ष	मूल्य
१९४७–४८	९,३७,०००
१९४८–४९	१०,३३,०००
१९४९–५०	११,५३,०००
१९५०–५१	१६,००,०००
१९५१–५२	१४,८३,०००

श्री एस० सी० सामन्त : आयात की गई इमारती लकड़ी का मूल्य देशी इमारती लकड़ी के मुकाबले कैसा बैठता है ?

श्री करमरकर : मैं इसकी पूर्वसूचना चाहूंगा ।

श्री एस० सी० सामन्त : हम को आयात की जाने वाली इमारती लकड़ी पर किस सीमा तक निर्भर रहना पड़ता है ?

श्री करमरकर : बहुत ही थोड़ी सीमा तक ।

श्री एस० सी० सामन्त : किन बन्दरगाहों से फर्नीचर और अलमारियों को निर्या किया जाता है ?

श्री करमरकर : मैं पूर्वसूचना चाहूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह बात इस प्रश्न से कैसे उठती है ?

श्री वी० पी० नायर : प्रश्न के भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक था । क्या आयोग की सिफारिशें केवल लकड़ी से बने फर्नीचर तक सीमित थीं ? क्या इस में उस बेंत से बना फर्नीचर भी शामिल है जो सिंगापुर तथा मलाका से आयात किया जाता है ?

श्री करमरकर : जहां तक इस अनुपूरक प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है मेरा कहना है कि इस प्रश्न के सम्बन्ध में वे सिफारिशें लकड़ी के फर्नीचर के बारे में की गई थीं । सिफारिशें अधिकतर निर्यात पाबन्दियों के हटाने तथा वस्तुओं में सुधार करने के सम्बन्ध में थीं । इनमें से अधिकतर कार्यान्वित की जा चुकी हैं या कार्यान्वित की जा रही हैं ।

जहां तक बेंत का सम्बन्ध है मैं पूर्वसूचना चाहूंगा ।

श्री वी० पी० नायर : क्या बेंत खुले लाइसेंस में आता है ? मैं जानता हूं कि इमारती लकड़ी खुले लाइसेन्स में है । किन्तु माननीय मन्त्री भी यह जानते हैं कि बेंत इमारती लकड़ी नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह सब कहने की आवश्यकता क्या है ?

श्री पुन्नूस : माननीय मन्त्री ने १९४७ से १९५२ तक निर्यात किये गये फर्नीचर का मूल्य बतला दिया है । इसी अवधि में आयात की गई इमारती लकड़ी का क्या मूल्य है ?

श्री करमरकर : यह बात इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होती । इसका सम्बन्ध केवल फर्नीचर से है ।

श्री पुन्नूस : यह उत्प. होती है ।

श्री करमरकर : मेरे पास आंकड़े नहीं हैं । पूर्व सूचना मिलने पर मैं इसे सहर्ष बतलाने के लिये तैयार हूं ।

श्री पुन्नूस : क्योंकि प्रश्न का सम्बन्ध इमारती लकड़ी आयात से है अतः मेरे लिए इसके उत्तर की आशा करना न्यायसंगत है ।

श्री करमरकर : निस्सन्देह; आशा करना न्यायसंगत है किन्तु मेरा उत्तर भी तो न्यायसंगत है ।

वस्तुओं के मूल्य

***११३५. श्री टी० एन० सिंह** : (क) **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या पिछले तीन महीनों से वस्तुओं के मूल्य में फिर से वृद्धि होने लगी है ?

(ख) आयात की गई व्यापारी वस्तुओं के मूल्यों के सम्बन्ध में क्या स्थिति है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) तथा (ख) विशिष्ट वस्तुओं के नाम न बतलाने के कारण इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर देना सम्भव नहीं है । फिर भी, माननीय सदस्य का ध्यान भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार के कार्यालय से प्रकाशित होने वाले साप्ताहिक प्रकाशन "इन्डैक्स नम्बर आफ होलसेल प्राइसेज़ इन इन्डिया" की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसकी प्रतियां संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध हैं । साथ ही मैं यह भी बतला दूं कि थोक मूल्यों की मासिक सामान्य सूची हाल के वर्षों में सबसे कम मई, १९५२ में थी जबकि आंकड़े सन् १९३९ के १०० के मुकाबले ३६७·१ थे । जून से सितम्बर १९५२ तक के चार महीनों में मूल्य दृढ़ता से बढ़ते गये तथा सितम्बर, १९५२ में देशनांक ३८९ था । इसके पश्चात् कुछ घट गये और नवम्बर, १९५२ में ३८३.२ थे । यह आंकड़े थोक मूल्यों के सम्बन्ध में हैं ।

श्री टी० एन० सिंह : विशिष्ट वस्तुओं के नाम मांगने की अपेक्षा क्या माननीय मंत्री के लिये मूल्यों का झुकाव बतला देना सम्भव नहीं था जैसा कि वह साधारणतः समझा जाता है ? मूल्यों के झुकाव से क्या अभिप्राय होता है यह तो सभी जानते हैं ।

श्री करमरकर : स्थिति इस प्रकार है । साधारणतः मैं माननीय सदस्य का ध्यान कुछ प्रकाशनों की ओर निर्दिष्ट कर सकता था जो पुस्तकालय में या अन्य स्थानों पर उपलब्ध हैं । किन्तु मैं तो एक कदम और आगे बढ़ गया तथा थोक मूल्यों के सम्बन्ध में कुछ सूचना भी दे दी । यदि उपाध्यक्ष महोदय यह निर्णय देते हैं कि मूल्यों के झुकाव के सम्बन्ध में पटल पर एक विवरण रखा जाय तो हमें ऐसा करने में खुशी होगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मन्त्री ने जो कुछ बतलाया है मैं उससे सन्तुष्ट हूं । 'मल्यों के सामान्य झुकाव' का क्या अर्थ है यह म नहीं समझ पाया हूं ।

श्री टी० एन० सिंह : जैसा कि थोक मल्यों को देखन से पता लगता है मूल्यों का झकाव बढ़ने की ओर है, क्या व्यापार सन्तुलन बनाये रखने के लिये सरकार ने हमारी वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहन देने के सम्ब में कोई कार्यवाही की है ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य मल्यों में होने वाली वृद्धि जानना चाहते हैं ?

श्री टी० एन० सिंह : मैं यह जानना चाहता था । इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मूल्यों में वृद्धि हो रही है अर्थात् आयात की गई वस्तुओं का मूल्य बढ़ रहा है तथा साथ ही निर्यात की वस्तुओं का मूल्य घट रहा है, क्या व्यापार सन्तुलन को बनाये रखने के सम्बन्ध में कुछ किया गया है ?

श्री करमरकर : जैसा कि माननीय सदस्य को मालूम ही है कि साधारणतः मूल्य तीन बातों पर निर्भर करता है । पहला है उन आन्तरिक वस्तुओं का मूल्य जो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं । दूसरी वे वस्तुएं जिनकी कमी है तथा जिनके लिए हमको विदेशों से होने वाले आयात पर निभर होना पड़ता है । तीसरी वे वस्तुएं हैं जो हमारे यहां फालतू हैं तथा जिनका हम निर्यात करते हैं । इसमें से प्रत्येक के सम्बन्ध में सरकार का विचार यही रहा है कि जहां तक सम्भव हो मूल्यों को उचित स्तर पर बनाये रखा जाये तथा ऐसा अधिक आयात करके, दूसरे, निर्यात को उसी सीमा तक सीमित करके जहां तक माल वास्तव में फालतू हो तथा तीसरे, आन्तरिक उत्पादन को बढ़ा कर किया जा सकता है । मुझे आशा है कि मेरे माननीय मित्र इसे समझने की कोशिश करेंगे ।

कुछ माननीय सदस्यगण उठे—

उपाध्यक्ष महोदय : यह ऐसी बातें हैं जिनका पता समय समय पर प्रकाशित होने वाले आंकड़ों से लगाया जा सकता है । दूसरा प्रश्न ।

मशीन औज़ार फैक्टरियों को संरक्षण

*११३६. **श्री एस० सी० सामन्त** : (क) **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकारी मशीन औज़ार फैक्टरी स्थापित करने का निश्चय करने से पूर्व वर्तमान मशीन औज़ार फैक्टरियों से बातचीत कर ली गई थी ?

(ख) यदि हां तो उन फैक्टरियों ने अपने संरक्षण तथा बने रहने के सम्बन्ध में क्या मांगें की थीं तथा उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) तथा (ख). जी हां । प्रत्येक अवस्था पर दिलचस्पी रखने वाले हितों से बातचीत कर ली गई थी । यह स्वीकार कर लिया गया है कि सरकारी फैक्टरी में जो उत्पादन होगा वह ग़ैर-सरकारी फैक्टरियों में उत्पादित किये जाने वाले सामान को पूरा करेगा

न कि उससे प्रतिस्पर्धा करेगा । आपस में बातचीत कर लेने तथा ग़ैर सरकारी हितों की राय ले लेने के पश्चात् दोनों प्रकार की फैक्टरियों के लिये अलग अलग कार्यक्रम तैयार कर लिया गया है । मशीन औज़ार निर्माता संघ ने सरकारी फैक्टरी के स्थापित होने का स्वागत किया है ।

इस सम्बन्ध में १९ सितम्बर, १९५० तथा ८ फरवरी १९५२ को हुई बैठकों का विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या २ ।]**

श्री एस० सी० सामन्त : २९ जुलाई १९५० को होने वाली संयुक्त बैठक में श्री गेरबर ने कहा था कि आशा की जाती ह कि अगले कुछ वर्षों में यह उद्योग कुछ मशीनें बनाने लगेगा । क्या वह आशा सफल हुई है ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या मशीन औज़ार फैक्टरी स्थापित कर दी गई है ?

श्री के० सी० रेड्डी : जी नहीं, अभी उसने उत्पादन आरम्भ नहीं किया है । आशा की जाती है कि अगले वर्ष के बाद वाले भाग में उत्पादन होने लगेगा ।

श्री एस० सी० सामन्त: श्री गेरबर एक ग़ैर-सरकारी उद्योगपति हैं तथा उन्होंने आश्वासन दिया था कि उनका संघ बहुत सा ऐसा सामान बनायेगा जो कि सरकारी फैक्टरी चालू होने पर नहीं बनायेगी । अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने अपने वचनों के अनुसार कार्य किया है ।

श्री के० सी० रेड्डी : मैं माननीय सदस्य का प्रश्न अच्छी तरह से समझ नहीं सका हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : वह जानना चाहते हैं कि क्या कुछ गैर सरकारी उद्योगपतियों ने, जो यह आश्वासन दिया था कि वे विभिन्न प्रकार का ऐसा सामान बनायेंगे जो कि सरकारी फैक्टरी में नहीं बनाया जायेगा, अपने वचनों का पालन किया है तथा उन वस्तुओं को बनाया है ।

श्री के० सी० रेड्डी : जी हां, उन्होंने अपने वचनों को पूरा किया है । यदि माननीय सदस्य सितम्बर, १९५० में हुई बैठक का विवरण पढ़ें तो उसमें इस बात का उल्लेख है अर्थात् "यदि समस्त देश की ७" वाली खरादने की मशीन की मांग को पूरा करने के पश्चात् किरलास्कर दो वर्ष के अन्दर ८½" वाली खरादने की मशीन बनाने के लिये तैयार होगा, जो कि सरकार बनाने का विचार कर रही है, तो सरकार इस आकार की खराद मशीनों के उत्पादन में कमी करने पर विचार करेगी जिससे किरलास्कर उन्हें उचित संख्या में बना सकें ।"

शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए किरलास्कर ने ८½" वाली खराद मशीनों के उत्पादन के सम्बन्ध में व्यवस्था की है ?

श्री एस० सी० सामन्त : इस मशीन औज़ार फैक्टरी को चलाने के सम्बन्ध में तीन या चार बार बैठकें हुई थीं तथा इनमें से प्रत्येक बैठक में इस बात के सम्बन्ध में मतभेद था कि देश में कितनी खराद मशीनों तथा मशीन के औज़ारों की आवश्यकता है । क्या सरकार इस आवश्यकता के सम्बन्ध में किसी निश्चित निर्णय पर पहुंची है ?

श्री के० सी० रेड्डी : सरकार को जो सूचना उपलब्ध है उसके अनुसार स्थिति इस प्रकार है । वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय के विकास विभाग ने हाल ही में गत वर्ष के आयात की जांच पड़ताल की थी तथा यह पता लगा था कि ७ इंच से ऊपर वाली ९०० से अधिक खराद मशीनें आयात की गई थीं । इस विषय में सरकार के पास यही सूचना है ।

श्री ए० एम० टामस : क्या भारत की वर्गीकृत अथवा अवर्गीकृत औज़ार फैक्टरियों में आधुनिक प्रकार के तथा जांच करने के औजार बनाये जाते हैं ?

श्री के० सी० रेड्डी : जहां तक मुझे मालूम है वे इस प्रकार के औज़ार नहीं बना रहे हैं ।

श्री वी० पी० नायर : क्या सरकार ने पता लगाया है कि सरकारी कामों के लिये कितने मशीन औज़ारों की आवश्यकता है ? यदि हां, तो अनुमानित आंकड़े क्या हैं ?

श्री के० सी० रेड्डी : जांच तो की गई है किन्तु इस समय मैं समस्त आंकड़े नहीं बतला सकता हूं । खराद मशीनों के सम्बन्ध में, विशेषकर ७ इंच से ऊपर वाली मशीनों के बारे में मैं आंकड़े बतला चुका हूं ।

श्री वी० पी० नायर: प्रति वर्ष सरकार को अपने कामों के लिये कुल कितने मूल्य के मशीन औज़ारों की आवश्यकता होती है ?

श्री के० सी० रेड्डी : मैं यह नहीं बतला सकता कि केवल सरकार को कितने मूल्य की मशीनों की आवश्यकता होती, किन्तु इस समय देश में जितने मशीन औज़ार काम में लाये जा रहे हैं उनका अनुमानित मूल्य लगभग ५ करोड़ रुपये है ।

श्री ए० एम० टामस : क्या मशीन औज़ार बनाने के लिये सरकार ने किसी विदेशी फर्म से समझौता किया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में यह प्रश्न पहले ही पूछा जा चुका है ।

श्री के० सी० रेड्डी : जी हां, इसका उत्तर एक बार सदन में दिया जा चुका है । औरलिकोन्स, नामक एक स्विस फर्म के साथ मिल कर यह मशीन औज़ार फैक्टरी स्थापित की जा रही है ।

श्री के० सब्रह्मण्यम् : भारत की ग़ैर-सरकारी मशीन औज़ार फैक्टरियां राष्ट्रीय मांग को किस सीमा तक पूरा करती हैं ?

श्री के० सी० रेड्डी : बहुत अधिक सीमा तक नहीं; बहुत ही कम सीमा तक । मेरे विचार में हमारे देश में मोटे तौर पर प्रति वर्ष ५० लाख रुपये के मशीन औज़ार तैयार किये जाते हैं ।

श्री के० के० बसु : क्या सरकार धन अथवा कच्चा माल देकर इन ग़ैर-सरकारी मशीन औज़ार फैक्टरियों की कोई सहायता कर रही है ?

श्री के० सी० रेड्डी : निस्सन्देह, जहां तक सम्भव होता है उन्हें कच्चा माल सप्लाई किया जाता है । इस उद्योग को प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में आर्थिक सहायता का भी सूत्र है ।

श्री बंसल : क्या यह सत्य है कि औरलिकोन फैक्टरी ने केवल प्रस्तावित फैक्टरी के नक्शे तैयार करने के लिये भारत सरकार से ९० लाख रुपये या लगभग इतनी ही राशि ले ली थी ?

श्री के० सी० रेड्डी: माननीय सदस्य जो आंकड़े बतला रहे हैं मैं उनको स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हूं ।

श्री बंसल : क्या वह पूछताछ करके ठीक ठीक आंकड़ों का पता लगाने की कृपा करेंगे ?

श्री के० सी० रड्डी: निस्सन्देह, मैं इसका पता लगाऊंगा ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या गत जून में मशीन औज़ार निर्माता संघ ने माननीय मन्त्री को जो स्मारपत्र दिया था उस पर विचार कर लिया गया है और क्या उसके सम्बन्ध में कोई निश्चय कर लिया गया है ?

श्री के० सी० रेड्डी: जी हां, उस पर विचार कर लिया गया है तथा उनको उत्तर भी भेज दिया गया है।

दामोदर घाटी निगम द्वारा दिये जाने वाले ठेके

*११३७. **श्री कृष्ण चन्द्र**: क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष १९४९–५० के लिये दामोदर घाटी निगम की वार्षिक रिपोर्ट में लेखा परीक्षक ने यह उल्लेख किया है कि निगम की तत्कालीन प्रथा के अनुसार ठेके बिना टेंडर मांगे हुए बातचीत करके दे दिये जाते थे;

(ख) क्या लेखा परीक्षक ने यह सिफारिश की थी कि यह भारी ग़लती फौरन ठीक की जाये;

(ग) तब से अब तक ठेके देने के लिये क्या कोई नियम बनाये गये हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति सदन तटल पर रखी जायेगी; तथा

(ङ) क्या इन नियमों का पालन किया जा रहा है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां, सड़क बनाने तथा बोकारो थर्मल पावर स्टेशन के लिये अस्थायी इमारतें बनाने के सम्बन्ध में।

(ख) जी नहीं।

(ग) ऐसे मामलों में निगम अधिकतर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के नियमों का पालन करता रहा है। इसके अलावा समय समय पर वे इस सम्बन्ध में आदेश भी जारी करते रहे हैं।

(घ) इस सम्बन्ध में दामोदर घाटी निगम द्वारा जारी किये गये आदेशों की एक प्रति सदन पटल पर रखी जाती है। **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ३।]**

(ङ) जी हां।

श्री कृष्ण चन्द्र : मुझे जो विवरण मिला है उसको देखने से पता लगता है कि लेखा-परीक्षा की अवधि से पूर्व यह हिदायतें थीं कि टेंडर मांगे बिना कोई ठेका न दिया जाये। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या जो ठेके बिना टेंडर मांगे हुए दिये गये थे वे इन हिदायतों के विरुद्ध नहीं दिये गये थे ?

श्री हाथी : इससे भी पूर्व हिदायतें दी जा चुकी थीं कि कोई ठेका बिना टेंडर मांगे हुए न दिया जाये। विभिन्न अधिकारियों के लिए विभिन्न सीमाएं नियत की गई थीं। इस विशेष मामले में कार्य की अत्यावश्यकता को देखते हुए, क्योंकि मकानों की कमी थी तथा सड़कों का बनाना जरूरी था, इसलिये उच्च स्तर पर बातचीत करने के पश्चात् इनका ठेका दे दिया गया था।

श्री कृष्ण चन्द्र : लेखा परीक्षकों ने जो राय प्रगट की है क्या उससे पहले उनके सामने यह स्पष्टीकरण रखा गया था और क्या उन्होंने इस पर विचार किया था ?

श्री हाथी: यह स्पष्टीकरण बाद में दिया गया था तथा इस सम्बन्ध में और आगे कोई आलोचना प्राप्त नहीं हुई थी।

पंडित के० सी० शर्मा : बातचीत करने का अधिकार क्या था। आपने बतलाया कि उच्च स्तर पर बातचीत की गई थी। यह उच्च स्तर क्या है ?

श्री हाथी: दामोदर घाटी निगम। २००० रुपये तक का ठेका एक सब डिवीजन अधिकारी तथा ५,००० रुपये से अधिक का ठेका डिवीजनल अधिकारी से ऊंचे पद का अधिकारी दे सकता है। टेंडर मांगे बिना निगम कोई ठेका नहीं दे सकता है।

श्री कृष्ण चन्द्र : पहले जो ठेके दिये गये थे वे कितनी राशि के थे ?

श्री हाथी : लगभग एक लाख रुपये के ।

श्री बी० के० दास : यह अनियमितता केवल बोकारो थरमल स्टेशन के सम्बन्ध ही में हुई है अथवा अन्य किसी परियोजना के सम्बन्ध में भी ?

श्री हाथी : जहां तक मुझे मालूम है केवल यही एक मामला ऐसा है ।

सरदार ए० एस० सहगल : टेंडर नहीं मांगे गये थे ?

श्री हाथी : बातचीत करके दिया गया था ।

श्री **जी० पी० सिन्हा** : बातचीत करके कितनी राशि के ठेके दिये गये तथा टेंडर मांग कर कितनी राशि के ठेके दिये गये ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री पहले ही बतला चुके हैं, एक लाख रुपये ।

श्री **जी० पी० सिन्हा** : बिना टेण्डर मांगे हुए ?

श्री **हाथी** : एक लाख रुपए ।

सरदार ए० एस० सहगल : बिना बातचीत किए हुए तथा बिना टेण्डर मांगे हुए ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या कोई तीसरी प्रकार का भी ठेका होता है जो बिना बातचीत किए हुए या टेण्डर मांगे हुए दिया जाता है ? ऐसा कैसे हो सकता है ?

श्री हाथी : मैं पूर्वसूचना चाहता हूं ।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या यह प्रथा समस्त मामलों के सम्बन्ध में लागू है ?

श्री हाथी : जी नहीं ।

श्री जयपाल सिंह : क्या यह सत्य है कि कुलजान कारपोरेशन को, जो दामोदर-घाटी निगम के परामर्शदाता इंजीनियर हैं, खरीदने का ठेका मिल गया है ? यदि हां तो क्यों ?

श्री हाथी : मेरा निवेदन है कि यह बात इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होती ।

श्री **सारंगधर दास** : इस प्रकार के कितने कार्य हैं जिनकी लागत लगभग एक लाख रुपये आती है ?

श्री हाथी : मैं पूर्वसूचना चाहता हूं ।

पेनीसिलिन का बनाना

*११४०. **श्री एल० एन० मिश्र** : (क) क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत में पेनीसिलिन बनाने के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ?

(ख) भारत में बनी पेनीसिलिन बाजार में कब तक बिकने लगेगी ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) पिम्परी में पेनीसिलिन फैक्टरी की इमारतों का बनाया जाना जारी है तथा आशा की जाती है कि वे लगभग मार्च १९५३ तक बन कर तैयार हो जायेंगी । संयंत्र तथा उपकरणों के लिए आर्डर दिए जा चुके हैं । अक्टूबर, १९५३ तक फैक्टरी को बनकर तैयार हो जाना है तथा १९५३ के अन्त को पेनीसिलिन का बनना आरम्भ होना है ।

(ख) १९५३ के अन्त तक या १९५४ के आरम्भ तक ।

श्री एल० एन० मिश्र : इस फैक्टरी में लगभग कितनी मात्रा में पेनीसिलिन तैयार की जायेगी तथा उससे सामान्य मांग कहां तक पूरी हो सकेगी ?

श्री के० सी० रेड्डी : इस समय कोई उत्पादन नहीं हो रहा है ।

उपाध्यक्ष महोदय : कितनी मात्रा में तैयार होने की आशा है —यह सब अनेक बार पूछा जा चुका है ।

श्री के० सी० रेड्डी : यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं यह सूचना दे सकता हूं

कुल उत्पादन लगभग ७,५०,००० मेगा-यूनिट प्रति मास होगा, किन्तु आरम्भ में प्रति मास चार लाख मेगा-यूनिट का उत्पादन होगा।

श्री एल० एन० मिश्र : यह फ़ैक्टरी सरकारी है अथवा गैर-सरकारी ?

श्री के० सी० रेड्डी : इस समय इसकी देख-रेख विभाग की ओर से की जा रही है। बाद में इसे एक ग़ैरसरकारी सीमिति कम्पनी में बदल देने का विचार है।

श्री के० एल० मिश्र : क्या इसके लिए कोई विदेशी सहायता प्राप्त की गई है, यदि हां, तो किस प्रकार की तथा किस देश से ?

श्री के० सी० रेड्डी : इसे यू० एन० आई० सी० ई० एफ० तथा डब्लू० एच० ओ० के साथ मिलकर स्थापित किया जायेगा। इसमें उनका कोई वित्तीय हित नहीं है किन्तु यू० एन० आई० सी० ई० एफ० हमें आवश्यक मशीने देगा जिनका मूल्य लगभग ८,५०,००० डालर होगा। डब्लू० एच० ओ० टैकनिकल व्यक्तियों को देकर हमारी सहायता करेगा जिनका खर्च लगभग ३,५०,००० डालर होगा।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : जिस स्थान पर फैक्टरी पहले बनाई जाने वाली थी उसको बदलने का क्या कारण है ?

श्री के० सी० रेड्डी : इस सम्बन्ध में ठीक ठीक स्थिति क्या है, यह मुझे मालूम नहीं। परन्तु मेरे विचार में पहले इस फैक्टरी को बम्बई राज्य में स्थापित करने का विचार था और अब उसे पूना के समीप पिम्परी में स्थापित किया जा रहा है।

श्री जी० पी० सिन्हा : पेनीसिलिन आयात करने के सम्बन्ध में वर्तमान व्यवस्था क्या है ? क्या इसका वितरण एक अंग्रेजी फम को दे दिया गया है ?

श्री के० सी० रेड्डी : यह इससे उत्पन्न नहीं होता।

विस्थापित व्यापारियों को ऋण

*११४१. **श्री बाल्मीकि** : (क) क्या **पुनर्वास** मंत्री छोटे मोटे विस्थापित व्यापारियों को १९५१-५२ में अग्रिम दिये गये ऋणों की राशि बतलाने की कृपा करेंगे ?

(ख) ऐसे कितने व्यापारियों को ऋण मिले हैं ?

(ग) कितने समय में और कितनी राशि की किश्तों में यह राशि लौटायी जाने वाली है ?

पुनर्वास उपमन्त्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) से (ग) तक। सूचना संग्रह की जा रही है तथा यथा समय सदन-पटल पर रखी जायेगी।

श्री बाल्मीकि : आवाज़ सुनाई नहीं दी।

उपाध्यक्ष महोदय : सूचना सदन पटल पर रख दी जायेगी।

दियासलाई

*११४२. **श्री नानादास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रति वर्ष भारत में कितनी दियासलाई बनाई जाती है;

(ख) दियासलाई बनाने वाली फैक्टरियों की संख्या तथा नाम क्या हैं तथा वे कहां स्थित हैं और प्रत्येक कितना उत्पादन करती हैं;

(ग) दियासलाई वितरण करने की वर्तमान प्रणाली क्या है; तथा

(घ) क्या सरकार का विचार दियासलाई वितरण के सम्बन्ध में भी क्षेत्र प्रणाली लागू करने का है जैसा सीमेन्ट के सम्बन्ध में है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) ५० ग्रोस दियासलाई के बक्से, वाली लगभग ५,४०,००० पेटियां जिसमें से प्रत्येक बक्से में ६० तीलियां होती हैं ।

(ख) **श्री गणपति** राम द्वारा २१ जुलाई, १९५२ को पूछे गए तारांकित प्रश्न १९०९ के भाग (क) तथा (ख) के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर की ओर माननीय सदस्य का ध्यान आकर्षित किया जाता है । प्रत्येक यूनिट कितना उत्पादन करती है यह बतलाना वांछनीय नहीं समझा जाता ।

(ग) प्रत्येक दियासलाई फैक्टरी अपने माल के वितरण की व्यवस्था स्वयं करती है ।

(घ) जी नहीं ।

श्री नानादास : दियासलाई उद्योग में कितनी विदेशी पूंजी लगी हुई है तथा दियासलाई उद्योग का कितना प्रतिशत "विमको" के हाथ में है?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जिन चार फैक्टरियों का नियंत्रण "विमको" करती है उनमें उसकी पूंजी लगभग ५० प्रतिशत है जो कि लगभग १,१०,००,००० रुपये होती है ।

श्री वी० पी० नायर : उत्तर स्पष्ट नहीं हैं । उन्होंने पूछा था कि भारत के दियासलाई उद्योग में कितनी विदेशी पूंजी लगी हुई है । उत्तर दिया गया है कि किसी सहायक फ़र्म के पास ५० प्रतिशत है ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने विशेषत: "विमको" का निर्देश किया था ।

श्री वी० पी० नायर : प्रश्न के दो भाग थे ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय मंत्री ने प्रश्न समझ लिया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जहां तक मैं समझ सका हूं मैं ने उत्तर दे दिया है : 'विमको' द्वारा नियंत्रित चार फैक्टरियों की कुल पूंजी लगभग २ करोड़ २० लाख रुपये है जिसमें से 'विमको' का भाग आधा है अर्थात् १ करोड़ १० लाख रुपये ।

श्री नानादास : मेरे प्रश्न का पहला भाग यह है कि दियासलाई उद्योग में कितनी विदेशी पूंजी लगी हुई है ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : 'विमको' द्वारा नियंत्रित चार फैक्टरियों में लगी हुई विदेशी पूंजी १ करोड़ १० लाख रुपये है ।

श्री वी० पी० नायर : 'विमको' के हाथ में भारतीय दियासलाई उद्योग का कितना प्रतिशत है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह तो कोई भी अनुमान लगा सकता है ।

श्री वी० पी० नायर : क्या १९४७ के पश्चात् से भारत में कोई दियासलाई फैक्टरियां बन्द हुई हैं, और यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : सन् १९४७ के पश्चात् कितनी दियासलाई फैक्टरियां बन्द हुईं, इसका मेरे पास कोई रेकार्ड नहीं है ।

श्री वी० पी० नायर : क्या दियासलाई फैक्टरियां इस कारण बन्द हो रही हैं क्योंकि वे 'विमको' द्वारा जिसके अन्दर बहुत अधिक विदेशी पूंजी लगी हुई है बड़े पैमाने पर किए गए उत्पादन का मुकाबला नहीं कर सकती है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : माननीय सदस्य को इस प्रकार की अपनी राय बनाने की पूरी स्वतन्त्रता है ।

श्री नम्बिमार : सरकार की क्या राय है ?

उपाध्यक्ष महोदय : जिस समय इन उद्योगों को सहायता दी गई थी, उस समय इस विषय पर सदन में चर्चा की गई थी । अब नीति के प्रश्न को उठाने से क्या लाभ है ।

श्री वी० एस० मूर्ति : सरकार कितनी आर्थिक सहायता देती है तथा किन किन फ़र्मों को सहायतार्थ अनुदान दिया जाता है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : सहायतार्थ अनुदान ? मैं किसी ऐसे अनुदान को नहीं जानता ।

श्री के० जी० देशमुख : क्या दियासलाई का हमारे यहां आधिक्य है तथा क्या हम उसका निर्यात करते हैं, और यदि हां, तो कितना ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरे पास कोई सूचना नहीं है ।

कुमारी एनी मस्करीन : क्या सरकार का विचार दियासलाई उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने का है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस समय तो ऐसा कोई विचार नहीं है ।

पंडित सी० एन० मालवीय : क्या भोपाल राज्य में कोई दियासलाई फैक्टरी है और क्या वह बन्द हो गई है, और यदि हां, तो क्यों ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यदि प्रश्न की सूचना दी जाये तो मैं उसका उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा ।

टाइपराइटरों का निर्माण

*११४३. **श्री नानादास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि टाइपराइटर बनाने वाले एक अमेरिकन फर्म को भारत में एक कम्पनी स्थापित करने की अनुमति दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इस फर्म का क्या नाम है तथा इसकी अधिकृत पूंजी कितनी है;

(ग) भारत में खोली जाने वाली कम्पनी अमेरिकन फ़र्म की सहायक कम्पनी होगी अथवा एक भारतीय समिति कम्पनी होगी जिसकी पूंजी रुपयों में होगी;

(घ) अंश पूंजी, संचालक बोर्ड तथा प्रबन्ध में भारतीय किस प्रकार से भाग लेंगे; तथा

(ङ) क्या भारत में टाइपराइटर बनाने का विचार है, और यदि हां, तो किस तिथि तक ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां ।

(ख) रेमिंगटन रेन्ड आफ इंडिया लिमिटेड । इसकी अधिकृत पूंजी तीन करोड़ रुपये है ।

(ग) यह भारत में एक लोक समिति कम्पनी के रूप में पंजीबद्ध है तथा इसकी पूंजी रुपयों में है, किन्तु यह पूर्णत: अमेरिकन कम्पनी की सहायक कम्पनी है ।

(घ) कम्पनी के पार्षद् सीमानियमों के मानने वालों को दिये जाने वाले ७०० रु० के अंशों को छोड़कर इस समय कम्पनी की पूंजी में भारतीयों के कोई अंश नहीं हैं। संचालकों के बोर्ड पर कोई भारतीय नहीं है । प्रबन्ध करने के सम्बन्ध में भारतीयों का कितना हाथ है यह सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ङ) जी हां । सन् १९५६ के अन्त तक टाइपराइटर के ९० प्रतिशत पुर्ज़े बनने लगेंगे । जब तक शेष पुर्ज़े भारत में बनने नहीं लगेंगे तब तक उन्हें बाहर से आयात किया जायेगा ।

श्री नानादास : अमेरिकन फ़र्म को अनुमति देने से पूर्व क्या सरकार ने ऐसे भारतीय उद्योगपतियों से बातचीत की थी जो टाइपराइटर बनाने में लगे हुए हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यदि माननीय सदस्य मुझे यह बतला दें कि कौन कौन से भारतीय उद्योगपति टाइपराइटर बनाने में लगे हुए हैं तो हो सकता है मैं उनके प्रश्न का उत्तर दे सकूं ।

श्री राधेलाल व्यास : फ़र्म को किन शर्तों पर अनुमति दी गई है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जो कुछ मैंने बतलाया है उससे अधिक और कुछ भी नहीं ।

श्री जी० पी० सिन्हा : क्या देश के स्थानीय पूंजीपतियों द्वारा कोई योजना रखी गई है ... (**अन्तर्बाधा**)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पुन्नूस ।

श्री पुन्नूस : क्या हम यह समझ लें कि इस समय भारत में कोई भारतीय कम्पनी टाइपराइटर बनाने में दिलचस्पी नहीं रखती ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : कोई भी भारतीय कम्पनी भारत में टाइपराइटर नहीं बनाती ।

श्री पुन्नूस : टाइपराइटर बनाने के लिए क्या किस भारतीय कम्पनी ने सरकार से सहायता की मांग की है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : किसी भी भारतीय कम्पनी ने सरकार से सहायता की मांग नहीं की है ।

श्री पुन्नूस : किसी प्रकार की सुविधा की भी नहीं ?

श्री नम्बियार: क्या टाइपराइटरों की मरम्मत करने वाले कोई भारतीय भी हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : दूसरा प्रश्न ।

श्री सारंगधर दास : एक प्रश्न और, श्रीमान् ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम अनुपूरक प्रश्नों के निम्नतम स्तर पर पहुंच चुके हैं । क्या मैं इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने दूं ? दूसरा प्रश्न ।

मनीपुरियों की भर्ती

*११४४. **श्री एल० जे० सिंह** : **प्रधान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या आसाम राइफिल्स में मनीपुरियों की भर्ती पर कोई पाबन्दी है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : कोई भी नहीं । वास्तव में, कुछ मनीपुरी तो इस राइफिल्स में कार्य भी कर रहे हैं ।

श्री एल० जे० सिंह : प्रशासन में तबदीली होने से पूर्व तथा उसके बाद कितने मनीपुरी आसाम रायफिल्स में भर्ती किये गये ?

श्री अनिल के० चन्दा : इस समय आसाम रायफिल्स में २४६ मनीपुरी हैं । प्रशासन में नई तबदीली होने के पश्चात् कितने मनीपुरी भर्ती किये गये यह सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री एल० जे० सिंह : अब तक जितने मनीपुरी भर्ती किये गये हैं उनमें से कितने आदिमजाति के हैं तथा कितने ग़ैर-आदिमजाति के हैं ?

श्री अनिल के० चन्दा : भर्ती किये गये व्यक्तियों में से १८९ आदिमजाति के हैं तथा ५७ ग़ैर-आदिमजाति के हैं ।

श्री एल० जे० सिंह : क्या यह सत्य है कि ब्रिटिश शासन काल में आसाम के तत्कालीन मुख्य आयुक्त श्री क्विनटन की हत्या कर देने के फलस्वरूप मनीपुरियों के सेना में भर्ती करने पर पाबन्दी लगा दी गई थी ?

उपाध्यक्ष महोदय : तर्क करने की आवश्यकता नहीं है । क्या कोई पाबन्दी लगी हुई है ?

श्री अनिल के० चन्दा : किसी भी प्रकार की पाबन्दी नहीं है ।

श्री एल० जे० सिंह : क्या पुरानी बातों का भूत अब भी भारत सरकार पर सवार है ?

श्री अनिल० के० चन्दा : कोई पाबन्दी नहीं है ।

पाकिस्तान में "निराली दुनियां" पर पाबन्दी

*११४५. **श्री के० जी० देशमुख** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि पाकिस्तान सरकार ने दिल्ली की उर्दू पत्रिका "निराली दुनिया" के जल, थल तथा नभ द्वारा पाकिस्तान में लाने पर पाबन्दी लगा दी है ;

(ख) उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित पत्रिका को छोड़कर क्या किसी अन्य भारतीय समाचार पत्र पर भी पाकिस्तान ने इसी प्रकार की पाबन्दी लगाई है; तथा

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :

(क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) जहां तक हमें पता है, पाकिस्तान सरकार ने इस पत्रिका पर पाबन्दी लगाने का कोई कारण नहीं बतलाया है ।

श्री के० जी० देशमुख : क्या भारत सरकार पाकिस्तान सरकार के साथ इस पाबन्दी को हटाने के सम्बन्ध में पत्र-व्यवहार कर रही है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जी नहीं । मं ने इस पत्रिका को देखा है । मैंने जितनी अवांछनीय पत्रिकायें देखी हैं उनमें से एक यह भी है । राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि अन्य दृष्टिकोणों से ।

श्री के० जी० देशमुख : क्या पाकिस्तान से आने वाले समाचार पत्रों पर भारत सरकार ने कोई पाबन्दी लगाई है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मुझे कोई जानकारी नहीं है ।

श्री पुन्नूस : प्रधान मंत्री ने बतलाया कि यह पत्रिका अवांछनीय है, राजनीतिक दृष्टिकोणों से नहीं बल्कि अन्य दृष्टिकोणों से । क्या वह हमें बतलायेंगे उनके कहने का ठीक ठीक अभिप्राय क्या है जिससे हम भी उसको न पढ़ें ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य इसे पहले ही पढ़ चुके हैं । क्या राजनीति ही ऐसा विषय है जिसमें लोग दिलचस्पी रखते हैं ? आखिरकार समाजिक, आर्थिक तथा अन्य विषय भी तो हैं । मैं इसके पूछे जाने की अनुमति नहीं दे सकता । दूसरा प्रश्न ।

नदी घाटी परियोजनाओं में ठेके पर रखे गये कर्मचारी

*१ १४६. **श्री ए० एन० विद्यालंकार** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत मंत्री** नदी घाटी परियोजनाओं में ठेके पर रखे गये कर्मचारियों के बारे में १६ जुलाई, १९५२ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १७९८ के सम्बन्ध में दिये गये अपने उत्तर का निर्देश करन की कृपा करेंगे तथा बतलायेंगे कि क्या सरकार इस समय सदन को वह सूचना देने की स्थिति में है ।

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : सदन पटल पर सूचना रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ४]**

अल्प सूचना प्रश्न तथा उत्तर

जम्मू तथा काश्मीर में आन्दोलन

श्री वी० जी० देशपांडे : (क) **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या जम्मू के लोगों ने जम्मू तथा काश्मीर राज्य विधान सभा द्वारा राज्य के प्रधान को चुनने तथा एक

अलग झण्डा बनाने के सम्बन्ध में भारत के प्रधान मंत्री तथा जम्मू और काश्मीर के मुख्य मंत्री के बीच हुए समझौते के प्रति अपनी नापसन्दगी ज़ाहिर की है ?

(ख) राज्य के संविधान में इस प्रकार की तबदीलियां करने के विरुद्ध क्या जम्मू तथा काश्मीर में कोई आन्दोलन आरम्भ हो गया है ?

(ग) इस आन्दोलन के फलस्वरूप कितने व्यक्ति जेल भेज दिये गये हैं ?

(घ) जम्मू के लोगों की क्या मांगे हैं ?

(ङ) इन बातों के सम्बन्ध में जम्मू के लोगों की राय जानने के लिए क्या सरकार किसी कार्यवाही के करने का विचार रखती है ?

उपाध्यक्ष महोदय : इसी सम्बन्ध में श्री गुरुपादस्वामी द्वारा पूछा गया एक और अल्प सूचना प्रश्न भी है। मैं उन्हें प्रश्न पढ़ने की अनुमति देता हूं जिससे इन दोनों का उत्तर एक साथ दे दिया जाये।

जम्मू तथा काश्मीर में प्रजापरिषद् आन्दोलन

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : (क) **प्रधान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या जम्मू तथा काश्मीर की प्रजापरिषद् ने जम्मू तथा काश्मीर सरकार के विरुद्ध आन्दोलन आरम्भ कर दिया है ?

(ख) यदि हां, तो इस आन्दोलन के क्या कारण बताये गये हैं ?

(ग) इस आन्दोलन में कितने लोगों ने भाग लिया है ?

(घ) अब तक कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये जा चुके हैं ?

(ङ) राज्य में साधारण परिस्थितियां उत्पन्न करने के सम्बन्ध में भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : जम्म में होने वाली हाल की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए क्या मैं इन दोनों अल्प सूचना प्रश्नों का उत्तर एक साथ दे सकता हूं ? ऐसा करने में मैं कुछ अन्य तथ्यों को भी सामने रख रहा हूं जिससे परिस्थिति साफ साफ समझ में आ जाये।

इस वर्ष १४ जुलाई को सदन में एक वक्तव्य देते हुए मैंने भारत सरकार तथा जम्मू तथा काश्मीर राज्य सरकार के बीच हुए एक समझौते की शर्तें सदन के सामने रखी थी। एक अल्प सूचना प्रश्न का उत्तर देते हुए १८ नवम्बर, १९५२ को मैंने सदन को बतलाया था कि इस समझौते की शर्तों के अनुसार भारत सरकार तथा जम्मू तथा काश्मीर राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की है। समझौते का कुछ भाग कार्यान्वित कर लिया गया था तथा शेष भागों के सम्बन्ध में यह आशा की जाती थी कि उन्हें संविधान में शामिल कर लिया जायेगा जोकि राज्य की संविधान सभा बना रही है।

जम्मू की प्रजापरिषद् ने आन्दोलन आरम्भ कर दिया। इसके उद्देश्य यह बतलाये गये थे :

(१) राज्य का भारत में पूर्ण रूप से शामिल होना;

(२) राज्य के झन्डे की अपेक्षा भारतीय झन्डे का प्रयोग ; तथा

(३) यदि भारतीय संघ में राज्यपूर्ण रूप से शामिल नहीं होता है तो जम्मू के लोगों को आत्म-निर्णय का अवसर दिया जाये।

युवराज कर्ण सिंह के सदर-ए-रियासत निर्वाचित कर लिए जाने पर इस आन्दोलन ने ज़ोर पकड़ लिया। २४ नवम्बर को जब सदर-ए-रियासत जम्मू आये तो प्रजापरिषद् ने लोगों से उनके स्वागत का बहिष्कार करने तथा हड़ताल मनाने को कहा। वास्तव में हुआ यह कि श्री कर्ण सिंह का शहर में बहुत शानदार स्वागत हुआ। प्रजापरिषद् के कुछ स्वयंसेवकों ने कुछ फाटकों तथा सजावट

को, जोकि लोगों द्वारा लगाये गये थे, नष्ट करके स्वागत में बाधा डालनी चाही । सदर-ए-रियासत की मोटर के पीछे चलने वाली मोटरों पर पत्थर फेंके गये । अन्य प्रकार से कानून भंग करने की कोशिश की गई तथा भड़काने वाले भाषण दिये गये । फिर भी, राज्य सरकार ने दो दिन तक प्रदर्शकों या प्रजापरिषद् के विरुद्ध कोई कार्यवाही न की यद्यपि इस प्रकार के प्रदर्शन जारी रहे ।

२६ नवम्बर को प्रजापरिषद् के सभापति श्री प्रेमनाथ डोगरा तथा १४ अन्य व्यक्तियों को कानून भंग करने के अपराध में गिरफ्तार कर लिया गया । जम्मू शहर, साम्बा, कठुआ, अखनूर, रनबीरसिंहपुरा तथा भद्रवाह में धमकी देकर, गुन्डागीरी करके तथा हिंसात्मक तरीकों से कानून का खुले रूप से भंग किया जाना जारी रहा । पत्थरों के फेंके जाने से अनेक अधिकारीगण तथा पुलिस वाले घायल हो गये । २७ नवम्बर को सम्बा में पुलिस पर पत्थर फेंके गये जिसके कारण अनेक लोग घायल हो गये । इस पर पुलिस वालों ने गोली चला दी किन्तु कोई हताहत नहीं हुआ ।

२८ नवम्बर को ऊधमपुर के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट तथा अनेक पुलिस वालों पर प्रजापरिषद् के स्वयंसेवकों ने पत्थर फेंके जिसके कारण वे घायल हो गये ।

२ दिसम्बर को प्रजापरिषद् के स्वयंसेवकों तथा सहायकों ने अखनूर के एक सरकारी स्कूल पर धावा बोल दिया तथा वहां का फर्नीचर तोड़ डाला और कागज़ात जला दिये ।

३ दिसम्बर को ऊधमपुर में मजिस्ट्रेट, पुलिस इन्सपेक्टर तथा अन्य पुलिस अधिकारियों तथा पुलिसवालों पर पत्थर फेंके गए, जिसके कारण कुछ तो बहुत बुरी तरह घायल हो गये ।

५ दिसम्बर को रनबीरसिंहपुरा के तहसीली खजाने पर प्रजापरिषद् स्वयंसेवकों के नेतृत्व में एक सशस्त्र भीड़ ने हमला करने की कोशिश की । भीड़ में से अनेक लोगों के पास भाले, कुल्हाड़ी तथा लाठियां थीं । खजाने को रक्षा करने वालों ने गोली चला दी किन्तु कोई हताहत नहीं हुआ ।

प्रजापरिषद् स्वयंसेवकों द्वारा पत्थर फेंकने तथा वस्तुओं को नष्ट करने की और भी बहुत सी घटनायें हुई थीं । जहां तक हमें मालूम है, जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है पुलिस ने दो बार गोली चलाई थी । ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों ही बार गोली हवा में चलाई गई थी तथा कोई भी हताहत नहीं हुआ था । एक बार पुलिस ने आंसू-गैस का भी प्रयोग किया था । यह तीन दिसम्बर को ऊधमपुर में किया गया था । यह भी बताया गया है कि पुलिस ने तीन बार लाठी चलाई थी । जनता या प्रजापरिषद् स्वयंसेवकों में से किसी के भी मरने या घायल होने की खबर नहीं मिली है जबकि कर्तव्य का पालन करते हुए अनेक अधिकारियों तथा पुलिस वालों को गहरी चोटें पहुंचने की खबर सुनाई पड़ी हैं ।

बतलाया गया है कि ८ दिसम्बर तक ४०२ व्यक्ति गिरफ्तार किये जा चुके हैं ।

प्रजापरिषद् स्वयंसेवकों की कार्यवाहियों में एक यह भी रही है कि वह कुछ भूस्वामियों को उन ज़मीनों को पुनः ज़बरदस्ती अपने कब्जे में करने में सहायता देते हैं जिन पर से उनका कब्जा भूमि सुधार योजना के अन्तर्गत खत्म किया जा चुका है ।

यह याद रखने की बात है कि प्रजापरिषद् की यह कार्यवाहियां ऐसे क्षेत्र में हो रही हैं जिसको युद्ध क्षेत्र कहा जा सकता है, अर्थात्, जहां पहले लड़ाई लड़ी गई थी तथा जहां आज भी भारतीय सेना सीमा की रक्षा के लिए तैनात है । सेना इस मामले से

बिल्कुल ही अलग रही है तथा इन उपद्रवों को शान्त करने के लिए उसका किसी भी प्रकार से प्रयोग नहीं किया गया है। इनको दबाने में केवल पुलिस की सहायता ली गई है। जैसा कि मैं एक बार पहले कह चुका हूं आंसू गैस वाले दो दस्ते जिसमें से प्रत्येक में १२ आदमी थे तथा १६२ पुलिस वाले पंजाब सरकार द्वारा जम्मू को जम्मू तथा काश्मीर राज्य के कहने पर भेजे गये थे।

अब स्थिति इस प्रकार है कि बड़े पैमाने पर अशान्ति तथा मारधाड़ फैलाने की कोशिशों के बावजूद भी राज्य की सरकार ने इस आन्दोलन को नर्मी से दबाने का प्रयत्न किया है। इस कार्य में राज्य सरकार को उन बहुत से व्यक्तियों का भी समर्थन प्राप्त था जो इस प्रकार के आन्दोलन तथा हिंसा को बुरा समझते थे।

प्रजापरिषद् का आन्दोलन शान्तिमय नहीं रहा है। भारत सरकार तथा जम्मू और काश्मीर राज्य की सरकार के बीच हुए समझौते को ध्यान में रखते हुए यह आन्दोलन उतना ही भारत सरकार तथा इस संसद् के विरुद्ध है, जिसने समझौते तथा उसके अन्तर्गत, की गई कार्यवाही का अनुमोदन किया था जितना कि जम्मू तथा काश्मीर राज्य की सरकार के विरुद्ध। यद्यपि यह मांग की जाती है कि राज्य पूरी तरह से भारत में शामिल हो जाये, किन्तु जो कार्यवाही की जाती है उसका असर उल्टा पड़े बगैर नहीं रह सकता। वास्तव में, यह एक दिलचस्प बात है कि पाकिस्तान में कुछ लोगों तथा समाचार पत्रों ने प्रजापरिषद् के इस आन्दोलन का स्वागत किया है तथा "आज़ाद" रेडियो ने प्रजापरिषद् के स्वयंसेवकों को "प्रजापरिषद्" के "वीर" कह कर सम्बोधित किया है। यह भी ध्यान देने की चीज़ है कि यह आन्दोलन उसी समय आरम्भ किया गया जबकि सुरक्षा परिषद् काश्मीर के मसले पर गौर कर रही थी।

अतः यह पता लगता है कि इस आन्दोलन का वह उद्देश्य नहीं है जोकि बतलाया गया है। प्रजापरिषद् के नेतागणों ने भारत, विशेषकर पूर्वी पंजाब तथा दिल्ली, के कुछ संगठनों के नेताओं से बराबर सम्पर्क बनाये रखा है। यह संगठन हैं--भारतीय जनसंघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा हिन्दू महासभा। भारतीय जनसंघ तथा हिन्दू महासभा के नेताओं ने खुले रूप से परिषद् के आन्दोलन का समर्थन किया है तथा "जम्मू दिवस" मनाने के लिए कहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस आन्दोलन में विशेष दिलचस्पी ली है। प्रजापरिषद् कार्यकर्त्ताओं का एक दल इस समय भी पंजाब तथा पेप्सू में घूम घूम कर स्वयंसेवक भर्ती करने तथा इस कार्य के लिए अमृतसर, जलन्धर, लुधियाना तथा पटियाला में शाखा कार्यालय स्थापित करने का प्रयत्न कर रहा है।

जम्मू में प्रजापरिषद् के आन्दोलन का समर्थन करते हुए मास्टर तारासिंह ने भी एक वक्तव्य निकाला है। ७ दिसम्बर की अमृतसर में हुई एक सभा के दौरान में शिरोमणि अकाली दल तथा हिन्दू महासभा के नेताओं ने गैर-जिम्मेदाराना तथा भड़काने वाले भाषण दिये थे।

हमें सूचना मिली है कि प्रजापरिषद् ने पंजाब तथा दिल्ली में कुछ धन जमा कर लिया है। यह भी कि राशन तथा कुछ हथियार और गोलियां भी इकट्ठी कर ली गई हैं।

ऐसा दिखाई पड़ता है कि इस आन्दोलन को चलाने वाले तथा भारत के अन्य भागों में उनके समर्थक इस आन्दोलन को कुछ ऐसा समझते हैं कि इसका असर न केवल जम्मू प्रान्त पर है बल्कि इसका महत्व कुछ और भी

अधिक है । जम्मू प्रान्त कार्यवाहियां करने का केन्द्र समाझा जाता है ।

जम्मू की स्थिति पूरे तौर से हाथ में है यद्यपि वहां घटनाएं होती ही रहती हैं ।

सदन इस आन्दोलन की आपत्तिजनक समाजविरोधी, प्रतिक्रियावादी तथा विध्वंसकारी प्रवृत्ति को समझने का प्रयत्न करेगा । यदि जायज शिकायतें हैं तो उन पर साधारण-तौर पर शान्तिपूर्वक ढंग से विचार किया जा सकता है । जम्मू तथा काश्मीर राज्य की संविधान सभा एक निर्वाचित सभा है तथा कुल ७५ प्रतिनिधियों में से ३०प्रतिनिधि जम्मू प्रान्त के हैं । इस विधान सभा ने भारत सरकार तथा राज्य सरकार के बीच हुए समझौते को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया है ।

फिर भी, मैं नवयुवक युवराज के प्रति जिन्हे अल्प आयु में ही एक भारी जिम्मेदारी उठानी पड़ी है और जिन्हे अब अनुचित तथा विध्वंसकारी आन्दोलन का सामना करना पड़ रहा है--और वह भी उन लोगों से जिन्हें उनकी इस समय सहायता करनी चाहिए थी --,सराहता और गहरी सहानुभूति प्रगट करना चाहता हूं ।

श्री वी० जी० देशपांडे : क्या यह सत्य है कि सम्बा से जम्मू और काश्मीर राज्य संविधानसभा के सदस्य श्री रामप्यारा सराफ तथा श्री सागर सिंह ने अपने वक्तव्यों द्वारा इस बात का खण्डन किया है कि २७ नवम्बर को लोगों द्वारा कोई हिंसात्मक कार्यवाही की गई या पत्थर फेंके गये तथा क्या यह तथ्य पुलिस महा-निरीक्षक तथा माननीय उपगृह-मंत्री के ध्यान म लाया गया था कि जबकि वे उसी दिन उस स्थान को देखने गये थे ।

श्री जवाहलाल नेहरू : सम्बा म किसी विशेष दिन किसी विशेष घन्टे में पुलिस महा-निरीक्षक का ध्यान किस तथ्य की ओर आकर्षित किया गया इसका मुझे कोई ज्ञान नहीं है ।

श्री वी० जी० देशपांडे : वे राष्ट्रीय सम्मेलन सदस्य थे । उन्होंने वह वक्तव्य प्रकाशित करवाया है । अत: मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय प्रधान मंत्री को इस बात का पता है कि उन्होंने अपने वक्तव्य द्वारा इस बात का खण्डन किया है कि लोगों ने हिंसात्मक कार्यवाही की है या पत्थर फेंके हैं । सदस्यों का कहना है कि इस प्रकार की कोई बात नहीं हुई ।

यदि इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता तो मैं एक दूसरा प्रश्न पूछता हूं । क्या यह सत्य है कि २८ नवम्बर को चार पुलिस वालों को साधारण वस्त्र पहने हुए पकड़ लिया गया था तथा उनकी जेबों में पत्थर थे और उनके नाम पुलिस थाने में लिखवा दिये गये थे । इनमें से तीन को छोड़ दिया गया है तथा ऐसे किराये के टट्टू भेजे .....

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । माननीय सदस्य को प्रश्न पूछने का अधिकार है किन्तु तर्क करने का नहीं और न ही सुझाव देने का ।

श्री वी० जी० देशपांडे : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सब ठीक है ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मेरे पास कोई सूचना नहीं है ।

श्री वी० जी० देशपांडे : क्या इन चार व्यक्तियों के विरुद्ध थाने में रिपोर्ट की गई थी ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जैसा कि मैं पहले ही बतला चुका हूं सम्बा के सम्बन्ध में मेरे पास केवल एक ही निश्चित सूचना है कि २७ नवम्बर को पुलिस उस क्षेत्र में भेजी गई थी । कुछ घायल हो गये थे । पुलिस-वालों की जांच के सम्बन्ध में कोई सन्देह नहीं है । घायल होने के सम्बन्ध में साफ साफ लिखा हुआ है । उन्होंने स्वयं जान कर

अपने आपको घायल किया इसका पता तो माननीय सदस्य ही लगा सकते हैं ।

श्री वी० जी० देशपांडे : मेरा प्रश्न उन सभासदस्यों के सम्बन्ध में था जो उस निर्वाचन क्षेत्र से चुने गये हैं तथा जो राष्ट्रीय सम्मेलन के भी सदस्य हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार के पास कोई सूचना नहीं है ।

श्री वी० जी० देशपांडे : बहुत अच्छा । मैं एक दूसरा प्रश्न पूछता हूं ।

क्या यह सत्य है कि भद्रवाह में लाठी चलाने से २१० व्यक्ति, जिनमें ५० महिलाएं भी थीं, घायल हो गये थे ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जहां तक मुझे ज्ञात है यह सत्य नहीं है ।

श्री वी० जी० देशपांडे : क्या यह सत्य है कि भारत का राष्ट्रीय झण्डा नौशेरा तथा भद्रवाह की सरकारी इमारतों पर से राज्य की पुलिस द्वारा खींच कर उतार डाला गया था ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि भारत का राष्ट्रीय झण्डा केवल कुछ नियमों के अन्तर्गत ही कुछ स्थानों पर लगाया जा सकता है । विशेष अवसरों को छोड़कर आम जनता के लोग भी अपने घरों पर उसको नहीं लगा सकते हैं । यदि लोग ज़बरदस्ती जाकर उन स्थानों पर राष्ट्रीय झण्डा लगा देते हैं जहां उसे नहीं लगाना चाहिए तो यह झण्डे का आदर करना नहीं है । यदि उसे ग़लत स्थान से, उचित ढंग पर, उतार लिया जाता है तो यह झण्डे का अनादर करना नहीं है ।

श्री वी० जी देशपांडे : मैं अपने प्रश्न का सीधा उत्तर चाहता हूं । मेरा प्रश्न यह था कि क्या इन स्थानों से झण्डा खींच कर उतार लिया गया था । मैं यह जानना नहीं चाहता कि उनका ऐसा करना उचित था अथवा नहीं ?

श्री जवाहर लाल नेहरू : सरकार के पास कोई सूचना नहीं है ।

श्री वी० जी० देशपांडे : जम्मू प्रान्त के लिए नियत स्थानों से कितने स्थानों के वास्ते निर्वाचन लड़ा गया था तथा क्या प्रजा परिषद् ने इस निर्वाचन का बहिष्कार किया था ?

श्री जवाहरलाल नेहरू: मेरे विचार में माननीय सदस्य का कहना बिल्कुल ठीक है । जहां तक मुझे याद पड़ता है प्रजा परिषद् ने निर्वाचन नहीं लड़े तथा इनमें अधिकतर स्थान बिना निर्वाचन लड़े ही भरे गये थे ।

श्री वी० जी० देशपांडे : दोनों ओर से जिन तथाकथित ज़्यादतियों या क्रूरता का उल्लेख किया गया है क्या सरकार का विचार उनकी जांच करवाने के लिए एक ऐसा निष्पक्ष आयोग नियुक्त करने का है जिसमें उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हों ?

उपाध्यक्ष महोदय: यह कार्यवाही के लिए सुझाव है ।

श्री एम० एस० गुरूपादस्वामी : क्या इस आन्दोलन का उद्देश्य जम्मू और काश्मीर को भारत में पूरी तौर से शामिल कराना है जिससे जम्मू और काश्मीर के लोग संविधान में दिये गये अधिकारों का पूरी तरह से लाभ उठा सकेंगे ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं पहले ही बतला चुका हूं कि इसके तीन उद्देश्य हैं जिनमें से एक भारत में पूरी तरह से शामिल भी होना है ।

श्री एम० एस० गुरूपादस्वामी : क्या यह सत्याग्रह केवल जम्मू तथा लद्दाख के कुछ

भागों तक सीमित है अथवा अब यह राज्य के अन्य भागों मे भी फैलता जाता है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं ने लद्दाख के किसी भाग से इसका सम्बन्ध नहीं सुना तथा मेरे विचार में यह जम्मू प्रान्त के समस्त भागों तक में भी नहीं फैलता है। यह जम्मू प्रान्त के केवल कुछ भागों तक सीमित है।

श्री वी० जी० देशपांडे : क्या यह सत्य है कि लद्दाख के माने हुए प्रतिनिधि बाकुल लामा ने एक वक्तव्य निकाला है कि वे उस काशमीर का भाग बन कर नहीं रहना चाहते जो वास्तव में पूर्णरूप से स्वतंत्र होगा तथा वे पूर्णरूप से भारत में शामिल होना चाहते हैं और उन्होंने यह भी मांग की है कि भारत का संविधान पूर्णरूप से लद्दाख में लागू किया जाये तथा क्या उस राज्य के लिये उन्होने प्रादेशिक स्वायत्तशासन की भी मांग की है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : माननीय सदस्य किस समय दिये गये वक्तव्य की बात कह रहे हैं ?

श्री वी० जी० देशपांडे : दिल्ली आने से पांच दिन पूर्व। यनाइटेड प्रेस आफ इन्डिया ने इस वक्तव्य को प्रकाशित किया है तथा यह दिल्ली के समस्त समाचार पत्रों में छपा भी है।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैंने उसे नहीं पढ़ा है। वह मुझ से मिलने आये थे तथा उन्होंने इस प्रकार की अधिकतर कार्यवाहियों से अपने आप को दूर रखने का विचार प्रगट किया था। उन्होंने लद्दाख के लिये एक ऐसी परामर्शदात्री परिषद की मांग की है जिसे कुछ स्वायत्तता तथा अधिकार प्राप्त हों। उन्होंने मुझ पर इस बात के लिये जोर दिया था तथा मेरे विचार में काशमीर में जो नया संविधान बनाया जा रहा है उसमें इस बात पर भी विचार किया जा रहा है।

श्री वी० जी० देशपांडे : क्या सरकार सदन के सामने उस साक्ष्य को रखने के लिये तैयार है जो उसे हिन्दू महासभा या अकाली दल या जन संघ के सदस्यों के विरुद्ध हथियार या गोलाबारूद आदि जमा करने, हिंसात्मक कार्यवाहियों में योग देने तथा अपने लाभ के लिये जम्मू, लद्दाख और काशमीर के परे भी उपद्रव करवाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुई है ? क्या सरकार उस सब सामग्री को सदन के सामने रखने के लिये तैयार है जो उसके पास है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं ने यह नहीं कहा है कि हिन्दू महासभा या अन्य कोई संस्था हथियार आदि जमा करती रही है। मैंने तो केवल इतना कहा है कि वे प्रजा परिषद के नेताओं के साथ बहुत अधिक सम्पर्क में रहे हैं, सार्वजानिक वक्तव्यों द्वारा उन्होंने उसका समर्थन किया है, उन्होंने "जम्मू दिवस" मनाने के लिये जनता से अपील की है, मेरे विचार में, परसों ही उन्होंने अपने भाषण में उनका समर्थन किया है। गुप्त रूप से उन्होंने क्या किया है इसका मुझे कोई ज्ञान नहीं है।

श्री एम० एस० गुरूपादस्वामी : क्या यह सत्य है कि ४ दिसम्बर को विश्नाह में बिशनदास को गिरफ्तार कर लिया गया था तथा उसको पुलिस ने तब तक मारा था जब तक कि वह बेहोश नहीं हो गया था तथा वह इसी हालत में १२ घंटे तक पडा रहा था ?

श्री जवारहलाल नेहरू : जी नहीं। मैंने इस घटना अथवा नाम के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं सुना है।

सरदार हुक्म सिंह : क्या अकाली दल के किसी प्रतिनिधि ने उस प्रकार का वक्तव्य दिया था ? क्या माननीय प्रधान मंत्री के कहने का अभिप्राय यह है कि उस वक्तव्य में जो कुछ कहा गया था वह सक्रिया रूप से

भाग लेने अथवा इन चीजों को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में था मुझे यह पढ़ कर आश्चर्य हुआ है ।

श्री जवाहरलाल नेहरू: जब मैं विवरण पढ़ रहा था तो क्या माननीय सदस्य यहां पर थे ?

सरदार हुक्मसिंह : जी नहीं ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं ने कहा था कि मास्टर तारा सिंह ने एक वक्तव्य निकाला था तथा मैं यह मानता हूं कि शिरोमणी अकाली दल के वह एक प्रमुख सदस्य हैं । उन्होंने एक वक्तव्य जारी किया है तथा इस आन्दोलन का पूरी तरह से समर्थन किया है । चार या पांच दिन हुए अमृतसर में हुई आकाली दल तथा हिन्दू महासभा की एक संयुक्त सभा में बहुत ही भडकाने वाले भाषण दिये गये थे ।

श्री वी० जी० देशपांडे : इस आन्दोलन में कितने मुसलमान गिरफ़्तार किये गये हैं ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं कुछ भी नहीं कह सकता । मेरे विचार में दो मुसलमान गिरफ़्तार किये गये हैं । उन्हें किन कारणों से गिरफ़्तार किया गया है यह है मैं नहीं जानता ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं दूसरा अल्पसूचना प्रश्न लेता हूं ।

'दिल्ली स्कूल आफ सोशल वर्क'

श्री केलप्पन : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि "दिल्ली स्कूल आफ़ सोशल वर्क" अनिश्चित काल के लिये बन्द कर दिया गया है ; तथा

(ख) इसके बन्द करने के क्या कारण हैं ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) :

(क) तथा (ख)। 'दिल्ली स्कूल आफ़ सोशल वर्क ' को जो एक पोस्ट-ग्रेडुएट संस्था है तथा दिल्ली विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है, अनिश्चित काल के लिये इसलिये बन्द कर दिया गया है क्योंकि विद्यार्थीयों का एक दल स्कूल के अन्दर सभाएं तथा जलूस निकालता था जिसके कारण स्कूल का साधारण कार्य चलाना कठिन हो गया । अपराध करने वाले विद्यार्थियों के विरुद्ध अनुशासनीय कार्यवाही करने की अपेक्षा, प्रिन्सपल ने, प्रबन्ध करने वाली संस्था की राय लेते हुए, निम्न लिखित कारणवश स्कूल को बन्द करने का निश्चय किया । स्कूल की सावधिक परीक्षा १० दिसम्बर से आरम्भ होती तथा बडे दिन की छुट्टियां भी परीक्षा समाप्त होते ही आरम्भ होती । स्कूल का अगला अवधिकाल ७ जनवरी से आरम्भ होगा तथा सरकार को मालूम हुआ कि स्कूल उस दिन से फिर काम करना आरम्भ कर देगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : इसी विषय के सम्बन्ध में मुझे श्री माधव रेड्डी तथा श्री पुन्नूस द्वारा भेजे गये भी अल्पसूचना प्रश्न प्राप्त हुए हैं । अत: अनुपूरक प्रश्न पूछने के सम्बन्ध में मैं उनको प्राथमिकता दूंगा ।

श्री टी० एस० मूर्ति : मैं ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी जिसे इस अल्पसूचना प्रश्न को ध्यान में रखते हुए उठा रखा गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा, माननीय सदस्य को भी मौका दिया जायेगा ।

श्री केलप्पन : स्कूल बन्द करने की अनुमति किसने दी ?

उपाध्यक्ष महोदय : प्रबन्ध करने वाली संस्था ने ।

श्री केलप्पन: क्या प्रबन्ध करने वाली संस्था की सभा में सभापति मौजूद थे ?

श्री के० डी० मालवीय : मुझे इसका पता नहीं है ।

श्री केलप्पन : क्या उपसभापति, राजकुमारी अमृतकौर बैठक में मौजूद थीं ?

श्री के० डी० मालवीय : उस बैठक में प्रबन्ध करने वाली संस्था ने क्या क्या किया इसका मुझे कोई ज्ञान नहीं है ।

श्री वी० एस० मूर्ति : क्या यह सत्य

उपाध्यक्ष महोदय : जी नहीं । श्री गाडगिल ।

श्री गाडगिल : क्या ७ जनवरी को स्कूल पुन: खुलने पर स्थगित की गई परिक्षा ली जायेगी जिससे विद्यार्थियों को इस प्रकार स्कूल के बन्द किये जाने से हानि न हो ?

श्री के० डी० मालवीय : हम चाहे जितना भी चाहें कि विद्यार्थियों का समय नष्ट न हो फिर भी हम इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि प्रबन्ध करने वाली संस्था इस सम्बत्ध में क्या करेगी यह बतलाना सम्भव नहीं है ।

श्री गाडगिल : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सामाजिक कार्य के लिये एक यही पोस्ट ग्रेजुएट कालेज है, क्या सरकार यह नहीं समझती कि इस मामले में उस पर भी कुछ जिम्मेदारी है तथा विभिन्न राज्यों से आने वाले ४६ विद्यार्थियों का जिस में १४ ग्रेजुएट लड़कियां भी हैं, इस मामले में भारत सरकार से थोड़ी बहुत सहायता की आशा करना उचित ही है ?

श्री के० डी० मालवीय : जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं हमें विभिन्न राज्यों से आने वाले विद्यार्थियों से सहानुभूति है । यदि इस मामले में उचित प्राधिकारी हम से सलाह लेने आवें तो हम निस्सन्देह,- उन्हें यही सलाह देंगे कि विद्यार्थियों का समय नष्ट नहीं किया जाना चाहिये तथा यदि सम्भव हो तो परीक्षा ली जानी चाहिये । परन्तु जैसा कि मैं अभी बतला चुका हूं कि हम यह कहने की स्थिति में नहीं हैं कि प्रबन्ध करने वाली संस्था अथवा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी इस सम्बन्ध में क्या करेंगे ।

श्री गाडगिल : मैं इस बात को अच्छी तरह से समझता हूं कि भारत सरकार औपचारिक रूप से कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है । परन्तु, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय को भारत सरकार से आर्थिक सहायता मिलती है तथा यह कालेज विश्व-विद्यालय की देखरेख में चलता है, इसलिये मैं ने जो सुझाव रखे हैं क्या भारत सरकार का अनौपचारिक रूप से भी इस सम्बन्ध में कुछ करना लाभदायक न होगा ?

श्री के० डी० मालवीय : मेरे विचार में भारत सरकार इस मामले में कोई अनौपचारिक निदेश नहीं दे सकती है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या प्रबन्ध करने वाली संस्था ने इस मामले का निर्देश विश्व-विद्यालय प्राधिकारियों को किया है ?

श्री के० डी० मालवीय : यह एक ऐसा मामला है जिसके बारे में विश्वविद्यालय प्राधिकारियों तथा प्रबन्ध करने वाली संस्था को निबटाना है । विश्वविद्यालय एक स्वायत्रशासी संस्था है । वह इस मामले को अपने ढंग से निबटायेगी तथा सरकार इस में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है ।

श्री बी० एस० मूर्ति: क्या सरकार को मालूम है कि यह सब मामला २७ नवम्बर को स्कूल के अन्दर होने वाली एक सभा के कारण हुआ था जब कि वहां एक अमेरिकन प्रतिनिधि मौजूद थे और प्रिन्सपैल तथा विद्यार्थियों के बीच इस सम्बन्ध में कुछ तनातनी हो गई थी कि उस प्रतिनिधि को सम्मान पत्र भेंट किया जाये अथवा नहीं जब कि प्रिन्सपल ऐसा करना चाहते थे ?

श्री के० डी० मालवीय : जी नहीं । जहां तक मुझे ज्ञात है इस सब मामले के कारण कुछ और ही हैं । कदाचित्, बाहर

के कुछ गैर जिम्मेदार लोग कालेज के सामान्य रूप से चलने में बाधा डालने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या सरकार के पास इस सम्बन्ध में कोई निश्चित सूचना है ?

श्री पून्नूस: सरकार ने बतलाया कि स्कूल को प्रदर्शन करने या ऐसी ही किसी बात के कारण बन्द कर दिया गया । परन्तु क्या सरकार ने यह देखा है कि प्रिन्सपल ने जो सूचना पत्र लगाया है उसमें इस घटना का कुछ भी तो उल्लेख नहीं किया गया है ?

श्री के० डी० मालवीय : मैंने सूचना-पत्र नहीं देखा है ।

श्री पून्नूस : क्या सरकार उसे पढ़ने का प्रयत्न करेगी ?

राजस्व तथा व्यय मंत्री (श्री त्यागी) : कोई जरूरी नहीं है ?

श्री गिडवानी : प्रबन्ध करने वाली संस्था में क्या सरकार का कोई प्रतिनिधि है ?

श्री के० डी० मालवीय : मुझे मालूम नहीं है ।

श्री केलप्पन: क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि स्कूल को बन्द किये जाने का नोटिस कब निकाला गया था ?

उपाध्यक्ष महोदय : स्कूल बन्द करने का नोटिस स्कूल प्राधिकारियों ने कब दिया था ?

श्री के० डी० मालवीय: मुझे मालूम नहीं है कि नोटिस ठीक किस तारीख को निकाला गया था ।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या सरकार को मालूम है कि नोटिस विद्यार्थियों के कमरों पर लगा दिये गये हैं तथा बहुत से विद्यार्थियों से कमरे खाली करने के लिये कहा गया है ?

उपाध्यक्ष महोदय: होस्टल भी बन्द कर दिया गया है ?

डा० लंका सुन्दरम: क्या यह सत्य है कि भारत सरकार विश्वविद्यालय को प्रति वर्ष २५ लाख रुपये की आर्थिक सहायता देती है ?

श्री के० डी० मालवीय : जी हां ।

डा० लंका सुन्दरम : क्या यह सत्य है कि ६४ विद्यार्थियों में से १६ अन्तिम वर्ष के छात्र हैं तथा ऐसी कार्यवाही करने का यह अर्थ होगा कि उनका सारा समय नष्ट हो जायेगा ?

श्री के० डी० मालवीय: हो सकता है ।

श्री एच० एन० मूखर्जी : क्या सरकार को मालूम है कि इस कालेज के प्रिन्सपल ने विद्यार्थियों के एक ऐसे प्रतिनिधि-मण्डल से मिलने के लिये बार बार मना कर दिया जो कालेज के सामान्यरूप से चलाये जाने के सम्बन्ध में अपना सहयोग देना चाहता था और क्या सरकार को यह भी मालूम है कि प्रिन्सपल ने ७ दिसम्बर को एक नोटिस जारी करके विद्यार्थियों से ९ दिसम्बर तक कमरे खाली कर देने के लिये कहा था अर्थात्, भारत के विभिन्न राज्यों से आने वाले विद्यार्थियों को दिल्ली से वापस जाने के लिये अपना प्रबन्ध करने के वास्ते बहुत थोड़ा समय दिया था ?

श्री के० डी० मालवीय: जहां तक मुझे मालूम है तथा जहां तक प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है उप कुलपति ने मध्यस्थ का कार्य करके मामले को निबटाना स्वीकार कर लिया था तथा प्रिन्सपल भी मामला निबटाने को तैयार हो गये थे । जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूं ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या सरकार को मालूम है कि छात्राओं को होस्टल से निकाल दिया गया है तथा वे अपने माता-

पिता की आज्ञा बिना ही दिल्ली में अपने मित्रों के साथ रह रही हैं ? क्या सरकार उन छात्राओं की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर लेने के लिये तैयार है जो भारत के विभिन्न भागों से आई हुई हैं और जो अब अपने माता पिता की आज्ञा लिये बिना ही दिल्ली में अपने मित्रों या अन्य व्यक्तियों के साथ रह रही हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : जहां तक मुझे मालूम है प्रिन्सपल ने आवश्यक कार्यवाही कर दी है । जहां तक कालेज को बन्द करने का सम्बन्ध है प्रिन्सपल ने ऐसा कर दिया है तथा आदेश जारी किये जा चुके हैं ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : श्रीमान्, एक और प्रश्न ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्या प्रश्न नहीं पूछ रही हैं बल्कि कार्यवाही के लिये सुझाव रख रही हैं ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है । भारत के विभिन्न भागों से, बिहार, मद्रास, तथा बंगाल से छात्राएं आई हैं । यह छात्राएं नवयुवतियां हैं तथा उन्हें कमरों से निकाल दिया गया है । क्या सरकार इन छात्राओं की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रही है ? क्या सरकार इस बात का पता लगाने जा रही है कि होस्टल से कितनी छात्राओं को निकाल दिया जया है तथा इन में से कितनी अपने माता पिता की आज्ञा लिये बिना ही दिल्ली में अपने मित्रों अथवा अन्य व्यक्तियों के साथ रह रही हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : होस्टल से किसी को भी नहीं निकाला गया है । होस्टल को साधारण तौर पर बन्द कर दिया गया है क्यों कि स्कूल कुछ दिनों में बन्द होने वाला है तथा आशा की जाती है कि वे अपने अपने घरों को वापस चले जायेंगे । किसी को निकाला नहीं गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं ने इस प्रश्न के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी है । क्यों कि इस मामले के कारण शहर में सब जगह सनसनी फैली हुई है, बहुत सी छात्राओं को उनके होस्टल में खाने नहीं दिया जाता है तथा वे इधर उधर घूमती फिरती हैं, इसीलिये मैं ने अल्प सूचना प्रश्न पूछने की अनुमति देदी है । मुझे विश्वास है कि सरकार अवश्य ही इस बात को ध्यान में रखेगी ।

प्रधान मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू) : प्रश्न और उत्तरों से जो कुछ सूचना प्राप्त हुई उसके अलावा मुझे कोई जानकारी नहीं थी । फिर भी, चाहे वैधानिक स्थिति कुछ भी क्यों न हो, सरकार ऐसी घटनाओं की ओर से आंखें बन्द नहीं कर सकती है ।

डा० लंका सुन्दरम् : क्या सरकार को यह मालूम है कि इस महीने की ९ तारीख को निम्न लिखित सूचना प्रिन्सपल द्वारा लटकवा दी गई थी, अर्थात् ;

"कल चार बजे शाम को होस्टल के कमरों के दरवाजों पर ताले लगा दिये जायेंगे तथा दो मुख्य फाटक बन्द कर दिये जायेंगे । प्रिन्सपल की आज्ञा बिना कोई भी व्यक्ति आ जा नहीं सकेगा ।

(हस्ताक्षर) डी मोज़ेज़"

श्री के० डी० मालवीय : क्या मैं एक वक्तव्य दे सकता हूं ? स्कूल के अन्दर रोजाना प्रदर्शन किये जाते थे तथा एक शिक्षक को नौकरी समाप्त करने की सूचना भी दे दी गई थी । उसे तीन मास की पूर्व सूचना दी गई थी । प्रिन्सपल ने उसे तीन महीने का वेतन देकर चले जाने को कहा । विद्यार्थी संघ का सभापति इस शिक्षक का

सम्बन्धी था तथा सभापति ने इस पर आन्दोलन आरम्भ कर दिया। इसी बीच में शिक्षक से कहा गया कि वह साधारणतौर पर प्रार्थना पत्र दे जिस पर विचार किया जायेगा। उस ने कहा कि वह विश्वविद्यालय के कुलपति को प्रार्थना पत्र भेजेगा। इस प्रकार उसने सहयोग देने से इन्कार कर दिया। संघ के सभापति ने स्कूल में प्रदर्शन करना आरम्भ कर दिया। प्रिन्सपल ने विद्यार्थियों को सजा देने की बजाय प्रबन्ध करने वाली संस्था की राय लेकर कालेज को बन्द करना ठीक समझा। इस सम्बन्ध में हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं क्यों कि विश्वविद्यालय एक स्वायंत्तशासी संस्था है। जब यह घटना हुई तो हमने उपकुलपति को बुलाया तथा उनसे सब बातें पूछी। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को समझा बुझा कर इस बात पर राजी किया जा रहा है कि वे स्कूल में साधारण ढंग पर कार्य करें। किन्तु जब विद्यार्थियों ने सलाह न मानी तो प्रिन्सपल ने अपने विवेक से काम लेकर कालेज को बन्द करना पसन्द किया। केवल यह बात है। जहां तक छात्राओं को होने वाली असुविधा का सम्बन्ध है हम इस बात को स्वीकार करते है कि उन्हें बहुत ही असुविधा उठानी पडी है तथा हम ने प्रिन्सपल को सलाह दी है कि वह इस मामले की देखभाल करे तथा उन विद्यार्थियों को सब प्रकार की सहायता देने का प्रबन्ध करे जो कालेज के बन्द हो जाने पर भी दिल्ली में रहना चाहते हैं। यदि कोई छात्रा प्रिन्सपल से आकर सहायता मांगती है तो उसे हर प्रकार की सहायता दी जायगी जिससे उसे किसी प्रकार की असुविधा न हो।

श्री गाडगिल : मेरे माननीय मित्र ने जो उत्तर दिया है वह कुछ अधूरा सा है। दो छात्राएं–मैं उनका नाम तक बतलाने के लिये तैयार हूं – कल सबेरे मेरे पास आईं .....

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। माननीय प्रधान मंत्री इस में दिलचस्पी ले रहे हैं। पहले उन्हें इस बात का पता नहीं लगा। आज हमारे सामने अनुपूरक मांगे हैं जिन्हें ५ बजे तक स्वीकार अथवा अस्वीकार किया जाना है। मेरा निवेदन है कि यदि माननीय सदस्यों को इस सम्बन्ध में और कुछ कहना है तो वे प्रधान मंत्री से मिल सकते हैं। सुझावों और प्रतिसुझावों को रख कर मैं अब सदन का और समय नहीं लेना चाहता। क्या किया जाना चाहिये और क्या नही किया जाना चाहिये यह तो मैं बतलाने की स्थिति में नहीं हूं, किन्तु साथ ही मैं इस मामले पर बहस करने की अनुमति भी नहीं देना चाहता।

श्री गाडगिल : मैं केवल एक सुझाव रखना चाहता हूं। बहुत से विद्यार्थियों को ताला बन्द हो जाने के कारण निकलना पड़ा। उन्हें दो दिन और दिये जाते जिससे वे अपने रहने का प्रबन्ध कर सकतीं। वे चाहती थीं कि जब तक उनके अभिभावकों से रुपया न आ जाये तब तक उन्हे वहीं रहने दिया जाये। सम्बद्ध महिला ने उनके कमरों के ताले लगा दिये तथा मुझे उनके रहने का प्रबन्ध लोदी रोड पर करना पड़ा।

श्री के० डी० मालवीय : प्रिन्सपल हर प्रकार की सहायता देने के लिये तैयार है।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मेरे विचार में इस मामलें को यहीं पर छोड़ दिया जाये। मैं स्वयं इस मामले की जांच करूंगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

अपहृत महिलाओं को पुनः प्राप्त करना

*११२६. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत ६ महीनों में पूर्वी पंजाब में

क्या खोज तथा पुनः प्राप्त करने वाली संस्था ने अपहृत महिलाओं को पुनः प्राप्त करने के सम्बन्ध में कोई प्रयत्न किया है ; तथा

(ख) इस अवधि में कितनी मुस्लिम महिलाओं को पुनः प्राप्त किया गया ?

वैदेशिक-कार्य उपमन्त्री (श्री अनिल के० चन्दा): (क) पंजाब (भारत) में १२ जून, १९५२ से ३५ अक्तूबर, १९५२ तक अपहृत व्यक्तियों की कोई खोज नहीं की गई। फिर भी १ नवम्बर, १९५२ से यह काम फिर आरम्भ कर दिया गया है।

(ख) १ नवम्बर १९५२ से २८ नवम्बर १९५२ तक ९६ मुस्लिम अपहृत व्यक्तियों को ढूंढ निकाला गया है।

रबर प्लाई ट्रान्समिशन एन्ड कनवेयर बैल्टिंग

*११२७. **सरदार हुक्म सिंह**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत की किसी फैक्टरी में रबर प्लाई ट्रान्समिशन एण्ड कनवेयर बैल्टिंग (मोटर के पुर्जे) तैयार होती हैं ; तथा

(ख) यदि नहीं, तो क्या इनका उत्पादन करने के लिये कोई नयी फैक्टरी स्थापित करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) मोटरों के लिये रबर प्लाई ट्रान्समिशन बैल्टिंग तथा फैन बैल्टिंग भारत में तैयार की जाती हैं। कनवेयर बैल्टिंग भारत में नहीं बनाई जाती हैं।

(ख) मेसर्स डनलप रबर कम्पनी (इन्डिया) लिमिटेड, कलकत्ता ने रबड से ढकी कनवेयर बैल्टिंग बनाने के लिये एक नया संयंत्र स्थापित किया है।

भारतीय टैकनिकल व्यक्तियों का उपयोग

*११२८. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान अमेरिका में भारत के राजदूत श्री जी० एल० मेहता के भाषण की पी० टी० आई० द्वारा परिचालित उस रिपोर्ट की ओर आकर्षित किया गया है—जो कि उन्होंने बम्बई की एक प्लास्टिक फर्म द्वारा आयोजित किये गये उत्सव पर दिया था और जो २१ अगस्त, १९५२ के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित हुई है —जिसमें उन्होंने देश में उपलब्ध भारतीय टैकनिकल व्यक्तियों के समुचित निर्धारण तथा उपयोग का उल्लेख किया था ; तथा

(ख) क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने का है जिस से देश में उपलब्ध भारतीय टैकनिकल व्यक्तियों के उचितरूप से उपयोग किये जाने को प्रोत्साहन मिले ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां।

(ख) सरकार इस समय भारत के वैज्ञानिक तथा टैकनिकल व्यक्तियों का राष्ट्रीय रजिस्टर तैयार कर रही है तथा इसके तैयार कर लिये जाने पर उपलब्ध टैकनिकल व्यक्तियों के उचितरूप से उपयोग किये जाने पर विचार किया जायेगा।

जोंक नदी घाटी परियोजना

*११३८. **श्री जांगड़े**: क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जोंक नदी घाटी परियोजना (मध्य प्रदेश) का जांच परिमाप, संच्छिद्रण (बोरिंग), वेधन (ड्रिलिंग) आदि से सम्बन्धित काम अक्तूबर मास में पूरा हो चुका है, जैसा कि पिछले सत्र में मेरे प्रश्नों के उत्तर में बतलाया गया था ;

(ख) क्या मध्य प्रदेश की तावा, अपर महानदी तथा बारगी नदी घाटी परियोजनाओं का भी जांच, परिमाप, संच्छिद्रण और वेधन से सम्बन्धित काम पूरा हो चुका है ; तथा

(ग) क्या अब मध्य प्रदेश सरकार जोंक नदी घाटी परियोजना के व्यय का अंश बंटाने के लिये सहमत हो गयी है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं । केवल नदी की तह में—वेधन तथा जलाशय के परिमाप से सम्बन्ध रखने वाला कार्य रह गया है ।

(ख) नक्शे, प्राक्कलन तथा रिपोर्ट आदि तैयार करने के काम को छोड़ कर, जो कि हो रहा है, तावा, अपर महानदी के समबन्ध में जांच पड़ताल का काम (परिमाप, संच्छिद्रण तथा वेधन आदि) पूरा हो चुका है । बारगी परियोजना के सम्बन्ध में केवल जल, मौसम तथा कीचड़ सम्बन्धी आंकड़े जमा करने का काम हो रहा है । आर्थिक संकट के कारण अन्य कार्यों को १९५० में बन्द कर दिया गया था ।

(ग) मध्य प्रदेश की परियोजनाओं के सम्बन्ध में जांच पडताल पर आन वाले व्यय के अंश को बांटने के बारे म अभी अन्तिम रूप से समझौता नहीं हुआ है ।

जोंक नदी घाटी परियोजना

*११३९. **श्री जांगड़े** : (क) क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे, जिस में अब तक जोंक नदी घाटी परियोजना पर किये गये व्यय और पूरे हुए काम के ब्योरे दिये गये हों ?

(ख) जोंक नदी घाटी परियोजना के काम की प्रगति पर विचार करते हुए क्या सरकार किसी निष्कर्ष पर पहुंची है कि उक्त बांध का काम आगे चलाना है या नहीं ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [**देखिए परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ५**]

(ख) जी नहीं । नीव के सम्बन्ध में जांच पड़ताल अब भी जारी है ।

एंग्लो-इरानियन कम्पनी के भारतीय कर्मचारी

*११४७. **श्री के० सी० सोधिया** : (क) क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि एंग्लो–इरानियन आयल कम्पनी द्वारा आबदान तथा ईरान के अन्य तेल क्षेत्रों से कितने भारतीय कर्मचारी हटाये गये थे ?

(ख) इनमें से कितने व्यक्तियों को भारत में नौकरी मिल गई है ?

(ग) इनमें से कितन व्यक्तियों को सरावाक आयल फील्ड्स लिमिटेड ने नौकर रख लिया था ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) सन् १९५१ म भारत लौटने वालों की कुल संख्या ७८५ थी ।

(ख) ठीक ठीक सूचना उपलब्ध नहीं है । सरकार को पता लगा है कि इस समय एंग्लो-इरानियन आयल कम्पनी के केवल १०६ भूतपूर्व कर्मचारी बेकार हैं ।

(ग) लगभग ८८

'तलमा वैली एग्रीकल्चरल कारपोरेशन को ऋण

*११४८. **श्री माधव रेड्डी** : क्या **पुनर्वास मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे

कि क्या यह सत्य है कि जलपायगुड़ी में ३१८ विस्थापित कुटुम्बों को फिर से बसाने के लिए पश्चिमी बंगाल सरकार ने 'तलमा वैली एग्रीकल्चरल कारपोरेशन' नामक संस्था को लगभग आठ लाख रुपये का ऋण दिया था तथा इस संस्था ने कुछ अंश छोड़ कर, शेष रुपये को पुनर्वास के कार्य में नहीं लगाया तथा अब यह कौलोनी उजाड़ पड़ी हुई है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : यह योजना भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित नहीं की गई थी और इसीलिए इसमें उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है ।

नार्थ एवन्यू नई फ्लैटें

*११४९. **श्री माधव रेड्डी** (क) क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या नार्थ एवन्यू में नई फ्लैटें बनाने के लिए, जो कि अब बनाई जा रही हैं, टेण्डर मांगे गये थे ?

(ख) प्रत्येक फ्लैट के बनाने का औसतन खर्च क्या है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) माननीय सदस्य का ध्यान तारांकित प्रश्न संख्या ७३७ के भाग (ख) की ओर आकर्षित किया जाता है जिसका उत्तर २६ नवम्बर, १९५२ को दिया गया था ।

खाद्य भेंटों के साथ सोवियत प्रतिनिधि का दौरा

*११५०. **श्री के० सुब्रह्मण्यम्** : (क) क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या एक प्रतिनिधि मंडल, जिसमें सोवियत अधिकारीगण तथा नागरिक, शामिल थे, हाल ही में भारत में इसलिए आया था जिससे सोवियत संघ द्वारा मद्रास के अभाव क्षेत्रों के लिए भेजी गई कुछ खाद्य भेंटों को रस्मी तौर पर प्रदान किया जा सके ?

(ख) प्रतिनिधि-मंडल को सरकार ने बुलाया था या वह स्वयं अपने आप आया था ?

वैदेशिक कार्य उप-मंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) भारतीय रेड क्रास को खाद्य की भेंट तथा धन देने के लिए गत सितम्बर में पांच व्यक्तियों का एक रूसी मज़दूर संघ प्रतिनिधि-मंडल भारत आया था ।

(ख) सरकार ने उसे नहीं बुलाया था किन्तु सरकार को इसकी सूचना दे दी गई थी तथा उससे इसके लिए मंजूरी मांगी गई थी । मंजूरी दे दी गई थी ।

बंगलौर में अखिल भारतीय रेडियो का स्टेशन

*११५१. **श्री मादिया गौडा** : (क) क्या **सूचना तथा प्रशारण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या बंगलौर में एक अखिल भारतीय रेडियो स्टेशन खोलने के सम्बन्ध में स्थान तथा बिजली का प्रश्न हल हो गया है ?

(ख) इस परियोजना के सम्बन्ध में आवश्यक निर्माण कार्य कब हाथ में लिया जायेगा ?

(ग) इस परियोजना के लिए कितनी राशि नियत की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी नहीं, मामला विचाराधीन है ।

(ख) एक उपयुक्त स्थान के अर्जन कर लेने के पश्चात् ।

(ग) १७ लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है ।

उत्तरी एटलांटिक संधि संगठन के साथ सम्बन्ध

*११५२. **श्री एच० एन० मुखर्जी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तरी एटलांटिक सन्धि संगठन के साथ किसी प्रकार का सम्बन्ध स्थापित किया है; तथा

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार का ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) (क) जी नहीं । सरकार ने उसके साथ किसी प्रकार का सम्पर्क अथवा सम्बन्ध स्थापित नहीं किया है ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

ब्रिटिश सरकार द्वारा गुरखों की भर्ती

*११५३. **श्री एच० एन० मुखर्जी :** क्या **प्रधान मंत्री** तारांकित प्रश्न संख्या ४० के सम्बन्ध में, जो भारतीय भूमि पर ब्रिटिश सरकार द्वारा गुरखों की भर्ती के बारे में था, ५ नवम्बर, १९५२ को दिये गये अपने उत्तर का निर्देश करने की कृपा करेंगे तथा बतलायेंगे कि :

(क) भारत में गुरखा सैनिकों की भर्ती के लिए दी जाने वाली अस्थायी सुविधाओं के सम्बन्ध में क्या ब्रिटिश सरकार के साथ हुए समझौते में कोई समय-सीमा रखी गई है;

(ख) क्या उस समझौते में कोई ऐसा भी उपबन्ध है जिसके अन्तर्गत निश्चित समय से पूर्व ही समझौता समाप्त किया जा सकता है ; तथा

(ग) क्या सरकार ने कोई समय-सीमा निश्चित कर दी है जिसके पश्चात् उक्त सुविधाएं बिल्कुल समाप्त कर दी जायेंगी ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) तथा (ख). समझौते के ज्ञापन में किसी समय-सीमा का उल्लेख नहीं किया गया है, किन्तु यह कहा गया था कि यह व्यवस्था केवल थोड़े समय के लिए है जब तक कि और कोई प्रबन्ध नहीं हो जाता है ।

(ग) भारत सरकार ने ब्रिटिश सरकार को सूचित कर दिया है वह इन सुविधाओं को शीघ्र से शीघ्र समाप्त करना चाहती है । ब्रिटिश सरकार ने अपने उत्तर में कहा है कि वह इस सम्बन्ध में हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए तैयार हैं तथा इस बारे में, उन्होंने नेपाल सरकार से पत्र-व्यवहार आरम्भ कर दिया है । कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है ।

सूत सहकारी समितियां

*११५५. **श्री कक्कन : क्या वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार के पास राज्य सरकारों द्वारा सूत सहकारी समितियां चला कर हस्तकरघा केन्द्रों में हस्तकरघा जुलाहों को सूत की नियमित सप्लाई बनाये रखने की कोई योजना है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : सरकार चाहती है कि हस्त करघा जुलाहों को सहकारी प्रयत्न में प्रोत्साहन मिले, जिसमें सूत की सप्लाई को प्राप्त करने के सम्बन्ध में की जाने वाली कार्यवाही भी शामिल है ।

सूचना कार्यालय में भारतीय भाषा विभाग

*११५६. **डा० रामा राव:** क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार के सूचना कार्यालय में कितने भारतीय भाषा विभाग खुले हुए हैं ?

(ख) यदि उक्त सूची में भारत की समस्त महत्वपूर्ण भाषाएं शामिल नहीं हैं तो क्यों ?

(ग) जिन भाषाओं के विभाग इस समय नहीं खुले हुए हैं क्या उनके लिए विभाग खोलने का कोई विचार, और यदि हां, तो किन किन भाषाओं में तथा कब तक ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) ६ ।

(ख) धन की कमी के कारण अन्य भाषाओं को शामिल करना सम्भव नहीं हो सका है ।

(ग) तेलेगू तथा कन्नाडा भाषाओं के विभाग खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

औषधि बनाने वाली विदेशी फर्में

*११५७. **डा० रामा राव :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलानें की कृपा करेंगे कि इस समय भारत में औषधि बनाने वाली कितनी विदेशी फर्में काम कर रही हैं ?

(ख) प्रत्येक की प्राप्त पूंजी क्या है तथा कितनी फर्मों में भारतीय भी भागीदार हैं ?

(ग) औषधि बनाने वाली क्या कोई भारतीय फर्में भी हैं जो ठीक उसी प्रकार की औषधियां बनाती हों जैसी कि विदेशी फर्में बनाती हैं या उसी से मिलती जुलती बनाती हों ?

(घ) वे फर्में कौन कौन सी हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख). ठीक-ठीक सूचना आसानी से उपलब्ध नहीं है।

(ग) जी हां।

(घ) सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिए परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ६]**

औषधि बेचने वाली फर्में

*११५८. **डा० रामा राव :** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस समय भारत में औषधि बेचने वाली कितनी विदेशी फर्में काम कर रही हैं ;

(ख) प्रत्येक की प्राप्त पूंजी क्या है तथा कितनी फर्मों में भारतीय भी भागीदार हैं ;

(ग) इस समय औषधि बेचने वाली कितनी भारतीय फर्में काम कर रही हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी कृष्णमाचारी) : (क) से (ग). अनुमानतः माननीय सदस्य औषधि बेचने वाली उन फर्मों का निर्देश कर रहे हैं जिन्हें औषधि अधिनियम, १९४० के अन्तर्गत राज्य सरकारों द्वारा औषधि बेचने का लाइसैन्स दिया जा चुका है। तो केन्द्रीय सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

विस्थापित व्यक्तियों की अनधिकृत बस्तियां

*११५९. **श्री तुषार चटर्जी :** (क) क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पश्चिमी बंगाल के विस्थापित व्यक्तियों की ऐसी अनधिकृत बस्तियां कौन सी हैं जिन्हें सरकारी योजना के अन्तर्गत नियमित बनाया जाना है ?

(ख) क्या सरकार के पास शेष अनधिकृत बस्तियों को भी नियमित बनाने की कोई योजना है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) तथा (ख). तीन बस्तियों को नियमित बनाने के लिए, जो कि समस्त बेघर व्यक्तियों की बस्तियों में रहने वाली जनसंख्या के लगभग पांचवें भाग के बराबर होती हैं, आदेश पहले ही जारी किये जा चुके हैं तथा इस कार्य के लिए २८ लाख रुपये की मंजूरी भी दी जा चुकी है।

अन्य बस्तियों के बारे में जाँच की जा रही है तथा प्रत्येक मामले को उसके गुणों के अनुसार निबटाया जायेगा।

फीजी से भारतीयों का स्वदेश लौटना

*११६०. **श्री मात्तन :** (क) क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अगले २० वर्षों में फीजी में बसे भारतीयों को धीरे धीरे स्वदेश वापस भेजने का जो प्रस्ताव था क्या उसके सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई है ?

(ख) फीजियनों तथा बसे हुए भारतीयों के बीच दुर्भावनाएं पैदा करने के लिए जो वर्तमान प्रचार हो रहा है उसका प्रतिकार करने के लिए आस्ट्रेलिया स्थित भारतीय उच्च आयुक्त ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) तथा (ख). कुछ महीने पूर्व सिडनी के एक समाचारपत्र में प्रकाशित एक लेख को छोड़ कर, जिसमें यह सुझाव रखा गया था कि फीजी से भारतीयों को स्वदेश वापस लौटा दिया जाये, सरकार को और किसी ऐसी कार्यवाही का पता नहीं है। क्योंकि यह लेख एक व्यक्ति ने दिया था इसलिए उस पर अधिक ध्यान देना उचित नहीं समझा गया।

उड़ीसा में विस्थापित व्यक्तियों को फिर से बसाना

*११६१. **श्री संगण्णा** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) पाकिस्तान में पारपत्र प्रणाली आरम्भ होने के बाद से उड़ीसा में कितने विस्थापित व्यक्तियों को बसाया गया ;

(ख) अब तक उड़ीसा में कुल कितने विस्थापित व्यक्तियों को बसाया जा चुका है ; तथा

(ग) राज्य के कौन से भाग में उन्हें बसाया गया है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) अब तक किसी को भी नहीं।

(ख) १२,४३७ व्यक्तियों को पुनर्वास सुविधाएं दी जा चुकी हैं, किन्तु बिना उचित आर्थिक जांच किये यह बतलाना कठिन है कि कितने विस्थापित व्यक्ति वास्तव में बसाये जा चुके हैं।

(ग) विस्थापित व्यक्तियों को अधिकतर तटीय क्षेत्रों में बसाया गया है। कुछ थोड़े से विस्थापित व्यक्तियों को आन्तरिक क्षेत्रों जैसे बोनाई तथा किओनझारा में भी बसाया गया है।

खासी तथा जैनतिआ पहाड़ियों में भारतीय नागरिकों पर पाकिस्तानी सैनिकों का गोली चलाना

*११६२. **श्री के० पी० त्रिपाठी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि ७ और ८ नवम्बर, १९५२ को पाकिस्तानी सशस्त्र दल ने समस्त प्रकार के आधुनिक हथियारों से, यूनाइटेड खासी जैनतिआ हिल्स जिले (भारतीय क्षेत्र) के पश्चिमी भाग में भारतीय नागरिकों पर, जो धान के खेतों में कटाई कर रहे थे, गोली चला दी ;

(ख) क्या ऐसा बिना किसी छेड़ छाड़ के हुआ;

(ग) हताहतों की संख्या क्या थी;

(घ) क्या आसाम तथा पूर्वी बंगाल के बीच मुख्य सचिव सम्मेलन में हुए समझौते का उल्लंघन करके बिना छेड़ छाड़ के ही गोली चलाई गई थी ; तथा

(ङ) सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) से (ग) तक. ८ और ९ नवम्बर, १९५२ को पाकिस्तानी सशस्त्र दल भारतीय सीमा में घुस आया और उसने आसाम के सोनातोला तथा गंगानगर नामक गांवों में धान काटते हुए भारतीय नागरिकों पर बिना किसी छेड़ छाड़ के गोली चला दी। आत्म-रक्षा के लिए आसाम सीमा पुलिस ने जवाब में गोली चलाई। हमारी ओर से कोई हताहत नहीं हुआ।

(घ) यद्यपि मुख्य सचिव सम्मेलन में हुए समझौते की किसी विशिष्ट शर्त का उल्लंघन नहीं हुआ है फिर भी, प्रत्यक्षतः यदि पाकिस्तानी

सैनिक भारतीय सीमा में घुस कर भारतीय नागरिकों पर गोली चलायें तो यह एक गम्भीर मामला है ।

(ङ) आसाम सरकार ने पूर्वी बंगाल सरकार से विरोध प्रगट किया है । सीमावर्ती क्षेत्रों के भारतीय गांव वालों की रक्षा के लिए सशस्त्र दलों का भी प्रबन्ध कर दिया है । खासी तथा जैनतिआ हिल्स और सिलहट ज़िले के डिप्टी कमिश्नरों ने सीमावर्ती क्षेत्रों का मिल कर दौरा किया है ।

कीनिया में भारतीय

*११६३. **श्री एस० एन० दास** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार को ब्रिटिश सरकार से माऊ माऊ की कार्यवाहियों के प्रति कीनिया में रहने वाले भारतीयों के रुख के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : जी नहीं ।

ठेकेदारों द्वारा जमा की गई प्रतिभूतियां

३४०. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री पाकिस्तान सरकार के पास भारतीय ठेकेदारों द्वारा जमा की गई प्रतिभूतियों के सम्बन्ध में ८ जुलाई, १९५२ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३६२ के बारे में दिये गये उत्तर का निर्देश करने की कृपा करेंगे तथा बतलायेंगे :

(क) इस सम्बन्ध में सरकार के साथ हुई बातचीत का क्या फल निकला;

(ख) क्या सरकार के पास निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्रालय में पाकिस्तानियों के नाम में कोई प्रतिभूति राशियां जमा हैं ; तथा

(ग) यदि हां, तो ऐसी प्रतिभूतियों की कुल राशि क्या है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) इस मामले में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है । लम्बे पत्र-व्यवहार के बाद अब पाकिस्तान सरकार भारत सरकार के साथ प्रतिभूतियों आदि के सम्बन्ध में आवश्यक ब्योरा, अगले भारत-पाकिस्तान सम्मेलन में, विनिमय करने के लिए तैयार हो गई है । इस सम्बन्ध में अभी कोई तारीख निश्चित नहीं हुई है कि अगला सम्मेलन कब होगा ?

(ख) जी हां ।

(ग) आंकड़े आसानी से उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि अभी पूर्णरूप से सत्यापन नहीं हो सका है ।

सामूहिक परियोजना केन्द्रों पर व्यय

५४१. **श्री सोरेन** (क) क्या **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक सामूहिक परियोजना केन्द्र के कर्मचारियों पर "आवर्त्तक" मद के अन्तर्गत विशेषकर बिहार राज्य में तथा सामान्यत: भारतीय संघ के अन्य राज्यों में अनुमानत: कितनी राशि खर्च की जायेगी ?

(ख) परियोजना कार्यकारी अधिकारी से लेकर चतुर्थ श्रेणी के अधिकारियों तक प्रत्येक ऐसे केन्द्र में कितने कर्मचारी हैं तथा उनका मासिक वेतन क्या है ?

(ग) क्या परियोजना केन्द्र में स्थानीय व्यक्ति को 'लेवलिंग अधिकारियों' के रूप में नियुक्त किया जाता है ?

(घ) परियोजना क्षेत्र अथवा क्षेत्रों में स्थानीय व्यक्तियों को हिदायतें देने के वास्ते कितनी बार बैठकें हुई हैं जिससे उनके काम में एकसूत्रता आ जाये ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): (क) तथा (ख). इस सम्बन्ध में "सामूहिक परियोजना—रूपरेखा का प्रारूप" के पृष्ठ ३२ से ३५ तक ध्यान आकर्षित किया

जाता है। किसी भी पद के लिए केन्द्रीय सरकार ने कोई विशिष्ट श्रेणी निर्धारित नहीं की है। परियोजना कार्यकारी अधिकारियों तथा सहायक परियोजना कार्यकारी अधिकारियों के सम्बन्ध में क्रमशः ४५०–८०० रुपये तथा २५०–४०० रुपये ध्यान में रखने चाहियें। साधारणतः इसी प्रकार के पदों के लिए जो स्थानीय वेतन श्रेणी है वही इन पर लागू की जाती है।

(ग) सामूहिक परियोजना में 'लेवलिंग अधिकारियों' को नियुक्त करने की कोई व्यवस्था नहीं है।

(घ) ठीक ठीक तो सूचना पता नहीं है किन्तु ऐसी बैठकें समय समय पर होती रहती हैं।

कोसी बांध से नेपाल को लाभ

५४३. **श्री पी० टी० चाको:** क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कोसी बांध तैयार हो जाने पर नेपाल को कितना लाभ होगा?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): परियोजना के फलस्वरूप नेपाल में ३·७४ लाख एकड़ भूमि सींची जा सकेगी तथा उस सरकार को जितनी बिजली चाहिये वह भी मिल सकेगी।

काफी

५४४. **पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय:** (क) क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९४७, १९५०, तथा १९५१ में भारत में कुल कितनी कांफी का उत्पादन हुआ तथा किस किस राज्य में?

(ख) उक्त वर्षों में कितनी कॉफी का निर्यात किया गया तथा किन किन देशों को और कितने मूल्य का?

(ग) हमारे देश में कॉफी की कुल कितनी खपत है तथा उक्त वर्षों में उत्पाद घर के रूप में कितनी राशि प्राप्त हुई?

(घ) अब भी प्रति वर्ष कॉफी का लोकप्रिय बनाने के लिए कितना खर्च किया जाता है तथा उसका परिणाम क्या हुआ है?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) से (ग) तक. सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

(घ) सदन पटल पर जो विवरण रखा गया है उसमें भारतीय कॉफी बोर्ड के सामान्य कोष में से प्रचार पर, पिछले चार वर्षों में, खर्च की गई राशियां दी हुई हैं। [(क) से (घ) तक के लिए, **देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ७**]

गत् १२ वर्षों से बोर्ड ने कॉफी का प्रचार करने का जो काम हाथ में लिया है उसके फलस्वरूप देश में कॉफी की खपत लगभग दुगनी हो गई है।

मोटर निर्माण तथा आयात

५४५. **सरदार हुक्म सिंह:** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(क) ३१ मार्च, १९५२ को समाप्त होने वाले पिछले पांच वर्षों में से प्रत्येक वर्ष में सरकारी––असैनिक तथा सैनिक दोनों ही––तथा गैर सरकारी तौर पर आयात की गई मोटरों, उनके भाग तथा पुर्जों, जिसमें ट्रैक्टर और मोटर साइकिलें भी शामिल हैं, की संख्या तथा मूल्य क्या है और यह मोटरें, उनके भाग तथा पुर्जे किन किन देशों से आयात किये गये थे;

(ख) भारतीय मोटर बनाने वाली कम्पनियों का कुल उत्पादन क्या है, चाहे वह पुरानी मोटरों को फिर से बनाती हों या टूटी मोटरों की मरम्मत करती हों या बाहर से अलग अलग भाग मंगवा कर मोटर तैयार करती हों या फिर पूर्णरूप से यहीं पर मोटर बनाती हों; तथा

(ग) किस तारीख तक यह आशा की जाती है कि इस उद्योग में लगी हुई अनेक

भारतीय कम्पनियां आपस में मिल कर औसतन इतना उत्पादन करने लगेंगी कि वे इस सम्बन्ध में भारत की आवश्यकताओं को पूरा कर देंगी ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जहाज तथा हवाई जहाज द्वारा विदेशों से किये जाने वाले व्यापार के लेखे में, जिसकी प्रतियां सदन के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं, जो सूचना दी हुई है उसके अलावा सरकार को और कुछ पता नहीं है ।

(ख) माननीय सदस्य का ध्यान २ दिसम्बर, १९५२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३०५ के भाग (ग) के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर की ओर आकर्षित किया जाता है ।

(ग) सरकार के लिए इस प्रकार का अनुमान लगाना उचित न होगा ।

मोटर निर्माण सम्बन्धी एकस्व अधिकार

५४६. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) मोटर बनाने वाली कम्पनियां अब जो मोटर के इंजिन, भाग और पुर्जे बना रही हैं उनके सम्बन्ध में एकस्व अधिकार प्राप्त करने के लिए उनमें से प्रत्येक ने क्या प्रबन्ध किया है ;

(ख) क्या कोई प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए हैं, और यदि हां, तो ३१ मार्च, १९५२ को समाप्त होने वाले पांच वर्षों में से प्रत्येक वर्ष में भारत में मोटरकारों तथा उनके भागों और पुर्जों के उत्पादन में काम आने वाले युक्ति या प्रक्रिया के सम्बन्ध में एकस्व अधिकार प्राप्त करने के लिए कितने प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए हैं;

(ग) उनमें से कितनी युक्तियों का उत्पादन में प्रयोग किया जा रहा है तथा व्यापारिक दृष्टिकोण से वे कहां सफल हुई हैं; तथा

(घ) क्या सरकार ने मोटर बनाने वाली किसी विदेशी फर्म से, जहां से पिछले पांच वर्षों में किसी भी समय ऐसी मोटरें या उनके भाग आयात किये गये थे, भारतीय टैक्नीशियनों को इस सीमा तक प्रशिक्षित करने के लिए कोई समझौता किया है जिससे वे इस देश में मोटरें, उनके भाग या पुर्जे बना सकें ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जहां तक सरकार को मालूम है भारतीय निर्माताओं ने विदेशी निर्माताओं के साथ टैकनिकल ज्ञान प्राप्त करने के सम्बन्ध में समझौते कर लिए हैं । सरकार के पास ब्यौरा नहीं है ।

(ख) १ अप्रैल १९४७ से ३१ मार्च १९५२ तक की अवधि में ७३ प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार से प्राप्त हुए थे :

१९४७–४८	२१
१९४८–४९	९
१९४९–५०	१८
१९५०–५१	१२
१९५१–५२	१३

(ग) सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(घ) जी नहीं ।

नलकूप संच्छिद्रण मशीन

५४७. **श्री चिनारिया** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को मालूम है कि लुधियाना की एक शरणार्थी फर्म ने नलकूप संच्छिद्रण मशीन का आविष्कार किया है ?

(ख) इस प्रकर के देशी उपक्रमों को प्रोत्साहन देने के लिए क्या सरकार कोई कार्यवाही कर रही है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) लुधियाने की एक

फर्म इस प्रकार की मशीनें बनाती है किन्तु यह पता नहीं कि वह शरणार्थी फर्म है अथवा नहीं ।

(ख) सरकार की सामान्य नीति यही है कि जहां तक सम्भव हो ऐसे उपक्रमों को सहायता दी जाये ।

बिहार के पटसन उत्पादक

५४८. **श्री एल० एन० मिश्र :** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १७ जून, १९५२ को सदन में दिये गये आश्वासन के अनुसार बिहार के पटसन उत्पादकों की खराब दशा को सुधारने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई हैं ?

(ख) क्या बिहार में कोई पटसन मिल खोलने का विचार है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) अनुमानत: माननीय सदस्य मेरे द्वारा बिहार के कच्चे पटसन के यातायात से सम्बन्ध रखने वाली वर्तमान सुविधाओं में सुधार करने के बारे में १७ जून, १९५२ को कही गई बातों का निर्देश कर रहे हैं। यदि ऐसा है तो १९५३–५४ तक मधेपुरा-मुरलीगंज लाइन को बना कर तैयार कर देने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है । इस लाइन के तैयार हो जाने पर परसरमा सुपौल रेलवे द्वारा यातायात के सम्बन्ध में दी जाने वाली वर्तमान सुविधाओं में सुधार हो जायेगा ।

(ख) बिहार में पहले ही से दो पटसन मिलें हैं । अब तक उस राज्य में और किसी नई मिल के स्थापित करने के सम्बन्ध में प्रार्थनापत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

मिट्टी का तेल (अभाव)

५४९. **श्री बाल्मीकि :** क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में मिट्टी के तेल का अभाव है;

(ख) यदि सच है तो तेल के नये कूप खोजने के लिए क्या पग उठाये जा रहे हैं; तथा

(ग) इस काम में लगे वैज्ञानिकों की संख्या ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद उपमंत्री (श्री बुरागोहिन) : (क) अभाव नहीं है, फिर भी, हमारी आवश्यकताएं मुख्यत: आयात किये गये तेल से पूरी होती हैं ।

(ख) नये तेल कूपों का पता लगाने के लिए देश के विभिन्न भागों में बड़े पैमाने पर जांच पड़ताल की जा रही है ।

(ग) ४ या ६ अन्य अधिकारियों के साथ एक पेट्रोलिय भूतत्वीय विशेषज्ञ ।

संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राजदूत द्वारा भाकरा बांध का निरीक्षण

५५०. **श्री सी० आर० चौधरी :** (क) क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या अमेरिका के राजदूत भाकरा बांध के निर्माण स्थान को देखने गये थे ?

(ख) उनके वहां जाने का उद्देश्य क्या था ?

(ग) भारत सरकार की ओर से उनके साथ कौन गया था ?

(घ) निर्माण स्थान पर उन्होंने किससे भेंट की ?

(ङ) वह जिन व्यक्तियों से मिले उनसे उन्होंने किस प्रकार की बातचीत की ?

(च) उनके वहां जाने का क्या परिणाम निकला ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) तत्र भवान् अमेरिका के राजदूत उस स्थान पर बांध का कार्य देखने गये थे ।

(ग) सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव श्री एन० एन० खोसला।

(घ) परियोजना में लगे हुए ज्येष्ठ भारतीय अधिकारी तथा अमेरिकन विशेषज्ञ।

(ङ) किसी विशेष विषय पर बातचीत नहीं हुई।

(च) उत्पन्न नहीं होता।

कोयला यातायात के लिए डब्बों की कमी

५५१. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि पश्चिमी बंगाल और बिहार की अनेक कोयला खानों पर कोयला बहुत अधिक मात्रा में निकला पड़ा है क्योंकि उपभोक्ताओं तक उन्हें ले जाने के लिए डब्बों की कमी है;

(ख) १ अक्तूबर १९५२ से प्रति दिन औसतन कितने डब्बे दिए गए;

(ग) उसी अवधि में प्रति दिन कितने डब्बों की आवश्यकता पड़ी; तथा

(घ) सरकार डब्बों की इस कमी को कब तक दूर कर सकेगी ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) जी हां।

(ख) अक्तूबर, १९५२.....३,३९०

नवम्बर (२८ तक).....३,३६०

(ग) ३,५००.

(घ) १९५१-५२ से आरम्भ होने वाले कार्यक्रम के अनुसार प्रति वर्ष औसतन ९,५०० डब्बों के आर्डर दिये जाते हैं, जिससे पुराने डब्बों को बदल देने पर भी प्रति वर्ष डब्बों की कुल संख्या में लगभग ३००० डब्बों की (छोटी तथा बड़ी दोनों लाइनों के डब्बों को मिलाकर) वृद्धि होगी। इस वृद्धि का सभी प्रकार की वस्तुएं लाभ उठायेंगी। जहां तक अभी अनुमान लगाया जाता है कोयले के लिए डब्बों की सप्लाई में निश्चय ही सन् १९५५ के बाद से सुधार हो जायेगा।

रुई के ओटन का प्रतिशतक

५५२. **डा० रामा राव :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या रुई के ओटने के प्रतिशत का ठीक ठीक निर्धारण करने के लिए किसी नई तरकीब का आविष्कार हुआ है ?

(ख) इसका आविष्कार किसने किया है ?

(ग) इस तरकीब को किस प्रकार से प्रयोग में लाया जाता है ?

(घ) उद्योग को इससे क्या लाभ है तथा उद्योग में इसका प्रयोग करने के लिए क्या पग उठाये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय केन्द्रीय रुई *समिति*, बम्बई की टैकनालाजिकल प्रयोगशाला ने।

(ग) मेरे विचार में इस समय विस्तार में यह बतलाना कठिन है कि यह किस प्रकार से कार्य में लाया जाता है क्योंकि एकस्व कार्यालय ने एकस्व प्रार्थनापत्र को अभी तक स्वीकार नहीं किया है।

(घ) जहां तक पहले भाग का सम्बन्ध है, आशा की जाती है कि यह आविष्कार रूई पैदा करने वाले स्टेशनों तथा रुई ओटने वाली फैक्टरियों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। प्रश्न का दूसरा भाग उत्पन्न ही नहीं होता क्योंकि अभी आविष्कार को एकस्वकृत नहीं किया गया है।

छोटे पैमाने के उद्योगों को ऋण

५५३. **श्री के० के० बसु :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सन् १९४७ के पश्चात् से छोटे तथा बीच के पैमानों पर होने वाले उद्योगों को ऋण देने में कोई राशि व्यय की है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष प्रति वर्ष कुल कितनी राशि दी है; तथा

(ग) वे उद्योग कौन से हैं जिन्हें इस प्रकार सहायता दी गई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां ।

(ख) १९५०-५१ के दौरान में १,५०,००० रुपये तथा १९५१-५२ में ९२,००० रुपये । १९५०-५१ के पूर्व इस प्रकार का कोई ऋण नहीं दिया गया था ।

(ग) हस्तकरघा, सिलाई, ऊन उद्योग, लकड़ी की स्लटें बनाने वालों, अन्य प्रकार की वस्तुएं, जैसे छड़ी, कलम तथा चाकू तैयार करने वालों को ।

चाय का निर्यात

५५४. **श्री बर्मन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि चाय की बिक्री से १९५१ में कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : ९४.३८ करोड़ रुपये ।

उड्डयन बिजली सब-डिवीजन १, डम डम के ठेके पर रखे गये कर्मचारी

५५५. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि केन्द्रीय वेतन आयोग पंचाट के अनुसार उड्डयन बिजली सब-डिवीजन १, डम डम के ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों का वेतन फिर से निर्धारित नहीं किया गया है; तथा

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं । उड्डयन बिजली सब-डिवीजन संख्या १ के ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों का वेतन अप्रैल, १९४८ ही में, केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशों के अनुसार, संशोधित वेतन श्रेणियों में कर दिया गया था ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

उत्तरी बंगाल में बाढ़ से हानि

५५६. **श्री बर्मन** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि वर्ष १९४९ से उत्तरी बंगाल प्रदेश में (दार्जिलिंग, जलपायगुड़ी तथा कुच-बिहार के ज़िले) वर्ष प्रति वर्ष भयानक बाढ़ें आती हैं जिनके कारण राजमार्गों, रेलों, खेतों को हानि उठानी पड़ती है तथा जानवरों और मनुष्यों की भी जानें जाती हैं ;

(ख) इस प्रकार की बाढ़ों के कारण केन्द्रीय सरकार, पश्चिमी बंगाल सरकार तथा जनता को प्रति वर्ष लगभग कितनी हानि उठानी पड़ती है; तथा

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो सरकार कारणों की जांच करवाने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) तक सूचना संग्रह की जा रही है तथा शीघ्र से शीघ्र सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

दामोदर घाटी निगम जांच आयोग

५५७. **श्री एन० पी० सिन्हा** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार ने दामोदर घाटी निगम के कार्यों की जांच करने के लिए जो दामोदर घाटी निगम जांच आयोग नियुक्त किया था क्या उसने अपना कार्य समाप्त कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो वह किन किन स्थानों पर किस किस तारीख को गया; तथा

(ग) क्या उसने कोई रिपोर्ट दे दी है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग). उत्पन्न नहीं होते ।

हीराकुड में कर्मचारियों के वेतन पत्रों पर अंगूठों के निशान

५५८. श्री आर० एन० एस० देव : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि हीराकुड वांध परियोजना के मलेरिया-नाशक विभाग में अनेक कर्मचारियों से, जोकि शिक्षित हैं तथा अपने हस्ताक्षर कर सकते हैं, मासिक-वेतन-पत्रों पर अंगठों के निशान लगाने के लिए कहा जाता है;

(ख) क्या मासिक वेतन-पत्रों में एक ही कर्मचारी द्वारा लगाये जाने वाले अंगूठे के निशान प्रति महीने बदलते रहते हैं; तथा

(ग) क्या प्राधिकारियों का ध्यान उपरोक्त अनियमितताओं की ओर आकर्षित किया गया है, और यदि हां, तो क्या मामले की जांच की गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) तथा (ख). मामले के सम्बन्ध में जांच हो रही है ।

(ग) जी हां

उड़ीसा में नकली पेट्रोल का उत्पादन

५५९. श्री संगण्णा : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयले आदि से नकली पेट्रोल बनाने के लिए क्या उड़ीसा में कोई संयंत्र लगाया गया है;

(ख) क्या इस कार्य के लिए कोई ऋण अथवा आर्थिक सहायता दी गई है; तथा

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी नहीं ।

(ख) इस सम्बन्ध में प्रारम्भिक जांच पड़ताल करने के लिए सन् १९४८ में उड़ीसा सरकार ने श्री बी० पटनायक को ५०,००० पौंड (लगभग ६,६६,००० रुपये) का ऋण दिया था ।

(ग) उत्पन्न नहीं होता ।

उड़ीसा में सामूहिक परियोजनाएं

५६०. श्री संगण्णा : क्या **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में कितने सामूहिक परियोजना केन्द्र खोले गये हैं;

(ख) प्रत्येक परियोजना पर कितना व्यय होने का अनुमान है;

(ग) अब तक कितने अधिकारी तथा मजदूर नियुक्त किये गये हैं;

(घ) परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के समय से अब तक कितना खर्चा हुआ है; तथा

(ङ) परियोजनाओं को कार्यान्वित करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) तीन ।

(ख) ६५ लाख रुपये ।

(ग) तथा (घ)। राज्य सरकार से सूचना मंगवाई गई है तथा सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

(ङ) परियोजना क्षेत्रों की जांच पड़-ताल पूरी हो चुकी है तथा बजट प्राक्कलन मंजूर किये जा चुके हैं। मवेशियों के टीके लगाने, नालियां, सड़कें, पुलियां तथा गड्ढे-दार टट्टियां बनाने का काम हाथ में ले लिया गया है। अच्छे प्रकार का गेहूं, मटर तथा कृषिसार आदि बांट दिया गया है। भूमि को कृषि योग्य बनाने का कार्य भी आरम्भ कर दिया गया है।

उड़ीसा में कांच फैक्टरियां

५६१. **श्री संगण्णा :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में कितनी कांच फैक्ट-रियां हैं;

(ख) प्रत्येक फैक्टरी कुल कितना उत्पादन करती है;

(ग) उड़ीसा में प्रति वर्ष कितने कांच के सामान की खपत होती है;

(घ) क्या कांच के सामान को उड़ीसा के बाहर भी भेजा गया है; तथा

(ङ) उड़ीसा में जो कांच का सामान बनता है उसकी कीमत भारत के अन्य स्थानों में बने कांच के सामान के मुकाबले कैसी बैठती है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) दो; जिसमें से एक सन् १९४८ से ही बन्द पड़ी है।

(ख) तथा (ग)। ठीक ठीक सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) सरकार को बतलाया गया है कि उड़ीसा के बाहर भी कुछ सामान बिकता है।

(ङ) उड़ीसा में बनाई गई वस्तुओं, जैसे चिमनियों, ग्लोब, गिलास, आदि, की कीमतें (फैक्टरी से बाहर) यू० पी० और बंगाल में बनाई गई वस्तुओं के मुकाबले कम होती हैं।

मकान सम्बन्धी योजनाएं

५६२. **श्री एन० एल० जोशी :** क्या **निर्माण, गृहव्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात का पता लगाने का प्रयत्न किया है कि क्या विभिन्न राज्य सरकारों के पास अपने अपने राज्यों में औद्योगिक तथा कृषि मज़दूरों के लिए मकान बनाने की कोई योजनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष १९५२-५३ के लिए उन्होंने अपने बजटों में कितनी राशि की व्यवस्था की है ;

(ग) वर्ष १९५२-५३ के लिए संघ सरकार के बजट में मकान बनवाने के लिए जितनी राशि की व्यवस्था की गई है उसमें से अब तक कितनी खर्च की जा चुकी है;

(घ) क्या विभिन्न राज्य सरकारों तथा संघ सरकार के बीच कार्य का समायो-जन करने के लिए कोई योजना है; तथा

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सदन पटल पर योजना की एक प्रति रखने का है ?

निर्माण, गृहव्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ख) जी हां। अपेक्षित सूचना का एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ८।]**

(ग) अब तक पांच राज्य सरकारों को ऋण तथा आर्थिक सहायता के रूप में

१,५८,८२,४४७ रुपये दिये जा चुके हैं। अन्य राज्य सरकारों, मालिकों तथा सहकारी समितियों द्वारा आर्थिक सहायता के लिए दिये गये प्रार्थनापत्रों पर बहुत ही शीघ्रता के साथ विचार किया जा रहा है।

(घ) तथा (ङ)। इस वर्ष नई दिल्ली में हुए एक सम्मेलन में राज्य सरकारों से परामर्श कर लेने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार की सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह-योजना अन्तिम रूप से बनकर तैयार हो गई है। क्योंकि केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रवर्तित योजना के अलावा किसी भी राज्य सरकार के पास अपनी स्वयं की औद्योगिक गृह योजना नहीं है, इसलिए केन्द्र तथा राज्य सरकार योजनाओं के बीच समायोजन की कमी होने का कोई भय नहीं है।

सरकारी मकान आदि का अनधिकृत उपयोग करने के लिए हर्जाना

५६३. **श्री के० सी० सोंधिया** : (क) क्या **निर्माण गृहव्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १ जनवरी १९५२ से ३१ अक्तूबर, १९५२ तक सरकारी मकान आदि का अनधिकृत उपयोग करने के लिए हर्जाने की कितनी बकाया रक़म वसूल हुई ?

(ख) बकाया रक़म में १ अगस्त, १९४८ के पहले वाली कितनी रक़म है ?

(ग) बकाया रक़म में से कितनी रक़म के अपलेखन कर दिये जाने की संभावना है तथा बकाया रक़म का यह कितना प्रतिशतक होगी ?

(घ) इतनी बड़ी रक़म के बकाया रहने के क्या कारण हैं ?

निर्माण, गृव्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) निर्माण, गृहव्यवस्था तथा रसद मंत्रालय के नियंत्रण में दिल्ली तथा नई दिल्ली में सरकारी मकान आदि के सम्बन्ध में १ जनवरी १९५२ से ३१ अक्तूबर १९५२ की अवधि में १ जनवरी १९५२ को जितनी रक़म बकाया थी उसमें से २०,२५० रुपये ४ आने ६ पाई वसूल कर लिये गये हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) हर्जाने की बकाया रकम वसूल करने का हर सम्भव प्रयत्न किया जा रहा है तथा मैं इस समय यह बतलाने की स्थिति में नहीं हूं कि कितनी रक़म कब पलेख न करना पड़ेगा। फिर भी, मैं बतला दूं कि १ दिसम्बर, १९५२ को जितनी बकाया रकम थी वह ३० नवम्बर १९५२ तक कुल निर्धारण का केवल १५.३९ प्रतिशत है।

(घ) २४ अक्तूबर, १९५२ से पहले, जबकि दिल्ली मकान आदि (अधिग्रहण तथा निष्कासन) अधिनियम, १९४७ में संशोधन किया गया था जिससे सरकार हर्जाना लगान के बकाया के रूप में वसूल कर सके, सरकार के पास अनधिकृत रहने वालों से हर्जाना वसूल करने के कोई अधिकार नहीं थे सिवाय इसके कि वह न्यायालय की शरण लेती जोकि एक बहुत लम्बी और पेचीदा प्रक्रिया है।

मन्डी सेंधा नमक

५६४. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) मन्डी सेंधा नमक बांटने की प्रणाली क्या है तथा क्या उस पर कोई शुल्क लगाया जाता है;

(ख) वर्ष १९५०-५१ तथा १९५१-५२ में विभिन्न राज्यों को कितनी मात्रा में नमक दिया गया;

(ग) क्या उक्त वर्षों में पाकिस्तान से कोई सेंधा नमक मंगाया था, यदि हां, तो कितना;

(घ) क्या पाकिस्तान ने इस पर कोई शुल्क लगाया था; तथा

(ङ) यदि हां, तो प्रति मन पर कितना ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) वितरण के सम्बन्ध में एक नोट सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या १०** ।]

कोई शुल्क नहीं लगाया जाता है ।

(ख) एक ब्योरेवार विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिए परिशिष्ट ७ अनुबन्ध सख्या ९**।]

(ग) जी हां। वर्ष १९५०-५१ में १,८०,००० मन तथा १९५१-५२ में १७,००० मन ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) उत्पन्न नहीं होता ।

नेपा मिल्स के लिए कच्चा माल

५६५. **श्री जसानी** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री मेरे द्वारा २४ जुलाई, १९५२ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २०५३ के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर का निर्देश करने की कृपा करेंगे जोकि मध्य प्रदेश सरकार को औद्योगिक तथा विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए ऋण तथा अनुदान देने के सम्बन्ध में था तथा बतलायेंगे कि क्या संघ सरकार ने इस सम्बन्ध में पूरी तरह से जांच कर ली है कि मध्य प्रदेश स्थित अखबारी कागज बनाने वाले नेपा मिल्स के लिए आवश्यक कच्चा माल उपलब्ध है अथवा नहीं ?

(ख) यदि हां, तो वह कच्चा माल कौन-कौन सा है तथा मिल को पूरे वर्ष भर उसकी पूरी सामर्थ्य के अनुसार चालू रखने के लिए कितने कच्चे माल की आवश्यकता होगी तथा वह कहां से प्राप्त होगा ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) संघ सरकार ने जांच नहीं करवाई है, किन्तु मध्य प्रदेश सरकार ने, जिसका इससे सीधा सम्बन्ध है, करवाई है।

(ख) प्रति वर्ष ३०,००० टन अखबारी कागज बनाने के लिए नेपा मिल्स को कच्चे माल में प्रति वर्ष २२,५०० टन सलेई तथा ३०,००० टन बांसों की आवश्यकता होगी । यह कच्चा माल मध्य प्रदेश में मिल के आस पास उपलब्ध है ।

भारतीय कपड़ा (निर्यात)

५६६. **श्री माधव रेड्डी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंग कि भारतीय कपड़े के निर्यात में हाल ही में कमी होने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : समस्त संसार में कपड़ा व्यापार में सामान्य रूप से मन्दी आ जाने के कारण निर्यात में कमी हुई है ।

भारतीय राजदूत जिनकी विदेशों में मृत्यु हुई

५६७. **श्री एन० बी० खरे** : क्या **प्रधान मंत्री** बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के स्वतन्त्र हो जाने के पश्चात् से विदेशों में मरने वाले भारतीय राजदूतों की संख्या तथा नाम क्या हैं;

(ख) क्या विदेशों में उनकी याद कायम रखने के लिए कोई यादगारें बनाई गई हैं या बनाने का विचार है; तथा

(ग) ऐसी यादगारों के लिए अलग अलग कितनी राशि व्यय की गई या मंजूर की गई ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू):

(क) तीन ।

(१) डा० सैयद हुसैन, काहिरा स्थित राजदूत ।

(२) दीवान राम लाल, रोम स्थित राजदूत ।

(३) श्री धीरुभाई देसाई, बर्न स्थित मंत्री ।

(ख) कोई भी यादगारें नहीं बनाई गई हैं न बनाने का विचार है। परन्तु काहिरा के कब्रिस्तान में डा० सैयद हुसैन के लिए एक कब्र बनाई जा रही है।

(ग) इस कब्र पर अब तक जितनी राशि व्यय हुई है या होने की सम्भावना है वह ३४,५०० रुपये है। इस राशि का कुछ भाग भारत से भेजे गये संगमरमर के पत्थरों की कीमत है जो रास्ते में टूट गये थे। इन्हें बीमा करके भेजा गया था और अब हर्जाना बसूल करने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।

बच्चों का खाद्य

५६८. **श्रीमती जयश्री**
श्रीमती उमा नेरू :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि बच्चों के खाद्य के बदले में देशी वस्तु क्या है तथा चालू वर्ष में वे कितनी मात्रा में उपलब्ध है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : आयात किये जाने वाले बच्चों के खाद्य, जैसे हार्लिक्स, ग्लक्सो, काऊ एन्ड गैट इत्यादि, के बदले में देशी वस्तु कोई भी नहीं है।

रेशम का कीड़ा

५६९. **श्री मादिया गौडा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) (१) मैसूर (२) काश्मीर तथा (३) पश्चिमी बंगाल में प्रति पौंड रेशम के कोये का उत्पादन करने में कितनी लागत आती है;

(ख) उन्हीं राज्यों में इनका प्रचलित बाज़ार भाव क्या है; तथा

(ग) इस उद्योग का विकास करने के लिए रेशम के कोये पालने वालों को क्या सुविधायें दी जाती हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) (१) मैसूर--१ रुपया १ आना प्रति पौंड

(२) काश्मीर--१ रुपया १ आना २ पाई प्रति पौंड

(३) पश्चिमी बंगाल--१४ आने से १ पया प्रति पौंड

(ख) (१) मैसूर--१ रुपया १ आने से १ रुपया ८ आने प्रति पौंड तक।

(२) काश्मीर--काश्मीर में रेशम का उद्योग पूर्णतः राज्य के हाथ में है। रेशम का कोया पैदा करने वालों से ठेके के अन्तर्गत उनका सारा उत्पादन राज्य सरकार ले लेती है।

(३) पश्चिमी बंगाल --१५ आने से १ रुपया ४ आने प्रति पौंड तक।

(ग) केन्द्रीय सिल्क बोर्ड ने रेशम उत्पादन करने वाले मुख्य राज्यों, जैसे मैसूर, मद्रास, पश्चिमी बंगाल तथा आसाम, को स्वेच्छा कोया बाज़ार स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता दी है जिससे ठीक ठीक तोल हो और रेशम के कीड़े पालने वालों को उचित मूल्य प्राप्त हो। बोर्ड ने पश्चिमी बंगाल सरकार को इसलिए भी आर्थिक सहायता दी है जिससे वह उत्तम प्रकार के रोग-मुक्त रेशम के कीड़ों के अन्डे उत्पन्न करे, जिनका राज्य के रेशम के कीड़े पालने वालों में वितरण किया जा सके। राज्य में चाकी पालने के केन्द्र स्थापित करने तथा कीड़े पालने के केन्द्र स्थापित करने तथा कीड़े पालने के सम्बन्ध में बढ़िया जापानी उपकरणों का प्रयोग आरम्भ करने के लिए बोर्ड ने मद्रास सरकार को भी आर्थिक सहायता दी है। राज्य में रेशम के कोयों को पालने वालों को आधुनिक प्रकार के उपकरण देने के लिए बोर्ड ने जम्मू तथा काश्मीर सरकार को भी १०,००० रुपये का सहायतार्थ दान दिया है।

रेशम के कीड़े पालने के उद्योग को आर्थिक सहायता

५७०. **श्री मादिया गौडा** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि तटकर बोर्ड की उस सिफ़ारिश का क्या हुआ जो कि उसने मैसूर सरकार को पर्याप्त आर्थिक सहायता देने के लिए की थी जिससे राज्य में रेशम के कीड़े पालने के उद्योग का विकास हो सके ?

(ख) क्या केन्द्रीय सिल्क बोर्ड ने इस सिफ़ारिश पर विचार किया है, यदि हां, तो क्या परिणाम निकला ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) तटकर बोर्ड की इच्छा के अनुसार सिफ़ारिश को केन्द्रीय सिल्क बोर्ड के विचारार्थ भेज दिया गया था।

(ख) जी हां। जहां तक हो सकता है बोर्ड ने मैसूर सरकार को अधिक से अधिक आर्थिक सहायता दी है।

चाय का उत्पादन

५७१. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस देश में वर्ष १९५०-५१ के मुकाबले वर्ष १९५१-५२ में चाय के उत्पादन में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उत्पादन में कुल कितनी वृद्धि हुई है ;

(ग) चाय के उत्पादन में जितनी वृद्धि हुई है क्या उसके लिये विदेशों में बाज़ार मिल गया ; तथा

(घ) गत वर्ष कुल कितनी चाय का निर्यात हुआ है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां।

(ख) वर्ष १९५१ में भारत में चाय का कुल उत्पादन ६२,२२,००,००० पौंड हुआ जब कि वर्ष १९५० में कुल ६१,२९,००,००० पौंड हुआ था।

(ग) तथा (घ)। वर्ष १९५१ में निर्यात की गई चाय की कुल मात्रा ४४,४४,००,००० पौंड थी जब कि वर्ष १९५० में कुल ३९,३४,००,००० पौंड थी।

घड़ियां (आयात)

५७२. **श्री एस० वी० रामस्वामी** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि किन किन देशों से तथा कुल कितने मूल्य की घड़ियां, टाइम पीसें और क्लाक आयात की गईं ?

(ख) क्या भारत में कोई ऐसी फैक्टरियां हैं—(१) जो इन में से किसी को बनाती हों ; तथा (२) इन के पुर्ज़ों को जोड़ कर तैयार करती हों ?

(ग) क्या स्वीटज़रलैण्ड तथा जापान में इनका उत्पादन छोटे पैमाने के उद्योगों के रूप में किया जाता है ?

(घ) क्या छोटे पैमाने के उद्योग के रूप में इसे भारत में चलाने का कोई प्रयत्न किया गया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [**देखिए परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ११**]

(ख) चार संगठित फ़ैक्टरियां हैं जो भारत में क्लाक बनाती हैं। घड़ियां और टाइम-पीसें इस समय नहीं बनाई जा रही हैं। अब तक किसी भी निर्माता ने उनके पुर्ज़े जोड़ कर उन्हें तैयार करने का प्रयास नहीं किया है।

(ग) जी हां।

(घ) सरकार को किसी भी ऐसे प्रयास का पता नहीं है जिस में इनको छोटे पैमाने का उद्योग समझ कर चलाया गया है। विकास के लिये इस उद्योग को गैर-सरकारी हाथों में छोड़ दिया गया है तथा सरकार इस उद्योग में दिलचस्पी रखने वाले पक्षों को उचित सहायता देने के लिए तैयार है।

उत्तर-पूर्वी सीमान्त एजेन्सी से राजस्व

५७३. श्री गोहेन : (क) क्या **प्रधान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५१-५२ में उत्तर-पूर्वी सीमान्त एजन्सी से विभिन्न मदों के अन्तर्गत कितना कर-निर्धारण किया गया तथा कुल कितना राजस्व प्राप्त हुआ ?

(ख) वर्ष १९४९-५० में विभिन्न मदों के अन्तर्गत कुल कितना राजस्व प्राप्त हुआ ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) तथा (ख)। वर्ष १९५१-५२ में कर-निर्धारण के आंकड़े आसानी से इस समय उपलब्ध नहीं हैं किन्तु प्राप्त हो जाने पर सदन पटल पर रख दिये जायेंगे। वर्ष १९४९-५० तथा १९५१-५२ के दौरान में विभिन्न मदों के अन्तर्गत जो राजस्व जमा किया गया था वह इस प्रकार है :—

मद	१९४९–५० में जमा किया गया कुल राजस्व	१९५१–५२ में जमा किया गया कुल राजस्व
१	२	३
मकान-कर, प्रति व्यक्ति कर, तथा		
	रुपये	रुपये
चरागाह-कर को छोड़ कर प्राप्त लगान	१६,८००	८,६००
शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत आय	१,०००	५००
अफीम अधिनियम के अन्तर्गत आय	...	१,०००
न्यायिक जुर्माने	२,३००	१,२००
प्रकीर्ण आय (अर्थात्, रियायती दरों पर सरकारी कर्मचारियों तथा अन्य लोगों को दिये गये चावल से प्राप्त राशि, लाइसेन्स फीस, इत्तर लाइन के लिए पासों से प्राप्त राशि, आदि)	१६,७००	१९,२००
कृषि विभाग से आय	१,२००	३,९००
इंजीनियरिंग विभाग से आय	२१,८००	३२,०००
बन विभाग से आय	१,२४,१००	३,४१,१००
शिक्षा विभाग से आय	५००	१,१००
कुल	१,८४,४००	४,०८,६००

महानदी जलग्रह क्षेत्र

५७४. श्री आर० एन० एस० देव : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हीराकुड बांध परियोजना के ऊपर महानदी के जलग्रह क्षेत्र की जांच पड़ताल की गई है;

(ख) उक्त जलग्रह क्षेत्र में पेड़ लगाने के सम्बन्ध में क्या कोई कार्यवाही की गई है जिससे नदी में अधिक मट्टी व कीचड़ बह कर न आये; तथा

(ग) पेड़ लगाने का काम मध्य प्रदेश अथवा उड़ीसा सरकार कर रही है तथा इस काम के लिये दोनों सरकारों के बीच क्या व्यवस्था की गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं ।

(ख) जलग्रह क्षेत्र की जांच पड़ताल करने का प्रबन्ध किया जा रहा है तथा यह कार्य समाप्त होने पर उड़ीसा सरकार योजना को विस्तार में तैयार करेगी ।

(ग) इसमें से किसी भी बात के सम्बन्ध में निश्चय नहीं किया गया है ।

भारत में अविकसित राज्यों का औद्योगीकरण

५७५. **श्री बलवन्त सिन्हा मेहता** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के अविकसित राज्यों का औद्योगीकरण करने के सम्बन्ध में क्या कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; तथा

(ख) यदि हां, तो राजस्थान में किन किन उद्योगों को चलाने का विचार है तथा कहां कहां पर ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी नहीं । कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

उड़ीसा में कपड़े के मिल, बिजली के करघे तथा हस्त-करघे

५७६. **श्री संगण्णा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में कपड़े की मिलों, बिजली से चलने वाले करघों तथा हस्त-करघों की संख्या क्या है;

(ख) उड़ीसा में एक वर्ष में मिल तथा हस्त-करघे से कुल कितना कपड़ा बनाया जाता है;

(ग) क्या किसी भी प्रकार का कपड़ा उड़ीसा से बाहर भेजा जाता है; तथा

(घ) उड़ीसा में कुल कितने कपड़े की खपत होती है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) कपड़ा मिल १; बिजली से चलने वाले करघों की फैक्टरियां—३; हस्त-करघे—१,२९,६८६ ।

(ख) वर्ष १९५१ में उड़ीसा में मिल का कुल १,४४,००,००० गज कपड़ा बना । उड़ीसा में हस्त-करघों द्वारा कितना कपड़ा बनाया गया, इस सम्बन्ध में अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) उड़ीसा से बाहर अन्य राज्यों को मिल का बना हुआ कुछ कपड़ा भेजा जाता है । उड़ीसा राज्य के हस्त-करघों या बिजली से चलने वाले करघों पर बनाया गया कितना कपड़ा भेजा जाता है, इस सम्बन्ध में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(घ) राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उन्हें ५००० गांठों की प्रति महीने आवश्यकता होती है; वास्तव में कितनी खपत होती है यह अनेक बातों पर निर्भर करती है जैसे उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति, मूल्य आदि ।

नकली सिल्क उत्पादन

५७७. **श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा

करेंगे कि :

(क) नक़ली सिल्क तैयार करने में कौन कौन सी फर्में लगी हुई हैं तथा वे कहां स्थापित हैं;

(ख) इस उद्योग को सरकार द्वारा कौन कौन सी सुविधायें दी जाती हैं; तथा

(ग) देश की सम्पूर्ण मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन बढ़ाने के सम्बन्ध में क्या कायवाही की गई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : अनुमानत : माननीय सदस्य नक़ली सिल्क डोरे का निर्देश कर रहे हैं। यदि ऐसा है तो इस समय भारत में दो फर्में नक़ली सिल्क डोरे तैयार करने में लगी हुई हैं, अर्थात्, त्रवेन्द्रम में मैसर्स त्रावन-कोर रेअन्स लिमिटेड तथा बम्बई में मैसर्स नेशनल रेअन कारपोरेशन लिमिटेड ।

(ख) तथा (ग)। संयंत्र तथा मशीनें और कच्चा माल आयात करने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा हर सम्भव सहायता दी गई है और दी जा रही है जिससे इस उद्योग का विकास हो तथा वह अपनी सामर्थ्य भर उत्पादन कर सके। देशी उत्पादन को ध्यान में रखते हुए नक़ली सिल्क डोरे के आयात को भी नियन्त्रित किया जाता है।

केन्द्रीय सरकार द्वारा खरीदी गई साइकिलें

५७८. **श्री बी० एस० मूर्त्ति**: (क) क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष १९५०-५१ और १९५१-५२ में कुल कितनी साइकिलें खरीदी गईं तथा उनमें से कितनी देशी निर्माताओं से खरीदी गई थीं ?

(ख) देश में बनी साइकिलों की कीमतें विदेशी साइकिलों की कीमतों की तुलना में कैसी हैं ?

(ग) क्या भारतीय फैक्टरियों में साइकिलों के निर्माण में सामंजस्य स्थापित करने के लिये कोई योजना है तथा यदि है, तो उसकी तफसील क्या है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद उपमंत्री (श्री बुरागोहिन): (क) रसद तथा उत्सर्जन विभाग के महानिदेशक द्वारा की गई खरीदें इस प्रकार हैं :

खरीदी गई बाइसिकलों की संख्या--

वर्ष	केन्द्रीय सरकार के विभागों के लिये	राज्य सरकारों के लिये	कुल
१९५०-५१	४१२	९१३	१,३२५
१९५१-५२	४४९	९९८	१,४४७

सब साइकिलें देशी निर्माताओं से खरीदी गई थीं, अर्थात् (१) हिन्द साइकिल्स लिमिटेड, बम्बई; तथा (२) हिन्दुस्तान बाइसिकल्स मैन्युफैक्चरिंग एण्ड इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड, पटना से ।

(ख) देशी साइकिलों की कीमतें निम्न भांति थीं :--

मैसर्ज हिन्द साइकिल्स लि०, बम्बई

१९५०-५१--१३० रु० प्रति साइकिल ।

१९५१-५२--१४० रु० प्रति साइकिल। बाद म टायर और ट्यूब की कीमतों में वृद्धि होजाने के कारण बढ़ा कर १४१ रु० ८ आ० कर दी गई । चालू कीमत, अप्रैल १९५२ से १३९ रु० १४ आने है ।

मैसर्स हिन्दुस्तान मैन्युफैक्चरिंग एण्ड इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लि०, पटना

१९५०-५१--१३० रु० प्रति साइकिल ।

इन साइकिलों की कीमतें बाहर से मंगाई गई ऐसी ही साइकिलों की कीमतों की तुलना में काफ़ी सन्तोषजनक हैं ।

(ग) यह स्पष्ट नहीं है कि "सामंजस्य" से यथार्थ में क्या तात्पर्य है। यदि इसका अर्थ

साइकिलों के पुर्जों के छोटे छोटे निर्माताओं तथा पूरी साइकिलों के प्रतिष्ठित निर्माताओं के बीच सहयोजन है, तो उत्तर हां में है।

छोटे पैमाने पर सामान बनाने वाले निर्माताओं द्वारा तैयार की गई वस्तुओं की जांच समय-समय पर पूरी साइकिलों के निर्माताओं द्वारा की जा रही है ताकि यह पता लग सके कि साइकिल के उक्त भागों का प्रयोग उनकी साइकिलों में किया जा सकता है या नहीं। साथ ही ये भाग विस्तृत धातुकर्मिक, भौतिक तथा तुलनात्मक परीक्षणों के लिये गवर्नमेंट टैस्ट हाउस को भी भेजी जाती हैं। डाक तथा तार विभाग जैसे बड़े बड़े उपभोक्ताओं से इस बारे में सामायिक रिपोर्टें देने के लिये कहा जाता है कि ये साइकिलें सड़कों पर कैसा काम दे रही हैं।

भारतीय मान संस्था ने भी साइकिल के भागों की मान स्थापना का कार्य हाथ में ले लिया है।

सरकार उद्योग को ऐसे कच्चे माल के आयात में भी सहायता दे रही है जो देश में उपलब्ध नहीं है और जिसके स्थान में कुछ निर्माता अन्य देशी वस्तुओं का प्रयोग कर रहे हैं।

अल्युमिनियम की वस्तुएं (निर्यात)

५६९. **श्री एन० एल० जोशी** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करगे कि क्या अल्युमिनियम की वस्तुएं विदेश भी भेजी जाती हैं ?

(ख) यदि हां, तो सन् १९५१ तथा १९५२ में कितने मूल्य की वस्तुएं बाहर भेजी गईं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखियें परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या १२**]

विदेशी समाचार पत्र सम्वाददाता

५८०. **श्री मात्तन** : (क) क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि विदेशी पत्र सम्वाददाताओं को मान्यता प्रदान करने की विधि क्या है ?

(ख) क्या विदेशी न्यूज़ फ़ोटोग्राफ़र्स को भी पत्र सम्वाददाताओं के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है ?

(ग) क्या प्रेस सूचना कार्यालय की सूचना में कोई ऐसी घटना लाई गई है जिसमें मान्यता प्राप्त पत्र सम्वाददाताओं द्वारा रेलवे कंसेशन का दुरुपयोग किया गया हो तथा यदि लाई गई है तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) विधि विदेशी पत्र सम्वाददाताओं को मान्यता दिये जाने सम्बन्धी नियमों में निर्धारित है, जिसकी एक प्रति सदन पटल पर रखी जाती है। [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या १३**]

(ख) जी हां, यदि वे नियमों में निर्धारित शर्तों को पूरा करते हों।

(ग) जी नहीं।

बिहार में प्रसारण केन्द्र

५८४. **श्री एल० एन० मिश्र** : (क) क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि बिहार में दरभंगा में एक प्रसारण केन्द्र खोला जाने वाला है ?

(ख) क्या यह सच है कि भारत सरकार से यह अभ्यावेदन किया गया है कि बिहार में अखिल भारतीय रेडियो द्वारा मैथिली भाषा

तथा साहित्य के विकास को उचित सुविधाएं दी जायें ?

(ग) यदि हां, तो अभ्यावेदन की मुख्य बातें क्या हैं ?

(घ) इस मामले में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) दरभंगा में एक प्रसारण केन्द्र खोलने की कोई योजना नहीं है ।

(ख) तथा (ग). सन् १९४९ में कोई अभ्यावेदन किया गया था जिसके द्वारा यह प्रार्थना की गई थी कि पटना प्रसारण केन्द्र के कार्यक्रमों में मैथिली को अधिक महत्व दिया जाना चाहिये ।

(घ) कार्यक्रम मंत्रणा समिति के साथ विचार-विमर्श किया गया था और उसको यकीन था कि उक्त केन्द्र द्वारा प्रसारित कार्यक्रम में मैथिली भाषा को पर्याप्त स्थान दिया जा रहा है ।

अगरताल्ला में विस्थापित व्यक्तियों के बाबार

५८५. श्री दशरथ देव : (क) क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि विस्थापित व्यक्तियों की आत्म-सहायता समिति ने अपनी इच्छा से और अपने खर्चे से अगरतल्ला टाउन में एक बाजार बनाया है ?

(ख) क्या यह सत्य है कि इस बाज़ार के पुनर्निर्माण के फलस्वरूप छोट छोटे विस्थापित व्यापारियों को जीविका अर्जन की उचित सुविधायें मिल गई हैं ?

(ग) क्या यह सच है कि ज़िला मंत्री ने बाज़ार के आगे पुनर्निर्माण को रोकने का आदेश दे दिया है ?

(घ) क्या सरकार जानती है कि इस से विस्थापित व्यक्तियों और छोटे व्यापारियों को बहुत नुकसान हो रहा है ?

(ङ) सरकार लोगों के ऐसे कार्यों के लिये उत्साह को बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) से (ङ) सरकार को विस्थापित व्यक्तियों की किसी आत्म-सहायता समिति के अस्तित्व का कुछ पता नहीं है। हां, अगरतल्ला के कस्बे में कुछ विस्थापित व्यक्तियों न सरकारी ज़मीन पर अनाधिकृत निर्माण शुरू कर दिया था । ज़िला मजिस्ट्रेट ने यह आदेश दिया है कि ज़िला प्राधिकारियों की अनुमति के बिना सरकारी ज़मीन पर कोई निर्माण नहीं हो सकता और अग्रेतर निर्माण कार्य रोक दिया गया है। हां, स्थानीय अधिकारी अग्रेतर निर्माण के प्रश्न की जांच कर रहे हैं।

त्रिपुरा में शिविरों में विस्थापित व्यक्ति

५८६. श्री दशरथ देव : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों को शारीरिक परिश्रम द्वारा जीविका कमाने के लिये भी शिविरों से बाहर नहीं जाने दिया जाता ;

(ख) क्या यह सच है कि इन विस्थापित व्यक्तियों को, जो कृषि मज़दूरों के रूप में काम करके जीविका कमाने के लिये शिविरों के बाहर जाते हैं, शिविर अधिकारियों द्वारा अपराधी करार दे दिया जाता है और उनके मिलने वाले दामों में कटौती हो जाती है ;

(ग) क्या यह सच है कि वही अधिकारी इन विस्थापित व्यक्तियों को इस बात का

प्रोत्साहन दे रहे हैं कि स्थानीय किसानों से बिना काम किये धन दिये जाने की मांग करें;

(घ) क्या यह सच है कि इन कार्यवाहियों की विशिष्ट रिपोर्ट ज़िला मजिस्ट्रेट तथा पुनर्वास विभाग के प्रभारी अधिकारी से की गई थी परन्तु उनसे कोई विशिष्ट जवाब नहीं मिला ; तथा

(ङ) क्या सरकार पुनर्वास कार्य को अधिक तेज़ी के साथ करने के प्रयोजन से स्थानीय लोगों, विस्थापित व्यक्तियों तथा सरकारी अधिकारियों के प्रतिनिधियों की एक समिति या समितियां स्थापित करने का विचार कर रही है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) जी नहीं। इसके विपरीत, शिविरों में रहने वाले विस्थापित व्यक्तियों को तो शारीरिक परिश्रम द्वारा जीविका कमाने के लिये प्रोत्साहन दिया जाता है।

(ख) जी नहीं। जो व्यक्ति जीविका कमाने के लिये शिविरों से बाहर जाते हैं उन्हें अपराधी नहीं समझा जाता। हां, जो व्यक्ति काम कर सकते हैं उन्हें कोई दान नहीं दिया जाता और वे अपनी जीविका स्वयं कमाते हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) मांगी गई जानकारी इकट्ठी की जायगी और सदन पटल पर रख दी जायगी।

(ङ) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के विषय में सरकार को परामर्श देने के लिये केन्द्र में तथा राज्य के मंडल में सरकारी तथा असरकारी व्यक्तियों की समितियां है।

भारतीय पटसन मिल संघ

५८७. श्री राजगोपाल राव : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने भारतीय पटसन मिल संघ को कोई अनुदान दिया है तथा यदि दिया है, तो कितना और किस प्रयोजन के लिये ?

(ख) क्या उक्त अनुदान के लिये आयव्ययक में कोई व्यवस्था होनी है ?

(ग) उक्त संघ के मुख्य कृत्य क्या हैं ?

(घ) कार्यपालक निकाय के सभापति तथा सदस्य कौन हैं ?

(ङ) क्या वे भारतीय हैं या अभारतीय तथा यदि उन में भारतीय तथा अभारतीय दोनों हैं, तो भारतीय सदस्य कितने हैं और अभारतीय कितने हैं ?

(च) क्या उक्त संघ में सरकार के तथा पटसन उत्पादकों के भी कोई प्रतिनिधि हैं ?

(छ) क्या यह सच है कि पटसन की वस्तुओं के लिये अर्जेन्टाइना का हाल का आर्डर भारतीय पटसन मिल संघ को दे दिया गया था, सामान्य व्यापारियों को नहीं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा क्या ऐसी कार्यवाही का कोई दृष्टान्त भी है ?

(ज) अर्जेन्टाइना के आर्डर द्वारा कुल कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य का माल मंगाया गया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) भारतीय पटसन मिल संघ को भारतीय पटसन की वस्तुओं का संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रचार करने के कार्य में सहायतार्थ २५,००० डालर का तदर्थ अनुदान दिया गया है।

(ख) सन्निहित व्यय चालू वर्ष के लिये स्वीकृत आयव्ययक अनुदान में बचत से या पुनर्विनियोग द्वारा पूरा किया जायगा ।

(ग) संघ के मुख्य कृत्य सदस्यों तथा कर्मचारियों और सदस्यों तथा सदस्यों के बीच सम्बन्धों के विनियमन से सम्बन्ध रखते हैं और इस के अलावा संघ के ये कृत्य भी हैं :

(१) संघ की सदस्यों मिलों के उत्पादन का विश्व बाज़ार की मांग के साथ समायोजन करना ।

(२) पटसन तथा पटसन की वस्तुओं के निर्माण के लिये आवश्यक संयन्त्र तथा यन्त्र के टैकिनकल विकास को प्रोत्साहन तथा वित्त देना।

(३) पटसन के नये प्रयोगों की वैज्ञानिक खोज़ को प्रोत्साहन तथा वित्त देना और उप-उत्पादों का पता लगाना।

(घ) संघ की समिति के सन् १९५२ के लिये अध्यक्ष तथा सदस्य ये हैं :

अध्यक्ष

श्री डब्लू बी० मौनकर

उपाध्यक्ष

श्री जी० जे० गार्डनर

श्री जे० जी० वाल्टन

सदस्य

श्री एम० पी० बिड़ला
श्री जे० ए० डंकन
श्री डी० पी० गोयनका
श्री डब्लू० एफ़० होव
श्री के० डी० जालान
श्री आई० जी० कैन्नेडी
श्री आर० के० मोरे
श्री जे० एस० क्विन

(ङ) संघ की समिति में चार भारतीय तथा सात अभारतीय सदस्य हैं ।

(च) जी नहीं ; संघ पूर्णतः असरकारी निकाय है जो केवल मिलों का प्रतिनिधित्व करता है ।

(छ) आर्डर पूर्व दृष्टान्तों का अनुसरण करते हुए ही भारतीय पटसन मिल संघ की मार्फ़त उद्योग को दिया गया है ताकि इस बात का यक़ीन हो जाये कि आर्डर का माल समय पर दे दिया जायेगा और कई मिलों से, न्यायोचित रूप से, लिया जायेगा ।

(ज) मात्रा लगभग ४०,००० मेटरिक टन तथा मूल्य कोई ८ करोड़ रुपये हैं ।

बर्मा से आये निष्क्रमणार्थी

५८८. श्री राजगोपाल राव : (क) क्या **प्रधान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि बर्मा से आये कितने निष्क्रमणार्थियों को मद्रास राज्य के विशाखापटनम तथा श्रीकाकुलम ज़िलों में बसाया गया ?

(ख) उन में से कितनों को काम दिया गया ?

(ग) इन व्यक्तियों के बसाये जाने पर कुल कितना धन व्यय किया गया ?

(घ) इन निष्क्रमणार्थियों को ऋण के रूप में कुल कितनी धनराशि दी गई तथा इस में से कितनी वापस ले ली गई है ?

(ङ) क्या सरकार को इन निष्क्रमणार्थियों से या अन्य व्यक्तियों से इस ऋण को रद्द करने के लिये कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ?

(च) क्या सरकार इन निष्क्रमणार्थियों को भी वे ही सुविधायें दे रही है जो पाकिस्तान से आये निष्क्रमणार्थियों को दी जा रही हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) उन भारतीयों के सम्बन्ध में जो बर्मा

सरकार के अधीन नौकरियों में लगे हुए थे और जिन्हें राष्ट्रीयता के आधार पर नौकरी से अलग कर दिया गया था, लोक-सभा में दो तारांकित प्रश्नों (संख्या ६६९ तथा ७४२) का उत्तर दिया गया था। इस वर्ग को छोड़ कर बर्मा से आये भारतीय निष्क्रमणार्थियों को इन दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है :–

(१) वे व्यक्ति जो गत विश्व युद्ध के दौरान में बर्मा से भारत आये ;

(२) वे व्यक्ति जो १९४९ में तथा उस के पश्चात्, विद्रोहियों द्वारा की गई खलबली के कारण बर्मा छोड़ कर भारत आये हैं।

श्रेणी (२) के निष्क्रमणार्थियों को समस्त सम्भव सहायता देने का उत्तरदायित्व मद्रास की राज्य सरकार को सौंप दिया गया था, अतः प्रश्न के भिन्न भिन्न भागों में ऐसे निष्क्रमणार्थियों के सम्बन्ध में मांगी गई जानकारी भारत सरकार के पास नहीं है। हां, ख्याल है कि मद्रास सरकार इस विषय में जो कुछ कर सकती है, कर रही है और भारत सरकार ने भी राज्य सरकार से निष्क्रमणार्थियों के सम्बन्ध में रिपोर्ट देने की प्रार्थना की है।

श्रेणी (१) के निष्क्रमणार्थियों की, जो विशाखापटनम तथा श्रीकाकुलम के ज़िलों में बसे, कुल संख्या के बारे में भी जानकारी प्राप्य नहीं है। हां, विशाखापटनम ज़िले में ४२,६५५ तथा श्रीकाकुलम ज़िले में ४१,२७८ मामलों में, भारत सरकार की युद्ध क्षेत्रों से आने वाले निष्क्रमणार्थियों को वित्तीय सहायता देने की योजना के अन्तर्गत, अग्रिम धन दिये गये थे।

(ख) भारत सरकार की युद्ध क्षेत्रों से आने वाले निष्क्रमणार्थियों को वित्तीय सहायता देने की योजना में, जिस के अन्तर्गत निष्क्रमणार्थियों को पोषण, शिक्षा आदि के लिये ऋण दिये गये थे, उन्हें काम देने के लिये कोई उपबन्ध नहीं था।

(ग) तथा (घ). इन निष्क्रमणार्थियों को उनके द्वारा वापस करने के वचन दिये जाने पर, ऋण के रूप में दी गई कुल धनराशि विशाखापटनम में ३०,३४,०६१ रुपये और श्रीकाकुलम में ३२,३९,९८३ रुपये थी। मई १९५२ तक इन में से २८,९४९ रुपये विशाखापटनम में और ३२,९९७ रुपये श्रीकाकुलम में वापस लौटा दिये गये हैं।

(ङ) जी हां। हाल ही में मद्रास राज्य के कुछ निष्क्रमणार्थियों तथा निष्क्रमणार्थी संघों से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे जिन में भारत सरकार से यह प्रार्थना की गई थी कि निष्क्रमणार्थियों को दिये गये अग्रिम धन वापस न लौटाये जायें। भारत सरकार की नीति यह है कि ये धन केवल उन्हीं दशाओं में वसूल किये जायें जब कि ऐसी वसूली से देने वालों को कोई अनुचित कठिनाई न हो। यदि सम्बन्धित व्यक्ति अधिक आवश्यकताग्रस्त होते हैं तो ये धन छोड़ दिये जाते हैं।

(च) जी नहीं। युद्ध क्षेत्रों से आने वाले निष्क्रमणार्थियों को सहायता देने की योजना फ़रवरी १९४८ में समाप्त कर दी गई थी।

विस्थापित सरकारी कर्मचारियों के निवृत्ति वेतन तथा भविष्य निधि सम्बन्धी दावे

५८९. **सरदार हुक्म सिंह :** (क) क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि विस्थापित सरकारी कर्मचारियों तथा पाकिस्तान में राज्यों तथा स्थानीय निकायों के कर्मचारियों ने अपने निवृत्ति वेतन, भविष्य निधि, छुट्टी के वेतन, जमानत के धन आदि के कितने दावे किये जो सत्यापन के लिये पाकिस्तान सरकार को भेजे गये ?

(ख) उपरोक्त भाग (क) में निर्दिष्ट दावों में से कितने उस सरकार द्वारा सत्यापित कर के वापस भेज दिये गये हैं ?

(ग) पाकिस्तान द्वारा ऐसे कितने दावे सत्यापन के लिये यहां भेजे गये तथा भारत सरकार ने कितने सत्यापित करके वापस भेज दिये ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) केन्द्रीय दावा संस्था (भारत) ने पाकिस्तान की केन्द्रीय दावा संस्था को ३० नवम्बर, १९५२ तक सत्यापन के लिये १८,७९१ दावे भेजे । हां, इस संख्या में वे दावे शामिल नहीं हैं जो बंगाल तथा पंजाब के विभाजित प्रान्तों के सम्बन्ध में किये गये और जिनका निपटारा केन्द्रीय दावा संस्था द्वारा नहीं किया जाता ।

(ख) ५१९९ ।

(ग) पाकिस्तान सरकार द्वारा सत्यापन के लिये भारत भेजे गये कुल २४,९२० दावों में से १४,४१० दावे इस सरकार द्वारा सत्यापित करके वापस भेजे जा चुके हैं ।

सामुहिक रेडियो

५९०. **सरदार हुक्म सिंह :** (क) । क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत में ३० सितम्बर १९५२ तक कुल कितने सामुहिक रेडियो लगाये गये ?

(ख) गत छै मासों में, अर्थात्, १ अप्रैल १९५२ से ३० सितम्बर १९५२ तक कितने और रेडियो लगाये गये ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) बताया जाता है कि ३० सितम्बर, १९५२ तक रेडियो सुनने के सार्वजनिक केन्द्रों में ५,८९२ रेडियो लगायें गये हैं ।

(ख) १ अप्रैल, १९५२ से ३० सितम्बर १९५२ तक की अवधि में ५९० रेडियो और लगाये गये हैं ।

Par. S. 18. VI. 8.'52

285

अंक ६

संख्या ८

शुक्रवार,,

१२ दिसम्बर, १९५२

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha

संसदीय वाद विवाद

लोक सभा

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

विषय-सूची

'देहली एक्सप्रेस द्वारा क्षमा याचना [पृष्ठ भाग १६५३—१६५४]

विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट [पृष्ठ भाग १६५४].

समितियों के निर्वाचन—

(१) केन्द्रीय सिल्क बोर्ड [पृष्ठ भाग १६५४—१६५५]

(२) भारत की क्षय रोग संस्था की केन्द्रीय समिति [पृष्ठ भाग १६५५]

पटल पर रखे गये पत्र—

(१) कृष्ण और गोदावरी के पानी के सम्बन्ध में रिपोर्ट [पृष्ठ भाग १६५५]

(२) सिफारिशों की आलोचना [पृष्ठ भाग १६५५]

(३) सम्मेलन के संक्षिप्त संस्मरण [पृ भाग १६५५]

(मूल्य ६ आने)

146 PSD

उद्योग (विकास तथा विनियमन) संशोधन विधेयक—पुरःस्थापित [पृष्ठ भाग १६५६]

१९५२-५३ के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगें [पृष्ठ भाग १६५५—१७०१]

मांग संख्या ५—संचरण मंत्रालय
मांग संख्या २३—वैदेशिक कार्य
मांग संख्या २३-क—चन्द्रनगर
मांग संख्या ३०—मुद्रांक
मांग संख्या ३२—लेखापरीक्षा
मांग संख्या ४०—विभाजन पूर्व [redacted]
मांग संख्या ४८—असैनिक पशुचिकित्सा सेवाएं
मांग संख्या ४९—खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अधीन विविध व्यय
मांग संख्या ५८—जनसंख्या
मांग संख्या ७०—प्राकृतिक-संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रालय
मांग संख्या ७८—पुनर्वास मंत्रालय
मांग संख्या ७९—विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय
मांग संख्या ८३—कच्छ
मांग संख्या ८४—विलासपुर
मांग संख्या ८५—मनीपुर
मांग संख्या ८६—त्रिपुरा
मांग संख्या ८७—राज्यों के साथ सम्बन्ध
मांग संख्या ८८—राज्य मंत्रालय के अधीन विविध व्यय
मांग संख्या ९५—निर्माण, उत्पादन तथा रसद मंत्रालय
मांग संख्या १००—लेखन सामग्री तथा मुद्रण
मांग संख्या १०१—विविध विभाग और निर्माण उत्पादन तथा रसद मंत्रालय के अधीन व्यय
मांग संख्या ११८—खाद्य तथा कृषि मंत्रालय का अल्प पूंजी व्यय
मांग संख्या १३२—निर्माण, उत्पादन तथा रसद मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय

विनियोग (संख्या ३) विधेयक पारित [पृष्ठ भाग १७०१—१७०६]

संसदीय वाद विवाद

(भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही)

शासकीय वृत्तान्त

लोक सभा

शुक्रवार, १२ दिसम्बर, १९५२

सदन की बैठक पौने ग्यारह बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

१२-२० म० प०

'देहली एक्सप्रैस' द्वारा क्षमा-याचना

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे सदन को सूचित करना है कि 'देहली एक्सप्रैस' के प्रबन्ध सम्पादक से मुझे एक क्षमा-याचना का पत्र प्राप्त हुआ है, जो कि इस प्रकार है :

"इस पत्र के द्वारा मैं अपने पत्र में आज प्रात: एक प्रस्तुत किये जाने वाले स्थगन प्रस्ताव के प्रकाशित किये जाने पर खेद प्रकट करता हूं।

यह असावधानी के कारण और इस प्रकार के मामलों से सम्बन्धित प्रथाओं की अज्ञानता के कारण हो गया था।

सदन की प्रथाओं के उल्लंघन के लिये क्षमा-याचना करते हुए, श्रीमान्, मैं आप को विश्वास दिलाता हूं कि इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि इस प्रकार की गलतियां दुहराई न जायें।"

इस क्षमा-याचना को ध्यान में रखते हुए, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस मामले को समाप्त समझा जाये।

विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काट्जू) : मैं निम्न विशेषाधिकार के दो प्रश्नों पर विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूं :

(१) डा० सत्यनारायण सिन्हा संसद् सदस्य द्वारा सदन पटल पर रखे गये कुछ पत्रों के सम्बन्ध में विशेषाधिकार का प्रश्न, जिसे २३ जून, १९५२ को समिति को निर्दिष्ट किया गया था।

(२) श्री पी० सुन्दरैय्या सदस्य राज्य-परिषद् द्वारा दिये गये वक्तव्य के सम्बन्ध में विशेषाधिकार का प्रश्न, जिसे १२ जुलाई, १९५२ को समिति को निर्दिष्ट किया गया था।

समितियों के निर्वाचन

१. केन्द्रीय सिल्क बोर्ड

२. भारत की क्षय रोग संस्था की केन्द्रीय समिति।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सदन को सूचित करता हूं कि मैं निम्न सदस्यों को यथाविधि निर्वाचित घोषित करता हूं :

१. केन्द्रीय सिल्क बोर्ड

१. श्री आर० के० चौधरी

२. श्री एम० के० शिवनंजप्पा

[उपाध्यक्ष महोदय]

३. श्री एस० के० बी० कंदासामी

२. **भारत की क्षय रोग संस्था की केन्द्रीय समिति**

१. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती

२. डा० सुशीलरंजन चटर्जी

पटल पर रखे गये पत्र

(१) कृष्णा और गोदावरी के पानी के सम्बन्ध में रिपोर्ट

(२) सिफ़ारिशों की आलोचना

(३) सम्मेलन के संक्षिप्त संस्मरण

योजना सिंचाई, तथा विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : मैं निम्न पत्रों की एक एक प्रतिलिपि सदन पटल पर रखता हूं।

(१) कृष्णा और गोदावरी के पानी का अधिकतम प्रयोग करने के लिये टेकनिकल समिति की रिपोर्ट।

(२) समिति की सिफ़ारिशों पर मद्रास और हैदराबाद सरकारों की आलोचना।

(३) योजना आयोग और मद्रास तथा हैदराबाद सरकारों के प्रतिनिधियों के ८ मई, १९५२ के सम्मेलन के संक्षिप्त संस्मरण।

[पुस्तकालय में रखे गये देखिये संख्या ४—एम-४ (३३)]

श्री रघुरामय्या (तेबालि) : श्रीमान्, सूचना के प्रश्न के हेतु क्या माननीय मंत्री रिपोर्ट को पुस्तक के रूप में प्रकाशित करने के प्रश्न पर विचार करेंगे ताकि यह सामान्य जनता को उपलब्ध हो सके ?

श्री नन्दा : यहां रिपोर्ट की पर्याप्त प्रतियां मिल सकती हैं। इसे यथासमय पुस्तक के रूप में भी प्रकाशित किया जायेगा।

उद्योग (विकास तथा विनियमन) संशोधन विधेयक

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम १९५१ में संशोधन करनें वाले एक विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

१९५२-५३ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन १९५२-५३ के अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर विचार करेगा।

श्री एच० एन० मुखर्जी: (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : क्या मैं यह निवेदन कर सकता हूं कि समय ५-४० या कम से कम ५-३० तक बढ़ा दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं तैयार हूं। किन्तु माननीय सदस्य अन्य माननीय सदस्यों की सहमति भी ले लें।

श्री नम्बियार (मयूरम) : श्रीमान्, गणपूर्ति अवश्य रहेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा। मैं पहले माननीय सदस्य से यह जानना चाहूंगा कि वे किन किन कटौती प्रस्तावों पर आग्रह करना चाहते हैं या विशेषरूप से सरकार या

सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। मैं आशा करता था कि विभिन्न दल मिल कर मुझे कटौती प्रस्तावों की एक निश्चित सूची देंगे। इस के पश्चात् प्रत्येक विषय--मांग--के लिये समय निश्चित किया जा सकता है।

माननीय मंत्री ने मुझे कटौती प्रस्तावों की एक सूची दी है। किन्तु अभी अभी मुझे एक और सूची प्राप्त हुई है, जिस पर माननीय सदस्य सहमत हैं।

उन कटौती प्रस्तावों की संख्या जिन्हें प्रस्तुत किया जा सकता है यह है .

२, ५, ६, ११, २६, २७, ३१, ३५, ३९, ४४, ४६, ५२, ५३, ५४ , ५८, ६२, ६३, ६५, ६७, ६८, ७०, ७१, ७५, ७८, ८०, ८१, ८४।

मैं सब से पहले मांगों को सदन के समक्ष रखूंगा। इस के बाद माननीय सदस्य इन कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत कर सकते हैं।

मांग संख्या ५.--संचरण मंत्रालय--८३,००० रुपये।

मांग संख्या २३.--वैदेशिक कार्य--२३,१६,००० रुपये।

मांग संख्या २३क.--चन्द्रनगर--२१,८६,००० रुपये।

मांग संख्या ३०.--मुद्रांक--१५,५०,००० रुपये।

मांग संख्या ३२.--लेखा परीक्षा--४,७२,००० रुपये।

मांग संख्या ४०.--विभाजनपूर्व अदायगी--९८,३०,००० रुपये।

मांग संख्या ४८.--असैनिक पशु चिकित्सा सेवायें--१,१३,००० रुपये।

मांग संख्या ४९.--खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अधीन विविधव्यय--४५५,३५,००० रुपये।

मांग संख्या ५८.--जनगणना--५,००,००० रुपये।

मांग संख्या ७०.--प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रालय--१,५४,००० रुपये।

मांग संख्या ७८.--पुनर्वास मंत्रालय--६५,००० रुपये।

मांग संख्या ७९.--विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय--१२२,७०,००० रुपये।

मांग संख्या ८३.--कच्छ--१२,२९,००० रुपये।

मांग संख्या ८४.-- बिलासपुर--५,४८,००० रुपये।

मांग संख्या ८५.--मनीपुर--१,५५,००० रुपये।

मांग **संख्या** ८६.--त्रिपुरा--१०,४४,००० रुपये।

मांग संख्या ८७.--राज्यों के साथ सम्बन्ध--४,६३,००० रुपये।

मांग संख्या ८८.--राज्य मंत्रालय के अधीन विविध व्यय--११,६२,००० रुपये।

मांग संख्या ९५.--निर्माण, उत्पादन तथा रसद मंत्रालय--१,९५,००० रुपये।

मांग संख्या १००.--मुद्रण तथा लेखन सामग्री--४७,००,००० रुपये।

मांग संख्या १०१.--निर्माण, उत्पादन तथा रसद मंत्रालय के अधीन विविध विभाग और व्यय--५०,००,००० रुपये।

मांग संख्या ११८.--खाद्य तथा कृषि मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय--१३६,९३,००० रुपये।

मांग संख्या १३२.--निर्माण, उत्पादन तथा रसद मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय--१,००० रुपये।

[उपाध्यक्ष महोदय]

अब कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

मितव्ययता

श्री दामोदर मेनन : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"'वैदेशिक कार्य' सम्बन्धी मांग म १०० रुपये की कटौती की जाये।"

मुस्लिम नागरिकों को पारपत्र देना

श्री टी० के० चौधरी : (बरहामपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"'वैदेशिक कार्य' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये।"

भारत और पूर्वी पाकिस्तान के बीच यात्रा करने के लिये पारपत्र

"'वैदेशिक कार्य' सम्बन्धी मांग में १०० रुपय की कटौती की जाये।"

भारत-पाक पारपत्र प्रणाली

श्री के सब्रह्मण्यम (विजियानगरम्) मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"'वैदेशिक कार्य' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये।"

मितव्ययता

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : म प्रस्ताव करता हूं कि :

"'वैदेशिक कार्य' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये।"

प्रशासन

श्री तुषार चटर्जी (श्रीरामपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"'चन्द्रनगर' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये।"

जनगणना कार्य

श्री सोरेन (पूर्निया व सन्थाल परगना—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"'जनगणना' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये।"

मितव्ययता

श्री केलप्पन : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"'प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये।

अधिक पद निकालना

श्री वी० एस० मूर्ति (एलरू) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"'प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जांये।"

अतिरिक्त मोटरकार

श्री गिडवानी (थाना) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"'पुनर्वास मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये।"

विस्थापित व्यक्तियों को बसाना

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैं प्रस्ताव करती हूं कि :

"'विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये।"

संधारण भत्ता

श्री गिडवानी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"'विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये।"

शरणार्थियों के लिये अनुदान तथा ऋण

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"'विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये।"

पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थी

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: मैं प्रस्ताव करती हूं कि :

"'विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये।"

प्रशासन का जनतन्त्रीकरण

श्री दामोदर मेनन : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"'मनीपुर' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये।"

मनीपुर राज्य का प्रशासन

श्री रिशांग किशिंग (बाह्य मनीपुर--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"'मनीपुर' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये।"

त्रिपुरा में प्रशासन तन्त्र

श्री एन० बी० चौधरी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"'त्रिपुरा' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये।"

रेलवे पुलिस अजमेर आदि

श्री यू० एम० त्रिवेदी (चित्तौड़) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"राज्यों के साथ सम्बन्ध' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये।"

मितव्ययता

श्री दामोदर मेनन: मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"निर्माण, उत्पादन तथा रसद मंत्रालय सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये।"

गृह निर्माण कार्य-क्रम को क्रियान्वित करना

श्री नम्बियार (मयूरम्) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"निर्माण, उत्पादन तथा रसद मंत्रालय सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये।"

विभाग में परिवार पोषण तथा भ्रष्टाचार

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"निर्माण, उत्पादन तथा रसद मंत्रालय सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये।"

बहुत से मजदूरों की छटनी

श्री नम्बियार: मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

"निर्माण, उत्पादन तथा रसद मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये।"

डी० डी० टी० के कारखाने में परिवर्तन

कुमारी एनी मस्करीन (त्रिवेन्द्रम्) : मैं प्रस्ताव करती हूं कि :

"निर्माण, उत्पादन तथा रसद मंत्रालय के अन्य पूंजी व्यय सम्बन्धी

[कुमारी एनी मस्करीन]

मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

डी० डी० टी० के कारखाने का हस्तांतरण

श्री टी० के० चौधरी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"निर्माण, उत्पादन तथा रसद मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

भारत में सरकारी डी० डी० टी० का कारखाना

श्री के० के० बसु (डायमंड हारबर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

" निर्माण, उत्पादन तथा रसद मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : सदन को यह समझ लेना चाहिये कि सब मांगें इन सब कटौती प्रस्तावों के साथ विचाराधीन हैं । यह इस लिये किया गया है कि किसी माननीय सदस्य को बार बार न बोलना पड़े । प्रत्येक मांग पर अलग अलग चर्चा होगी और कटौती प्रस्ताव पृथक रूप से प्रस्तुत किये जायेंगे ।

श्री त्यागी : सदन के हित में मैं एक बात कहना चाहूंगा । बहुत से कटौती प्रस्ताव अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं और जनता को इन के सम्बन्ध में संसद् की राय जानने का अधिकार है । इसी लिये मेरा निवेदन यह है कि प्रत्येक कटौती प्रस्ताव को अलग अलग लिया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : जैसे सदन की इच्छा हो । मैं प्रत्येक मांग को बारी बारी से लूंगा ।

इसके पश्चात् सदन की बैठक मध्यान्ह भोजन के लिये ढाई बजे तक के लिये स्थगित हो गई ।

मध्यान्ह भोजन के पश्चात् सदन की बैठक ढाई बजे पुनः समवेत हुई ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे ।]

उपाध्यक्ष महोदय : अब मांग संख्या २३ पर चर्चा की जायेगी । कटौती प्रस्ताव ये हैं : संख्या २, ५, ६, ५८, और ७५ । प्रत्येक सदस्य को पांच मिनट का समय दिया जायेगा ।

श्री दामोदर मेनन : सरकार और सदन का ध्यान प्रशासन में मितव्ययता करने की आवश्यकता की ओर दिलाने के लिये मैं ने यह कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया है । सरकार ने यह घोषणा तो कर दी है कि उसका व्यय में कमी करने का इरादा है किन्तु जब इस सम्बन्ध में सिफ़ारिशें की जाती हैं तो सरकार को उन्हें क्रियान्वित करने में संकोच होता है । हमें इस में संदेह है कि सरकार उन पदाधिकारियों की सिफ़ारिशों का जिन्हें मंत्रालयों के व्यय की जांच करने के लिये नियुक्त किया गया है, वस्तुतः क्रियान्वित करना चाहती है ।

मांग के सम्बन्ध में मैं केवल एक मद की ओर निर्देश करूंगा । एक सांस्कृतिक शिष्ट-मंडल को चीन भेजने के लिये १,३३,००० रुपये के व्यय का उल्लेख किया गया है । माननीय उपमंत्री ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि सांस्कृतिक शिष्टमंडलों के लिये सामान्यतया आय-व्ययक में २ लाख रुपये की व्यवस्था की जाती है । मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह मंडल इतना महत्वपूर्ण था कि इस के लिये सरकार को अनुपूरक अनुदान की मांग करनी पड़ी । हमारा देश गरीब है । हम सांस्कृतिक मंडलों पर बहुत रुपया नहीं ख़र्च

कर सकते । सरकार को इन पर दो लाख रुपये से अधिक नहीं खर्च करना चाहिये ।

मैं एक और कटौती प्रस्ताव की ओर भी निर्देश करना चाहता हूं । मैं देखता हूं कि मांग संख्या ९५ में निर्माण, उत्पादन तथा रसद मंत्रालय के लिये ८६,००० रुपये मांगे गये हैं क्योंकि इस मंत्रालय का विभाजन किया गया है । इसी प्रकार मांग संख्या ७० में प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रालय के सम्बन्ध में कहा गया है कि इस मंत्रालय के पुनर्संगठन के कारण और अन्य मंत्रालयों से कुछ विषय इसे हस्तांतरित किये जाने के कारण अधिक पद निकालना आवश्यक हो गया है । प्राक्कलन समिति ने जिस ने इस मामले की जांच की थी यह कहा है कि बहुत से मंत्रालयों में पद कम किये जा सकते हैं । यदि नये कर्मचारियों की आवश्यकता हो भी तो क्या यह संभव नहीं है कि अन्य मंत्रालयों में कर्मचारि-वृन्द में कमी कर के उन्हें इस मंत्रालय में नियुक्त कर दिया जाये । मैं आशा करता हूं कि सरकार इस सुझाव पर गम्भीरता से विचार करेगी ।

श्री टी० के० चौधरी : इस सदन के सब पक्षों में स्पष्ट रूप से भारत-पाकिस्तान पारपत्र प्रणाली का विरोध किया है । किन्तु अब जब कि यह प्रणाली स्थायी बना दी गई है, मैं इस सम्बन्ध में सरकार का ध्यान एक ऐसे गम्भीर मामले की ओर दिलाना चाहता हूं, जिस का प्रभाव हज़ारों नागरिकों पर पड़ा है । मेरा ज़िला मुस्लिम बहुमत का जिला है । १९४७ में विभाजन के पश्चात् मेरे जिले से तथा भारत के अन्य प्रान्तों और जिलों से बहुत से मुस्लिम नागरिकों ने पाकिस्तान में सेवा करने का विकल्प दिया था । परन्तु यह ज्ञात नहीं कि अब उन की नागरिकता क्या है । पारपत्र प्रणाली जारी होने के बाद से बहुत से व्यक्तियों ने—मुझे अपने जिलेके कई सौ ऐसे व्यक्तियों का ज्ञान है—भारतीय पारपत्रों के लिये प्रार्थना पत्र दिये थे । इन में से बहुतसों के नाम निर्वाचक नामावलियों में भी दर्ज हैं । किन्तु पारपत्र अधिकारियों ने उन्हें पारपत्र देने से इन्कार कर दिया था, क्यों कि उन्हों ने पाकिस्तान में सेवा करने का विकल्प दिया था । उन से कहा गया है कि इस कारण उन्हें भारत का नागरिक नहीं माना जा सकता । यद्यपि लोग पाकिस्तान से सेवा करने का विकल्प देने के कारण साधारणतया भारत में निवास नहीं करते तथापि वे नागरिकता की और सब शर्तें पूरी करते हैं । सरकार को अब इस विषय पर एक स्पष्ट घोषणा कर देनी चाहिये क्योंकि इन में बहुत से लोगों की सम्पत्ति और भूमि भारत में है और उन के बच्चे हमारे स्कूलों में पढ़ते हैं । उन्हें कुछ सहायता अवश्य देनी चाहिये । क्योंकि इस समय वे बिना उन के किसी दोष के राज्य हीन बने हुए हैं ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं माननीय वित्त मंत्री और वैदेशिक कार्य मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि गत बजट सत्र में अपहृत स्त्रियों तथा बच्चों की बरामदगी के लिये जो अनुदान दिये गये थे, क्या वे उचित रुप से व्यय किये गये हैं । मैं ने इस सम्बन्ध में कुछ मामले ऐसे देखे हैं जिन में रुपया सावधानी से खर्च नहीं किया गया । देश के विभिन्न भागों—पंजाब, पैप्सू तथा अन्य स्थानों से बरामदगी के काम के लिये एक विशेष विभाग स्थापित किया गया है किन्तु सरकार यह प्रमाणित नहीं कर सकी कि इस विभाग को जारी रखना वास्तव में उपयोगी है । सरकार ने हमें कोई जानकारी नहीं दी कि कितनी अपहृत स्त्रियों को अब तक बरामद किया गया है और प्रति व्यक्ति व्यय किया है ? केवल दो सप्ताह पूर्व मुझे ज्ञात हुआ कि एक व्यक्ति ने जो कि इस विभाग में काम करता है अपहृत स्त्रियों

[श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी]

को ले जाने के लिये टैक्सियां किराये पर लेने के लिये ५०० रुपये का बिल बनाया था जिसे अधिकारियों ने मिथ्या होने के कारण अस्वीकार कर दिया था। और मुझे बतलाया गया है कि इस विभाग के पास २६ मोटर कार हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि इन का कैसे उपयोग किया जा रहा है। यदि ये पर्याप्त हैं, तो सरकार को और कारों की आवश्यकता क्यों पड़ती है। और ५०० रुपये का मिथ्या बिल क्यों दिया जाता है। अपहृत स्त्रियों को छुड़ाने और पुनः बसाने के नाम से बहुत सा रुपया खर्च किया जा रहा है और सब प्रकार के लोग इस में से अपना अपना हिस्सा ले रहे हैं। कांस्टीट्यूशन हाउस में जहां मैं रहता हूं कमरों की पूरी लाइन इस प्रयोजन के लिये अलग कर दी गई है और एक विशेष व्यक्ति को सारे विभाग का प्रभारी बना दिया गया है। उसे एक कार निःशुल्क दी गई है।

श्री त्यागी : क्या माननीय मंत्री कार देने पर आपत्ति कर रहे हैं। वह व्यक्ति अवैतनिक है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : जी नहीं। वह पूर्ण रूप से अवैतनिक सेवा नहीं कर रही है। कमरे देने के अतिरिक्त सरकार उन कमरों के आगे एक बाग की देख रेख भी करती है। उसे भोजन भी विशेष दिया जाता है और उस के लिये दाम नहीं लिया जाता।

श्री त्यागी : कांस्टीट्यूशन हाउस का मैस सरकार द्वारा नहीं चलाया जाता। यह ठेकेदारों द्वारा चलाया जाता है और मैं इस बात के लिये उत्तरदायी नहीं हूं कि वे माननीय सदस्यों को क्या क्या खाद्यपदार्थ संभरण करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : हमें असम्बद्ध या असंगत बातों में नहीं पड़ना चाहिये। माननीय सदस्य कृपया अपना भाषण मितव्ययता के मामलों तक ही सीमित रखें। सदन में इन बातों का उल्लेख करना कि अमुक व्यक्ति का खाना यह है या उसे विशेष भोजन दिया जाता है। उचित नहीं है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : यात्राओं पर भी बहुत सा रुपया खर्च किया जा रहा है किन्तु उन लोगों ने जो बरामदगी के सम्बन्ध में स्थान स्थान का दौरा करते हैं कोई उपयोगी काम नहीं किया। अतः यह अत्यावश्यक है कि सरकार अधिक सावधानी और मितव्ययता से काम ले।

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : श्री दामोदर मेनन ने सरकारी खर्च में मितव्ययता करने पर बहुत जोर दिया है। मैं उन्हें तथा सदन के सभी अन्य सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि सरकार द्वारा खर्च की गई प्रत्येक पाई से पूरा पूरा लाभ उठाया जायेगा। चीन को शिष्ट मंडल भेजने के बारे में, मैं यह बतलाना चाहूंगा कि इस के लिये सारे देश ने मांग की थी। लोग चाहते थे कि चीन की वास्तविक स्थिति जानने के लिये और नये शासन के अधीन वहां विभिन्न दिशाओं में जो प्रगति हुई है उसका परिचय लेने के लिये एक सांस्कृतिक प्रतिनिधि मंडल अवश्य भेजा जाये। चूंकि यह एक बड़ा प्रतिनिधि मंडल था अतः यात्रा भत्ता तथा अन्य प्रासंगिक व्यय के लिये १,३३,००० रुपये की आवश्यकता थी। हम तो और भी भिन्न देशों को प्रतिनिधि मंडल भेजना चाहते हैं, परन्तु वित्तीय तंगी के कारण ऐसा नहीं कर सकते। यदि हम ने चीन को एक प्रतिनिधि मंडल भेजा है, तो यह इस लिये क्यों कि हमारे लिये वहां किये जाने वाले महान प्रयोगों का ज्ञान प्राप्त करना अत्यन्त वांछनीय था।

श्री दामोदर मेनन : मैं यह कहना चाहता था कि हमें आयव्ययक में कीगई २ लाख रुपये की व्यवस्था से अधिक खर्च नहीं करना

चाहिये । मैं चीन को प्रतिनिधि-मंडल भेजने के विरुद्ध नहीं हूं ।

श्री अनिल के० चन्दा : जब आयव्ययक प्राक्कलन तैयार किये गये थे, उस समय इस प्रतिनिधि मंडल को भेजने का प्रस्ताव नहीं था । यदि होता, तो मैं कह सकता हूं कि सांस्कृतिक प्रतनिधि-मंडलों के लिये अधिक राशि की व्यवस्था की जाती । श्री टी० के० चौधरी ने जो प्रश्न उठाया है, वह मेरे विचार में एक पेचीदा और कानून का प्रश्न है । हम इस सम्बन्ध में विभिन्न मंत्रालयों से परामर्श कर रहे हैं और मामला विचाराधीन है । हमारा पक्ष यह है । किसी भारतीय नागरिक के पाकिस्तान की सरकार के अधीन सेवा करने पर कोई रोक नहीं है, किन्तु एक भारतीय नागरिक होने के लिये किसी व्यक्ति को अन्य चीज़ों के साथ इस बात का प्रमाण देना पड़ता है कि २६ जनवरी १९५० को वह भारत का अधिवासी था, और संविधान के अनुच्छेद ७ के अनुसार उस ने पाकिस्तान को प्रव्रजन नहीं किया था और संविधान के अनुच्छेद ९ के अनुसार वह किसी विदेशी राज्य का नागरिक नहीं बना था । उन सरकारी कर्मचारियों के मामले में जिन्हों ने १९४७ में पाकिस्तान में सेवा करने का निश्चय किया था और जो वहां रहने लगे थे सामान्यतया यह धारणा रही है कि इन तथ्यों के आधार पर उन्हें २६ जनवरी १९५० को भारत में अधिवासी नहीं समझा जा सकता और संविधान के अनुच्छेद ७ के अनुसार यह समझा जायेगा कि वे पाकिस्तान को प्रव्रजन कर चुके हैं । पारपत्र प्रणाली जारी होने पर कई एक व्यक्तियों ने जो पाकिस्तान में सेवा के लिये चले गये थे यह प्रश्न उठाया था और अब सारा मामला मंत्रालय के विचाराधीन है और इस सम्बन्ध में कोई अतिन्म निर्णय नहीं किया गया ।

अपहृत स्त्रियों की बरामदगी के बारे में, एक भारतीय होते हुए मैं यह कहता हूं कि जब तक इस देश में प्रत्येक अपहृत स्त्री उस के उचित संरक्षकों के हवाले नहीं की जाती, तब तक हमें लज्जा आती रहेगी और हम चैन से नहीं बैठ सकेंगे । और इस काम पर चा कितना ही रुपया खर्च हो जाये, वह व्यर्थ नहीं जायेगा । मितव्ययता का प्रश्न तो आवश्यक है ही और मैं कह सकता हूं कि यदि कोई झूठे बिल पेश किये गये, तो इन की स्वीकृति नहीं दी जायेगी ।

मोटर गाड़ियों के मामले की मैं ने स्वयं जांच की है । इस संस्था के विशाल कार्य-क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए यह बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि २६ मोटर गाड़ियां आवश्यकता से अधिक हैं । २६ गाड़ियों में से २ कराची में हैं और एक कलकत्ता में है । शेष २३ गाड़ियां जम्मू व काश्मीर, पैप्सू राजस्थान और उत्तर प्रदेश में चलाई जाती हैं ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं जान सकता हूं कि पिछले छः मासों में कितनी अपहृत स्त्रियां बरामद की गई हैं ?

श्री अनिल के० चन्दा : पंजाब उच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अनुसार दो मास बरामदगी का कोई काम नहीं हुआ । हम ९६ व्यक्ति पाकिस्तान को भेज चुके हैं ।

श्री बी० एस० मूर्ति : कराची से कितने आये हैं ।

श्री अनिल के० चन्दा : कराची से ? इस अवधि में हमें कराची से १७२ अपहृत व्यक्ति वापस भेजे गये हैं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"वैदेशिक कार्य सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं मांग को मतदान के लिये प्रस्तुत करूंगा ।

[उपाध्यक्ष महोदय]

प्रश्न यह है कि :

"३१ मार्च १९५३ को समाप्त होने वाले वर्ष में वैदेशिक कार्य मंत्रालय के निमित्त जो व्यय होगा उस के लिये राष्ट्रपति को २३,१६,००० रुपये तक की अनुपूरक राशि दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : मांग संख्या २३-क ।

श्री तुषार चटर्जी : आजकल चन्द्रनगर की स्थिति क्या है ? विधानतः हस्तातंरण के बाद चन्द्रनगर का प्रशासन भारत सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है । किन्तु जिस तरीके से भारत सरकार ने यह प्रशासन संभाला है वह लोकतंत्र के सब सिद्धान्तों के प्रति कूल है । चन्द्रनगर म्युनिसिपल सभा जो कि पिछले एक साल से काम कर रही थी भंग कर दी गई थी और इस के स्थान पर एक मंत्रणा परिषद् मनोनीत कर दी गई थी । इस परिषद् के अधिकतर सदस्य ऐसे हैं जो कि या तो म्युनिसिपिल सभा के निर्वाचनों में हार चुके थे या हारे हुए दलों से सम्बन्ध रखते हैं । चन्द्रनगर के लोगों ने कई बार मनोनीत मंत्रणा परिषद् स्थापित करने का विरोध किया है परन्तु भारत सरकार ने बिल्कुल परवाह नहीं की । यह सच है कि कानून के अनुसार इस विधानतः हस्तान्तरण के बाद कुछ परिवर्तन होना आवश्यक है । किन्तु मैं यह पूछता हूं कि उस पुरानी निर्वाचित सभा को पुनः स्थापित करने के लिये सरकार के रास्ते में क्या रुकावट थी ? सरकार की ओर से यह युक्ति दी गई है कि निर्वाचित सभा विलीनीकरण के प्रस्ताव के विरुद्ध थी और इस लिये इसे हटा कर एक नया शासनयन्त्र स्थापित करने के सिवाय सरकार के लिये कोई विकल्प नहीं था । यह बात बिल्कुल असत्य है । निर्वाचित सभा न केवल विलीनीकरण के प्रस्ताव का समर्थन करती थी अपितु विधानतः हस्तांतरण के तुरन्त बाद इस ने एक संकल्प द्वारा इस का स्वागत किया था और सरकार से अनुरोध किया था कि इस पर शीघ्र कार्यवाही की जाये । तो फिर सरकार ने ऐसा असाधारण पग क्यों उठाया ? इस का कारण वास्तव में यह था कि गत वर्ष चन्द्रनगर के निर्वाचनों में सब के सब स्थानों पर जिन की संख्या २५ थी, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव फ्रंट के उम्मेदवार जीत गये थे और कांग्रेस का एक भी उम्मीदवार सफल नहीं हो सका था । उस समय से यह सभा सरकार की आंखों में खटकने लगी है और उस ने जल्दी से जल्दी इसे भंग करने का प्रयत्न किया है । चन्द्रनगर के लोगों की मांग यह है कि लोकतन्त्र के हेतु निर्वाचित सभा को काम करने दिया जाये ताकि निर्वाचित प्रतिनिधियों के परामर्श से लाभ उठाया जा सके और चन्द्रनगर के लोगों के जीवन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, और वहां पर प्रचलित शिक्षा, अस्पतालों आदि की व्यवस्था में कोई बाधा न पड़े । एक और बात जिस के सम्बन्ध में चन्द्रनगर के लोग भारत सरकार से प्रत्याभूति चाहते हैं यह है कि चन्द्रनगर के विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों की वेतन क्षेणियों में कोई कमी न की जाये क्यों कि चन्द्र नगर में इस दिशा में बहुत प्रगति की है और भारत के नगरों की अपेक्षा वहां के अध्यापकों, सरकारी कर्मचारियों आदि के वेतन बहुत अधिक हैं । वह प्रगति के जिस स्तर पर पहुंच चुका है, उसे बनाये रखना चाहिये ।

श्री अनिल के० चन्दा: माननीय सदस्य ने अपने भाषण में बार बार यह कहा है कि वे चन्द्रनगर के लोगों की राय जानते हैं । हम भी जनमत को जानते हैं और हमारी राय में इस अन्तर्कालीन अवधि में प्रशासन की जो व्यवस्था की गई है, लोग

उस से बिल्कुल संतुष्ट हैं। मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि यह केवल एक अन्तरिम व्यवस्था है और हम चन्द्र नगर के प्रशासन के भविष्य के सम्बन्ध में जनमत जानने के लिये तुरन्त पग उठा रहे हैं। माननीय सदस्य ने चन्द्र नगर की वित्तीय स्थिति की ओर निर्देश किया है। आयव्ययक के अध्ययन से पता चलेगा कि हम ने चन्द्र नगर के विभिन्न लोक-कल्याण के कार्यों के लिये पर्याप्त व्यवस्था की है। सब से अधिक राशि की व्यवस्था शिक्षा के बारे में की गई है। मैं ने स्वयं चन्द्र नगर का दौरा किया है और जहां तक मुझे जनमत जानने का अवसर मिला है, मैं ने देखा है कि वहां जो प्रशासन है वह वास्तव में लोक प्रिय है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"चन्द्र नगर सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"३१ मार्च, १९५३ को समाप्त होने वाले वर्ष में 'चन्द्र नगर' के निमित्त जो व्यय होगा, उस के लिये राष्ट्रपति को २१,८६,००० रुपये तक की अनुपूरक राशि दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"३१ मार्च, १९५३ को समाप्त होने वाले वर्ष में 'संचरण मंत्रालय' के निमित्त जो व्यय होगा, उस के लिये राष्ट्रपति को ८३,००० रुपये की अनुपूरक राशि दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

३१ मार्च, १९५३ को समाप्त होने वाले वर्ष में 'मुद्रांक' के निमित्त जो व्यय होगा उस के लिये राष्ट्रपति को १५,५०,००० रुपये तक की अनुपूरक राशि दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"३१ मार्च, १९५३ को समाप्त होने वाले वर्ष में 'लेखा परीक्षा' के निमित्त जो व्यय होगा, उस के लिये राष्ट्रपति को ४,७२,००० रुपये तक की अनुपूरक राशि दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"३१ मार्च, १९५३ को समाप्त होने वाले वर्ष में 'विभाजन पूर्व अदायगी' के निमित्त जो व्यय होगा उस के लिये राष्ट्रपति को ९८,३०,००० रुपये तक की अनुपूरक राशि दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"३१ मार्च, १९५३ को समाप्त होने वाले वर्ष में 'असैनिक पशु-चिकित्सा सेवाओं' के निमित्त जो व्यय होगा, उस के लिये राष्ट्रपति को १,१३,००० रुपये तक की अनुपूरक राशि दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"३१ मार्च, १९५३ को समाप्त होने वाले वर्ष में 'खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अधीन विविध व्यय' के निमित्त जो व्यय होगा उस के लिए राष्ट्रपति को ४५५,३५,००० रुपये तक की अनुपूरक राशी दी जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : मांग संख्या ५८

श्री सोरेन (पूर्निया व सन्थाल परगना-रक्षित-अनुसूचित आदिमजातियां) : मेरे कटौती प्रस्ताव की संख्या ६२ है। जनगणना के काम पर जो अत्याधिक रुपया खर्च किया गया है, मैं उस की चर्चा करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या मांग के स्वीकृत होने के पहले जनगणना समाप्त नहीं हो चुकी थी ? यह कोई नई मद नहीं है। इस मांग की नीति पहले स्वीकार की जा चुकी है। इस सम्बन्ध

[उपाध्यक्ष महोदय]

में केवल आय-व्ययक के समय ही आपत्ति की जा सकती थी । इस समय माननीय सदस्य केवल वर्तमान व्यय के बारे में बोल सकते हैं और बतला सकते हैं कि इसे कैसे कम किया जाये ।

श्री सोरेन : जिस तरीके से हमारे जिले में जनगणना की गई है, मैं उस के बारे में कहना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह अनियमित है । उस तरीके को जिस से कि जनगणना की गई थी, किसी अनुपूरक मांग का विषय नहीं बनाया जा सकता । आयव्ययक की चर्चा के समय आप को अवसर मिला था परन्तु आप ने इस का उपयोग नही किया । इस समय केवल इतना कहा जा सकता है कि ५ लाख रुपये का यह अतिरिक्त व्यय बचाया जा सकता था और इसे किस तरह से बचाया जा सकता था ।

श्री सोरेन: मैं यह कहना चाहता था कि अनुचित तरीका अपनाने से ही यह अतिरिक्त व्यय हुआ है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि माननीय सदस्य गलत समझ रहे हैं । मेरे विचार में उन्हें और कुछ नहीं कहना है और जहां तक माननीय मंत्री का सम्बन्ध है, उन्हों ने भी बिल्कुल कुछ नहीं कहना । अतः कटौती प्रस्ताव उत्पन्न ही नहीं होता । प्रश्न यह है कि :

"३१ मार्च, १९५३ को समाप्त होने होने वाले वर्ष में, 'जनगणना' के निमित्त जो व्यय होगा, उस के लिये राष्ट्रपति को ५,००,००० रुपये तक अनुपूरक राशि दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : मांग संख्या ७० ।

श्री केलप्पन : मेरे कटौती प्रस्ताव की संख्या २६ है । इस सरकार की सदा यह शिकायत की जाती है कि इस का खर्च बहुत अधिक है और इसे नियंत्रित करने का कोई यत्न नहीं किया जाता । मांग संख्या ७० में १,५४,००० रुपये की राशि मांगी गई है और इस का कारण यह बताया गया है कि प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रालय के कुछ विभाग जिन का सम्बन्ध नदी घाटी योजनाओं से था एक नये मंत्रालय—सिंचाई तथा विद्युत मंत्रणालय—को हस्तांतरित कर दिये गये हैं और प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रालय के कुछ विषय बढ़ा दिये गये हैं । व्यय की एक और मद के अधीन ५०,००० रुपये इस लिये हैं कि इस मंत्रालय के कुछ पदाधिकारियों को सरकारी काम के सम्बन्ध में अमेरीका भेजा गया है । मैं नहीं जानता कि इन का वहां क्या काम था, क्योंकि ये वैज्ञानिक तो हैं नहीं । उन में से एक तो विधि मंत्रालय का कानूनी परामर्शदाता था । उस के बारे में तो यह कहा जा सकता है कि उस ने सरकारी खर्च पर अमेरीका में छुट्टी मनाई ।

[**पंडित ठाकुरदास भार्गव** अध्यक्ष-पद पर आसीन]

निर्माण, उत्पादन तथा रसद मंत्रालय की फ़जूल खर्जी का एक बड़ा उदाहरण यह है कि इस ने २,००० रुपये के वेतन पर एक पदाधिकारी नियुक्त किया हुआ है जिस का काम सस्ते मकानों के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियां आयोजित करना है । मैं नहीं समझ सकता कि निर्माण, उत्पादन तथा रसद मंत्रालय का अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी से क्या सम्बन्ध है । प्राक्कलन समिति ने भी कुछ सरकारी विभागों की फ़जूल खर्ची की आलोचना की है और कहा है कि कुछ विभागों में ६० या ७० प्रतिशत कमी की जा सकती है । परन्तु सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई पग नहीं उठाया । बड़े पदाधिकारियों और छोटे कर्मचारियों के वेतनों में जो इतना अन्तर है उसे भी घटाना चाहिये । अधिकतम वेतन २,००० रुपये और न्यूनतम १०० रुपये होना चाहिये ।

श्री बी० एस० मूर्ति: मैं देखता हूं कि जहां भी संभव है सरकार कर्मचारियों की संख्या बढ़ा रही है और अधिक खर्च कर रही है ।

१,५४,००० रुपये की इस मांग में कहा गया है कि यह व्यय नदी घाटी योजना सम्बन्धी कुछ विभागों को सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय को हस्तांतरित कर देने से हुआ है । मेरे विचार में नये पद निकालने का काम स्वयं मंत्रालयों के हाथ में नहीं होना चाहिये । इस के लिये कोई आयोग स्थापित करना चाहिये या अन्य व्यवस्था करनी चाहिये । इस बात का निर्णय करना कि क्या नये पद निकालने चाहियें या नहीं, नये विभाग खोलने चाहियें या नहीं और इन पर न्यूनतम कितना व्यय करना चाहिये इस आयोग के हाथ में होना चाहिये । इस मंत्रालय के लिये कुल २९ नये पद निकाले गये हैं जिन में से १ संयुक्त सचिव, एक अवर सचिव और ४ असिस्टेंट्स के हैं । एक ओर तो हम कहते हैं कि हमारा देश गरीब है और हमें अपने अकाल-पीड़ित लोगों के लिये दान मांगना पड़ता है परन्तु दूसरी ओर हम नये विभाग और अधिक वेतन वाले पद निकालते जाते हैं । एक बात और भी मैं पूछना चाहूंगा और वह यह है कि जब किसी विभाग को विभाजित किया जाता है तो वह पुराना कर्मचारी वृन्द जिस का सम्बन्ध उस विषय से होता है, कहां चला जाता है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय): मुझे यह निवेदन करना है कि १,५४,००० रुपये की जरूरत मुख्यत: इसलिये पड़ी है कि प्रशासन कार्य क्षमता के हेतु प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रालय से अलग एक नया मंत्रालय स्थापित करना पड़ा था और इस मंत्रालय का कर्मचारी-वृन्द घटा कर आधा कर दिया गया था । हमारा कर्मचारी वृन्द पहले ही कम था और अगस्त १९५२ में जब सिंचाई तथा विद्युत के विभाग इस से अलग कर दिये गये थे कुछ और विभाग इस में सम्मिलित कर दिये गये थे ।

अमेरीका भेजे गये प्रतिनिधि मंडल के सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि यह पुराने प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रालय के सिंचाई तथा विद्युत विभागों की ओर से भेजा गया था । जैसा कि माननीय सदस्य को याद होगा, उस समय भारत और पाकिस्तान के बीच नहरों के पानी का झगड़ा चल रहा था । उस समय सौभाग्य से विश्व बैंक के अध्यक्ष भारत में थे और उन्हों नें झगड़ा निपटाने के लिये अपनी सेवायें पेश की थीं और सुझाव दिया था कि हमारे मंत्रालय के से जिस में सिंचाई और विद्युत विभाग भी सम्मिलित थे कुछ प्रतिनिधि वाशिंगटन भेजे जायें । प्रश्न के कानूनी पहलू का ध्यान रखने के लिये एक कानूनी सलाहकार का जाना भी आवश्यक था, इन का हमारे अनुसन्धान कार्य से कोई सम्बन्ध नहीं था । चूंकि सिंचाई और विद्युत विभाग हमारे पास थे, इसलिये हमें यह मांग पेश करनी पड़ रही है ।

संयुक्त सचिव, अवर सचिव और कुछ पी० ए० के पद हम ने इस लिये मांगे हैं क्योंकि अब प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रालय के काम के लिये ११ शाखायें हैं और इस समय हमारे पास केवल एक उप-सचिव है । चूंकि हमें अधिक कर्मचारियों की जरूरत थी, इस लिये हम ने यह मांग प्रस्तुत की है । हमारी फ़जूल खर्ची करने या अपव्यय करने की कोई इच्छा नहीं है । जहां एक पाई भी बच सकती हो, हम वहां इसे बचाने का प्रयत्न करते हैं ।

श्री त्यागी : मैं सदन को बतलाना चाहूंगा कि इन प्रस्तावों की अन्तिम जांच नहीं की गई और अभी नियुक्तियां नहीं हुई । पदों पर नियुक्तियां करते समय पुन: परीक्षा की जाती है और हो सकता है कि इस में से कुछ कर्मचारी नियुक्त न भी किये जायें । मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि यह अत्यावश्यक नहीं है कि जिन पदों का उल्लेख

[श्री त्यागी]

किया गया है उन सब पर नियुक्तियां की जायें, केवल आवश्यक पदों पर ही नियुक्तियां की जायेंगी ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : मैं यह जानना चाहूंगा कि जब कोई मंत्रालय अधिक पदों की मांग करता है, तो क्या मंत्रि-मंडल की कोई उप-समिति उन की आवश्यकता के बारे में जांच करती है और उन की मंजूरी देती है ?

श्री के० डी० मालवीय : गृह कार्य मंत्रालय और वित्त मंत्रालय सम्बन्धित मंत्रालय के साथ मिल कर निश्चय करते हैं ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

" 'प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"३१ मार्च, १९५३ को समाप्त होने वाले वर्ष में 'प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्रालय' के निमित्त जो व्यय होगा, उस के लिये राष्ट्रपति को १,५४,००० रुपये तक की अनुपूरक राशि दी जाये ।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री गिडवानी : मैं कटौती प्रस्ताव संख्या ६३ और ६५ पर बोलना चाहूंगा ।

सभापति महोदय : परन्तु कटौती प्रस्ताव संख्या ६५ मांग संख्या ७९ के बारे में है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या मैं यह सुझाव दे सकती हूं कि मांग संख्या ७८ और ७९ को इकट्ठा लिया जाये ?

सभापति महोदय : बहुत अच्छा ।

श्री गिडवानी : श्रीमान्, मैंने पुनर्वास मन्त्रालय से पूछा था कि एक अतिरिक्त कार की आवश्यकता क्यों पड़ी थी और इस समय मन्त्रालय के पास कितनी कारें हैं । पुनर्वास मन्त्रालय से मुझे यह उत्तर मिला कि उस के पास चार कारें हैं । उन में से तीन १९४८ में खरीदी गई थीं और चौथी नई कार, एक पुरानी अनुपयोगी कार के बदले में जुलाई १९५२ में खरीदी गई थी । मैं यह पूछना चाहता हूं कि १९४८ में जब कि यह मन्त्रालय स्थापित किया गया था, इस के पास अत्यधिक काम था किन्तु यह तीन कारों से अपना काम चला लेता था । परन्तु अब जब कि यह कहा जाता है कि पुनर्वास मन्त्रालय का कार्य लगभग समाप्त हो चुका है या उतना नहीं है जितना कि शुरू में था, मैं समझता हूं कि पुरानी तीन कारों की मरम्मत कर के उन से काम लिया जा सकता है । तीन कारें होते हुए नई कार लेने की आवश्यकता नहीं थी ।

श्री ए० पी० जैन : चौथी कार १९५२ में खरीदी गई थी । इस कार के लिए यहां व्यवस्था की गई है और यह उस कार के बदले में है जो कि बेकार हो गई थी और जिसे प्रदाय तथा उत्सर्जन के महासंचालक को वापस कर दिया गया था ।

श्री गिडवानी : पहली तीन कारों की मरम्मत की जा सकती थी और पुनर्वास मन्त्रालय इस १८,००० रुपये की राशि को विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास पर खर्च कर सकता था ।

श्री त्यागी : परन्तु काम की देखरेख ठीक तरह से नहीं हो सकती ।

श्री गिडवानी : दूसरी बात निर्वाह भत्ता योजना के बारे में है । यह योजना दो वर्ष पूर्व जारी की गई थी । पहले बूढ़ों के लिए ५० वर्ष की आयु-सीमा रखी गई थी, बाद में यह ६० तक बढ़ा दी गई थी और साथ ही योजना संशोधित कर दी गई थी । एक प्रैस विज्ञप्ति द्वारा यह घोषणा कर दी गई थी कि भत्ते के लिए ३० नवम्बर तक प्रार्थनापत्र आ जाने चाहिएं इस के बाद आने वाले प्रार्थनापत्रों पर कोई कार्य-

वाही नहीं की जायेगी । मेरा तात्पर्य यह है कि एक विस्थापित व्यक्ति जिस की आयु नवम्बर, १९५० के बाद ६० होती है, भत्ता लेने का अधिकारी नहीं होगा । मैं जानता हूं कि यह तिथि बढ़ा दी गई थी, किन्तु फ़िर भी बहुत से आदमी वंचित रह गये हैं। हमारे पास बहुत से यतीम हैं, बूढ़ी स्त्रियां और पुरुष हैं उन्हें प्रार्थनापत्रों की तिथि ज्ञात नहीं थी । मैं यह नहीं समझ सकता कि एक विशेष तिथि रखने का महत्व क्या है । सिवाय उन हालतों में जब कि किसी स्त्री का पति मर गया हो या किसी को कोई खतरनाक बीमारी हो, साधारणतया उन सब लोगों को जो कि अब ६० की आयु को पहुंचेंगे, भत्ता नहीं मिल सकता ।

नई योजना के अनुसार किसी व्यक्ति को उसकी मूल्यांकित सम्पत्ति के आधार पर २ रुपये प्रति १००० मिलेंगे ।

श्री ए० पी० जैन : ऐसा नहीं है ।

सभापति महोदय : मैं जान सकता हूं कि क्या आय-व्ययक पास होने के बाद योजना में कोई संशोधन किया गया है ?

श्री ए० पी० जैन : जी नहीं ।

सभापति महोदय: तो मैं इस पर चर्चा करने की अनुमति नहीं दूंगा । ये सब प्रश्न आय-व्ययक के समय भी सामने थे और इन पर उस समय चर्चा की जा सकती थी ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैं अपने दोनों कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहूंगी । मैं ने माननीय मन्त्री और उन के विभाग से पूछा था कि ५० लाख रुपये की यह राशि किन योजनाओं पर खर्च की जायेगी । परन्तु मुझे इस का कोई उत्तर नहीं मिला । हमारे लिए विस्तार में जाना बहुत कठिन है । क्योंकि हमें यह तो ज्ञात ही नहीं कि यह रुपया किन योजनाओं के लिए है । दूसरी बात यह है कि केन्द्र के और राज्य (बंगाल) के पुनर्वास विभागों में जो पदाधिकारी हैं, वे न तो अनुभवी हैं और न ही समस्या को सुलझाने की योग्यता रखते हैं । इस शासन-तन्त्र में कुछ ऐसे व्यक्ति ले लिए गये है, जो कि शरणार्थियों की भाषा भी नहीं बोल सकते । मैं चाहती हूं कि शासन-तन्त्र वस्तुतः उपयुक्त होना चाहिये ताकि इस पर खर्च किया गया रुपया व्यर्थ न जाये । मैं इस सम्बन्ध में एक उदाहरण दूंगी । पिछले तीन मासों में बहुत से लोग आये हैं, जिन्हें सीमान्त पर्चियां नहीं मिलीं । इस का एक कारण यह था कि सीमान्त क्षेत्रों में प्रशासन कर्मचारियों की संख्या कम थी । परिणाम यह है कि ये लोग हौड़ा, सियालदा के स्टेशनों और अन्य स्थानों पर पड़े हैं और कष्ट भोग रहे हैं । मैं जानना चाहती हूं कि यह जांच करने के लिए कि वास्तविक शरणार्थी कौन से हैं और कौन से नहीं हैं, आप ने क्या व्यवस्था की है और यह धन किन योजनाओं पर व्यय किया जायगा ? आप किसान शरणार्थियों के लिए क्या कर रहे हैं ? इन ४०००० लोगों में से बहुत से किसान हैं । इन्हें भूमि देने के लिये क्या व्यवस्था है ? इन में से बहुत से तो अभी सियालदा और हौड़ा के स्टेशनों पर पड़े हैं । क्या इन के पुनर्वास के लिए कोई नई योजना बनाई गई है ? क्या आप वास्तव में इन्हें भूमि देना चाहते हैं ? क्या सरकार इस रुपये से भूमि खरीद कर उन्हें देगी और क्या आप इस भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए कुछ रुपया खर्च करेंगे, क्योंकि जैसा कि पश्चिमी बंगाल सरकार ने कहा है, अधिकांश भूमि जो कि सरकार ने अवाप्त की है कृषि योग्य नहीं है । हमें इन चीज़ों के बारे में कोई जानकारी नहीं है । यदि हम ने इन लोगों को बसाना है तो हमें भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिये और उन्हें सिंचाई तथा नलकूपों की सुविधायें देने के लिए अधिक रुपया खर्च करना पड़ेगा ।

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती]

मध्यम वर्ग के शरणार्थियों की समस्या अलग है । इस समस्या के दो पहलू हैं— उन्हें रहने के लिए स्थान देना और उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण देना । पहले प्रश्न के बारे में आप क्या कर रहे हैं ? क्या आप बस्तियां बना कर उन्हें उन में बसायेंगे या स्वीकृत बस्तियों में भेजेंगे ? व्यावसायिक प्रशिक्षण तो आप स्त्री पुरुषों को दे रहे हैं। परन्तु हम यह जानना चाहेंगे कि उन की बनाई हुई चीज़ों को बाज़ार में बिकवाने के लिए आप ने क्या प्रबन्ध किया है ? जब तक आप कोई प्रणाली या संस्था न स्थापित करेंगे जिस के द्वारा राज्य ही इन चीज़ों को खरीदे, इन लोगों को पुनर्वासित नहीं किया जा सकेगा और इन को दिये गये ऋण व्यर्थ जायेंगे ।

अन्त में मैं यह कहूगी कि एक ऐसी जांच समिति स्थापित की जानी चाहिए, जो पुनर्वास के सारे प्रश्न की जांच करे । इस के बिना पुनर्वास का कोई कार्य नहीं हो सकेगा ।

श्री नम्बियार : माननीय मन्त्री कृपया यह भी बतला दें कि क्या उन २०० परिवारों को निकाल दिया गया है या नहीं ?

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : पहले मैं एक दो बातें पाकिस्तान से शरणार्थियों के आगमन के बारे में कहना चाहता हूं । इसे रोकने के लिए सरकार ने अब तक जो नीति अपनाये रखी है, वह पूर्णतया असफल हुई है और यह आगमन रुकता हुआ प्रतीत नहीं होता। यदि और लोगों को पाकिस्तान से आने दिया गया, तो यह देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत खतरनाक होगा । इसी लिए मैं कहता हूं कि सरकार को अपनी तुष्टीकरण की नीति को बदलना चाहिए

सभापति महोदय : इस अवस्था पर नीति की चर्चा नहीं की जा सकती । ये कटौती प्रस्ताव केवल शरणार्थियों को दिये जाने वाले ऋणों के बारे में है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं इस विषय को ले रहा हूं । अनुदान मंजूर करने और शरणर्थियों को वित्तीय सहायता देने के लिए जो प्रशासनीय व्यवस्था है वह बहुत अक्षम और भ्रष्ट है । पुनर्वास वित्त प्रशासन पिछले ४ साल से काम कर रहा है और इस ने अब तक लगभग ९ करोड़ रुपये के ऋण मंजूर किये हैं ....

श्री ए० पी० जैन : श्रीमान्, औचित्य प्रश्न के हेतु । पुनर्वास वित्त प्रशासन पुनर्वास मन्त्रालय के अधीन नहीं है और विचाराधीन अनुपूरक मांगें इस प्रशासन के सम्बन्ध में नहीं हैं। पुनर्वास वित्त प्रशासन वित्त मन्त्रालय के अधीन है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : किन्तु इस का सम्बन्ध शराणर्थी समस्या से है और इसी लिए आनुषंगिक रूप से मैं ने इस का उल्लेख किया है ।

सभापति महोदय : पुनर्वास वित्त मन्त्रालय के बारे में कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : शरणार्थियों को जो अन्य सहायता दी जा रही है, वह भी संतोषजनक नहीं है । मैं ऐसे मामले बतला सकता हूं जिन में पुनर्वास मन्त्रालय ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की ।

सभापति महोदय : यदि यह किसी ऋण का मामला है जो आय-व्ययक पास होने के बाद लिया गया था, तो इस पर अवश्य चर्चा की जा सकती है । अन्यथा नहीं की जा सकती ।

अब माननीय मन्त्री उत्तर देंगे ।

श्री ए० पी० जैन : मैं एक संक्षिप्त उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा । श्री गिडवानी की पहली बात एक मोटर कार के क्रय के बारे में थी । इस में संदेह नहीं है कि मेरे मंत्रालय के पास तीन कारें हैं, परन्तु ये सब पुरानी कारें हैं जिन्हें १९४८ में लिया गया था। इन में से प्रत्येक कार ५०,००० मील तय कर चुकी है । चूंकि मुझे मेरे सहयोगी और मेरे पदाधिकारियों को मत्स्य, पंजाब और अन्य निकटवर्ती क्षेत्रों में पुनर्वास योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए दौरे पर जाना पड़ता है, इसलिए लम्बी यात्रा के लिए एक कार की आवश्यकता पड़ती है । इस प्रयोजन के लिए उन पुरानी कारों से काम नहीं लिया जा सकता था और एक नई कार खरीदनी पड़ी ।

श्री गिडवानी की दूसरी बात निर्वाह भत्ता के बारे में है । मैं सदन को आश्वासन दे सकता हूं कि आय-व्ययक से पहले इस वर्ष के आरम्भ में जो श्रेणियां मंजूर की गई थीं, वे अब भी कायम हैं । उन में कोई संशोधन नहीं किया गया और न ही योजना में कोई संशोधन किया गया है । पाकिस्तान में छोड़ी हुई सम्पत्ति के सम्बन्ध में दावों की तस्दीक हो जाने के बाद, निर्वाह भत्ता के मामले की पुनः जांच की जा रही है ।

पूर्वी खंड के सम्बन्ध में श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने यह प्रश्न उठाया है कि यह जांच करने के लिए कि कौन विस्थापित व्यक्ति हैं और कौन नहीं, क्या व्यवस्था है । जब कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत में प्रवेश करता है, तो सीमान्त पर उस से पूछा जाता है कि वह शरणार्थी है या नहीं । यदि वह कहता है कि वह शरणार्थी है तो उसे सीमान्त पर्ची दे दी जाती है । यदि किसी को सीमान्त पर यह पर्ची न मिल सके तो उसे वानगांव स्टेशन पर मिल सकती है ।

यदि उसे रेलवे स्टेशन पर भी पर्ची न मिल सके, तो प्रवेश के पहले ज़िले के पुनर्वास पदाधिकारियों से मिल सकती है । सरकार ने इस बात का पूरा प्रबन्ध किया है कि उन सब लोगों को जो भारत में स्थायी-रूप से बसने के लिए पाकिस्तान से आते हैं, पर्चियां दी जायें ।

भूमि खरीदने के बारे में मैं कह सकता हूं कि किसानों को इस के लिये कोई रुपया नहीं दिया जाता । वास्तव में भूमि सरकार देती है और बाद में हम झोंपड़ियां बनाने, बैल, कृषि उपकरण और बीज आदि खरीदने के लिए उन्हें कुछ रुपया देते हैं । यह सच है कि उपजाऊ भूमि अब उपलब्ध नहीं है किन्तु हम भूमि को कृषि योग्य बना रहे हैं और सिंचाई आदि की सुविधाएं दे रहे हैं ।

माननीय सदस्या ने मध्यम वर्ग के शरणार्थियों की ओर भी निर्देश किया है । निस्सन्देह इन की समस्या को हल करना बहुत कठिन है । ये लोग न तो अपने हाथों से खेती कर सकते हैं, न व्यापार कर सकते हैं और न ही ये पर्याप्त रूप से शिक्षित हैं । इन की समस्या मुझे परेशान करती रही है । यदि माननीय सदस्य कोई ऐसे सुझाव दे सकें जिन से कि इन्हें वास्तव में पुनः बसाया जा सके, तो मैं बहुत कृतज्ञ हूंगा ।

जहां तक व्यावसायिक प्रशिक्षण का सम्बन्ध है, स्त्रियों के प्रशिक्षण के बारे में एक कठिनाई और वह यह है कि उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण देना तो सरल है, किन्तु उन की बनाई हुई चीज़ों को बाज़ार में बिकवाना कठिन है । कुछेक को नर्स, दाई आदि का काम सिखलाया गया है किन्तु इन की संख्या कम है । अब जो स्त्रियां आ रही हैं, वे ग्रामीण हैं । मेरे विचार में यदि इन्हें ग्रामों में बसा कर धान पछोड़ने, भूनने और पशु पालने का काम दिया जाये--य

[श्री ए० पी० जैन]

रही हैं--तो अधिक अच्छा होगा । मैं ने इस सम्बन्ध में पश्चिमी बंगाल सरकार को, जो कि इन योजनाओं को क्रियान्वित कर रही है, अपनी राय बतला दी है ।

जहां तक पुरुषों के व्यावसायिक प्रशिक्षण का सम्बन्ध है, श्रम मन्त्रालय के प्रशिक्षण केन्द्रों में बहुत से व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है । अन्य स्थानों पर हम ने स्वयं भी कुछ प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये हैं ।

सदन को विदित है कि हम ने एक तथ्य जानने वाली समिति नियुक्त की है, जो कि यह देखेगी कि बंगाल में पुनर्वास योजनाओं को किस तरह क्रियान्वित किया जा रहा है और हमें कहां कहां और किस हद तक सफलता प्राप्त हुई है ।

इस समिति के सदस्य सरकारी पदाधिकारी होंगे और यह अपनी रिपोर्ट मन्त्रियों की एक समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगी । तथ्य जानने वाली समिति उन सब प्रश्नों की जांच करेगी जो कि पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों के बारे में इस सदन में उठाये गये हैं । यदि माननीय सदस्य या बाहर के लोग कोई ऐसी जानकारी दे सकें जो तथ्य जानने वाली समिति के लिए उपयोगी हो, तो मैं उन का आभारी हूंगा ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या आप तथ्य जानने वाली समिति में गैर-सरकारी सदस्यों को सम्मिलित करने के लिये तैयार हैं ।

श्री ए० पी० जैन : इस समिति में केवल सरकारी पदाधिकारी ही होंगे जो दौरा करेंगे और आंकेंगे कि कितनी सफलता प्राप्त हुई है ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि

"पुनर्वास मन्त्रालय सम्बन्धी मांग में १००रुपये की कटौती की जाये ।'

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"विस्थापित व्यक्तयों पर व्यय सम्बन्धी मांग में १०० रुपय की कटौती की जाये ।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"३१ मार्च, १९५३ के समाप्त होने वाले वर्ष में 'विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय' के निमित्त जो व्यय होगा, उस के लिए राष्ट्रपति को १२२,७०,००० रुपये तक की अनुपूरक राशि दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"३१ मार्च, १९५३ को समाप्त होने वाले वर्ष में 'कच्छ' के निमित्त जो व्यय होगा, उस के लिए राष्ट्रपति को १२,२९,००० रुपये तक की अनुपूरक राशि दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"३१ मार्च, १९५३ को समाप्त होने वाले वर्ष में 'बिलासपुर' के निमित्त जो व्यय होगा उस के लिए राष्ट्रपति को ५,४८,००० रुपये तक की अनुपूरक राशि दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : मांग संख्या ८५ ।

श्री दामोदर मेनन : मैं ने अपना कटौती प्रस्ताव इसलिए प्रस्तुत किया है कि सदन का ध्यान मनीपुर प्रशासन को जनतन्त्रात्मक बनाने की आवश्यकता की ओर दिलाया जाये । मैं यह नहीं समझ सकता कि सरकार के लिए तत्काल ऐसा करना क्यों संभव नहीं है और एक मन्त्रणा परिषद् स्थापित करने का क्या लाभ है ? अन्य भाग 'ख' राज्यों में

किसी न किसी रूप म जनतन्त्र स्थापित किया गया है । यह विशेषाधिकार मनीपुर के लोगों को क्यों न दिया जाये ? मैं आशा करता हूं कि माननीय गृह मन्त्री इस प्रश्न का उत्तर देंगे ।

श्री रिशांग किशिंग : कहा गया है कि इस अनुपूरक मांग की आवश्यकता इसलिए पड़ी है क्योंकि सरकार ने (१) मनीपुर प्रशासन के विभिन्न विभागों को पुनर्गठित करने और (२) मनीपुर में वेतन श्रेणियों को आसाम राज्य की वेतन श्रेणियों के स्तर पर लाने का निश्चय किया है । इन दो बातों पर कुछ कहने से पूर्व, मैं पहले इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि केन्द्रीय सरकार अनुदान की मांग इतनी कम रख कर जानबूझ कर मनीपुर की समस्याओं की उपेक्षा कर रही है । और मैं इसका कारण यह समझता हूं कि वहां जो पदाधिकारी बैठे हुए हैं, वे गैर-जिम्मेदार, अक्षम और भ्रष्ट हैं । उन्हें लोगों से कोई सहानुभूति नहीं और वे उनकी समस्याओं में कोई दिलचस्पी नहीं लेते । लोगों के हितों का तभी ख्याल रखा जायेगा, जब वहां एक विधान सभा बन जायेगी और एक जनतन्त्रात्मक सरकार स्थापित हो जायेगी ।

अब मैं पहली बात अर्थात् मनीपुर प्रशासन के विभिन्न विभागों के पुनर्गठन को लेता हूं । इस अनुपूरक अनुदान से संभवत: अधिक पद निकाले जायेंगे या पर्याप्त वेतन पाने वाले पदाधिकारियों को और भी अधिक वेतन दिया जायेगा । मैं समझता हूं कि इस से राज्य के प्रशासन में कभी सुधार नहीं होगा । केन्द्र के प्रशासन के अधीन अधिकारियों और विभागों की संख्या तो बहुत बढ़ गई है किन्तु साथ ही अक्षमता और भ्रष्टाचार भी बहुत बढ़ गया है । प्रशासन में सुधार तभी होगा जब कि इस का विकेन्द्रीयकरण किया जायेगा, लोगों को ग्राम पंचायतें बनाने दिया जायेगा, और प्रादेशिक परिषदें और एक विधान सभा स्थापित की जायेगी ।

वेतन-श्रेणी के संशोधन के बारे में, माननीय मन्त्री ने स्वयं यह बात मानी है कि मनीपुर के अध्यापकों की वेतन-श्रेणी भारत में सब से कम है । प्रारम्भिक स्कूल के एक अध्यापक को केवल १५ रुपये मिलते हैं और प्रत्येक हाई स्कूल को केवल १०० रुपया का सहायतानदान दिया जाता है । एक मील सड़क साफ करने के लिये ६० मज़दूरों को केवल ७ रुपये दिये जाते हैं । आप को न केवल वेतन-श्रेणियां बढ़ानी चाहिएं बल्कि सड़कें साफ़ करने की मज़दूरी भी निकटवर्ती राज्य में दी जाने वाली मज़दूरी के स्तर पर लानी चाहिए ।

आसाम में हाई स्कूलों को ५०० या ६०० रुपये का सहायतानुदान दिया जाता है किन्तु मनीपुर में केवल १०० रुपये दिये जाते हैं । आप को हर बात में आसाम राज्य का अनुयायी बनना चाहिए ।

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : यथार्थ रूप से कहते हुए, अभी जो भाषण दिये गये है, वह विचाराधीन प्रस्ताव से सगत नहीं है, क्योंकि ये दो अनुपूरक अनुदान एक छोटे से मामले के सम्बन्ध में हैं । मनीपुर के संघ म सम्मिलित किये जान के पश्चात् १९५० में यह निर्णय किया गया था कि वहां जो वेतन-श्रणियां हैं उन्हें आसाम की वेतन श्रणियों के स्तर पर लाया जाये । इस के लिये आय-व्ययक में एक राशि रखी गई थी जो बाद में कम सिद्ध हुई । अब जितनी राशि माँगी गई है, वह केवल इस कमी को पूरा करने के लिए है । यह सिद्धान्त तो आय-व्ययक में स्वीकार कर लिया गया था कि मनीपुर में वेतनों को आसाम के वेतनों के बराबर कर दिया जाये । जहां तक इस सिद्धान्त को कार्यान्वित करने का सम्बन्ध है, किसी

[डा० काटजू]

ने कुछ भी नहीं कहा। इसके विपरीत प्रशासन के तथाकथित जनतन्त्रीकरण के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। मैं ने मनीपुर का दौरा किया है और मैं वहां चार दिन रहा हूं। वहां बहुत से लोगों से मिला। वहां के अधिकारी बाहर के लोग नहीं हैं। एक मुख्यायुक्त है, दो तीन और उच्चाधिकारी हैं। इन को छोड़ कर बाकी सारी शासन-व्यवस्था वहां के लोगों की ही है। पहले वहां कहने को तो एक राजा साहेब का शासन था किन्तु वास्तव में यह शासन राजनैतिक विभाग का था। भारतीयों को मनीपुर राज्य में प्रवेश भी नहीं करने दिया जाता था। निस्सन्देह यह तानाशाही थी। परन्तु अब जब लोग जनतन्त्रात्मक प्रशासन चाहते हैं, तो मैं कहता हूं कि यह आप के सामने है। त्रिपुरा और मनीपुर से आए हुए मित्र यहां उपस्थित हैं, वे मुझ से प्रश्न पूछ कर मेरा सन्मान बढ़ाते हैं, वे मेरे पास आ कर प्रशासन के बारे में सब प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं। वे कैसे कह सकते हैं कि यह तानाशाही है।

श्री नम्बियार : हम यह जानना चाहते हैं कि मनीपुर विधान सभा क्यों नहीं काम कर रही है ?

डा० काटजू : जब भाग ग राज्य अधिनियम बनाया गया था तो इस प्रश्न पर सविस्तार विचार किया गया था। कई कारणों से जिनकी मैं यहां पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता, विधान सभा के स्थान पर मन्त्रणा परिषद् बनाने का निर्णय किया गया था।

मुझे माननीय सदस्य की यह बात सुन कर कि मनीपुर में कुछ भी नहीं किया जा रहा और इस के लिए वहां के पदाधिकारी जिम्मेदार हैं बहुत आश्चर्य हुआ है। उन के लिए ऐसा कहना बिल्कुल उचित नहीं, क्योंकि वे पदाधिकारी उत्तर देने के लिए यहां उपस्थित नहीं हैं। मैं ने स्वयं त्रिपुरा में जा कर देखा है कि वहां एक कालेज बनाया जा रहा है जिस पर २० लाख रुपये खर्च किये जायेंगे। इसी तरह मनीपुर में भी चलते फिरते स्कूल, रचनात्मक कार्य केन्द्र और अस्पताल स्थापित किये जा रहे हैं। और अभी तो केवल चार साल ही गुज़रे हैं। मैं कहता हूं कि वहां सब कुछ किया जा रहा है।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"मनीपुर सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"३१ मार्च, १९५३ को समाप्त होने वाले वर्ष में मनीपुर के निमित्त जो व्यय होगा उस के लिए राष्ट्रपति को ४,८१,००० रुपये की अनुपूरक राशि दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : मांग संख्या ८६।

श्री एन० बी० चौधरी : मेरे कटौती प्रस्ताव की संख्या ३९ है। मेरे पूर्व वक्ता ने जो कुछ कहा है वह त्रिपुरा पर भी उतना ही लागू होता है। अब जो अनुपूरक अनुदान की मांग की गई है, उस में सामान्य प्रशासन तथा अन्य विभागों के कर्मचारीवृन्द को दिये जाने वाले भत्तों के लिये व्यवस्था की गई है। हम जानते हैं कि मूल अनुदान में पुलिस पर व्यय करने के लिये बहुत सा रुपया था। पुलिस, जेलों और सामान्य प्रशासन पर क्यों इतना रुपया खर्च किया जाता है ? क्या इसका कारण यह है कि वहां मुख्यायुक्त का शासन है, जो कि वास्तव में तानाशाही शासन है। यह रुपया सामान्य प्रशासन पर व्यय किया जायगा, जो कि लोगों के हित में नहीं है। यदि वहां शासन-व्यवस्था लोकतंत्रात्मक होती और

विधान मंडल होता , जिसकी मांग लोग इतने समय से कर रहे हैं, तो पुलिस और सामान्य प्रशासन पर इतना व्यय न किया जाता और मुख्यायुक्त के कार्यालय और कर्मचारीवृन्द पर ३५ लाख रुपये का खर्च न किया जाता।

श्री दशरथ देव : मैं सदन का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि यद्यपि त्रिपुरा के लोगों ने भारत सरकार को हज़ारों हस्ताक्षर वाली अभियाचनायें भेजी हैं जिन में उन्होंने एक विधान सभा बनाने की मांग की है, फिर भी सरकार ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया और हम से यह अनुपूरक मांग स्वीकार करने के लिए कहा जा रहा है। माननीय मंत्री ने सुस्थित शासन और राज्य की सुरक्षा का उल्लेख किया है। परन्तु मैं नहीं समझ सकता कि लोगों के सहयोग के बिना इन्हें कैसे बनाये रखा जा सकता है। माननीय मंत्री ने कल अपने उत्तर में कहा था कि त्रिपुरा और मनीपुर में पहले ही लोकतंत्रात्मक शासन-व्यवस्था है ? क्या उन का विचार यह है कि मुख्यायुक्त का शासन ही लोकतंत्रात्मक शासन होता है ? यह तो एक आदमी का राज है और नौकरशाही का सब से बुरा नमूना है। हम इसे वहां नहीं चलने देंगे।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य के तर्क बिल्कुल असंगत हैं। उन्हें अपना भाषण मांग संख्या ८६ में दिये गये नोट के विषय तक सीमित रखना चाहिए।

श्री दशरथ देव : कहा गया है कि सैनिक दृष्टि से त्रिपुरा एक महत्वपूर्ण स्थान है। क्या ऐसे स्थान की रक्षा का यह तरीका है कि वहां का प्रशासन लोगों की या एक निर्वाचित विधान सभा की सहायता के बिना चलाया जाये ? त्रिपुरा के लोग एक सम्पूर्ण लोकतंत्रात्मक विधान सभा चाहते हैं। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह उन की मांग को पूरा करें। यदि कोई मंत्रणा पर्षद् या प्रशासनीय परिषद स्थापित की गई, जैसा कि सरकार का विचार है, तो लोग अवश्य इसका विरोध करेंगे।

डा० काटजू : मुझे वास्तव में और कुछ नहीं कहना है। मेरे माननीय मित्रों ने स्वयं अनुपूरक मांग के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा। केवल नौकरशाही प्रशासन की आलोचना की गई है जैसा कि मुख्यायुक्त कोई स्वच्छन्द शासक हो। वह तो संसद् का सेवक है। नौकरशाही या स्वच्छन्द प्रशासन के जनतंत्रीकरण के बारे में जो इतनी बातें कही गई हैं, वे मेरे विचार में बिल्कुल व्यर्थ हैं। बात वास्तव में यह थी कि वहां सरकारी कर्मचारियों--पुलिस, अध्यापकों, जेल कर्मचारियों, अस्पताल कर्मचारियों--के वेतन बहुत कम थे। और हम इन्हें पश्चिमी बंगाल के स्तर पर लाना चाहते थे। आय-व्ययक में जो राशि रखी गई थी, वह इस के लिए कम साबित हुई। हम अगले आय-व्ययक तक प्रतीक्षा कर सकते थे। किन्तु वहां के लोगों ने विरोध किया और हम ने वित्त विभाग से अनुरोध किया था कि हमें इस वर्ष ही यह धन अदा करने दिया जाय। इस अनुपूरक मांग का आधार यही है। परन्तु मेरे माननीय मित्र लोकतन्त्रात्मक प्रशासन, लोगों के अधिकार आदि की बातें कर रहे हैं। मैं उन्हें बतला सकता हूं कि तथाकथित लोकतंत्रात्मक प्रशासन पर वर्तमान प्रशासन की अपेक्षा कहीं अधिक रुपया खर्च करना पड़ेगा।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"त्रिपुरा सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाय"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"३१ मार्च, १९५३ को समाप्त होने वाले वर्ष में 'त्रिपुरा' के निमित्त जो व्यय हो गा

[सभापति महोदय]

उसके लिए राष्ट्रपति को १०,४४,००० रुपये तक की अनुपूरक राशि दी जाय" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी: केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस का उल्लेख पहली बार इस अनुपूरक बजट में किया गया है । इस से पहले इसे केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस कहा जाता था । स्वयं माननीय मंत्री को भी यह ज्ञात नहीं था और उन्होंने जानने का प्रयत्न ही नहीं किया कि यह केन्द्रीय सशस्त्र बल क्या था और इसे कब केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल में परिवर्तित किया गया था । उन्हें देखना चाहिये था कि केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस का प्रशासन किस तरह किया जा रहा है ।

आपको यह देख कर आश्चर्य होगा कि केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस में केवल विशिष्ट राज्यों के लोग ही भर्ती किये जाते हैं । यह रिज़र्व पुलिस है तो सारे भारत के लिए परन्तु मैसूर, त्रावनकोर, मद्रास, तामिलनाड से कोई आदमी भर्ती नहीं किया जाता । कोई बंगाली या गुजराती नहीं लिया जाता । सारी भर्ती लुधियाना, देहली, जालन्धर में की जाती है, और यह कोई नहीं जानता कि भर्ती का तरीका क्या है । पदाधिकारी आनन्द ले रहे हैं । हाल में मैं ने माननीय मंत्री का ध्यान इस बात की ओर दिलाया था कि एक महल जैसी इमारत में जिस पर २५ लाख रुपया खर्च आया था केवल दो विवाहित पदाधिकारी रहते हैं । इसे केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस मैस कहा जाता है ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन]

केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस को सब चीज़ें और सुविधाएं निःशुल्क मिलती ह--पानी, बंगला, फ़रनीचर, संदेश वाहक इत्यादि । मैं आप को ऐसी बातें बतला सकता हूं जिसे सुन कर आप को आश्चर्य होगा । ब्रिटिश राज्य में जब यहां अंग्रेज पदाधिकारी हुआ करते थे उन लोगों को भी साधारण पदोन्नति दी जाती थी जो कि सब से नीचे होते थे । शनैः शनैः उन्नति कर के वे कम्पनी कमांडर बन जाया करते थे ।

डा० काटजू : श्रीमान्, औचित्य प्रश्न के हेतु । मेरे माननीय मित्र ने पदाधिकारियों पर बहुत गम्भीर आरोप लगाये हैं । उन्होंने जो कुछ भी कहा है वह सब अनियमित है, क्योंकि मांग तो केवल ४ या ५ चीज़ों के बारे में है, किन्तु इन्होंने कई बातें कही हैं । मुझे इन पदाधिकारियों के पक्ष में सफाई देने के लिए कम से कम पांच मिनट मिलने चाहियें, क्योंकि उन की सब बातें निराधार हैं ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : ब्रिटिश शासन काल में इस बल में निम्नतम पद का व्यक्ति, अंग्रेजी का एक शब्द न जानते हुए भी, उन्नति कर के, यदि अधिक नहीं, तो डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट आफ़ पुलिस बन सकता था ।

डा० काटजू : आवश्यक रूप से नहीं ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : परन्तु आज स्थिति क्या है ? उन लोगों को जिन्हें डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट और कम्पनी कमांडर बनाया जाता था, उन की सेवा और कार्यक्षमता के बावजूद केवल इस लिए नजर अन्दाज़ किया जा रहा है कि वे केवल हिन्दी जानते हैं, अंग्रेजी नहीं जानते । और यह उस समय किया जा रहा हैं जबकि हम चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा बनेगी । रेलवे पुलिस के बारे में भी मैं एक बात कहूंगा । मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि इस रेलवे पुलिस की व्यवस्था की जांच करे और इसे ज़िलों को सौंप दें, उस तरह जिस तरह कि बम्बई और मद्रास में ज़िला पुलिस रेलवे विभाग का काम करती है । मध्य भारत और राजस्थान में रहने वाले लोगों के प्रशासन के

लिए अजमेर में एक पृथक् पुलिस दल रखने की क्या आवश्यकता है ?

डा० काटजू : आरम्भ में मैं यह कहना चाहूंगा कि यदि कोई विशिष्ट शिकायतें हों, जिन का माननीय सदस्य को ज्ञान है, तो मैं सहर्ष उन की जांच करूंगा। मेरी भी केन्द्रीय पुलिस के बारे में कुछ जानकारी है। नीमच पुलिस में २००० आदमी हैं। उत्तर भारत के सब राज्य सौराष्ट्र, राजस्थान, मध्यभारत आदि इस पुलिस को अपना मित्र समझते हैं। जब भी डाके आदि पड़े हैं, इन लोगों ने वहां जा कर बहुत सहायता की है। ये अपनी कार्यक्षमता और अनुशासन के लिए सुप्रसिद्ध हैं और जिस राज्य में भी ये गये हैं, वहां इन की प्रशंसा हुई है। मेरे माननीय मित्र ने पदाधिकारियों के मैस का उदाहरण दिया है और मैं ने वह मकान देखा है। वहां एक न्यायाधीश का कार्यालय है और पदाधिकारी रहते हैं। आखिर उन्होंने अपनी गरिमा बनाये रखनी है। एक समिति भी बनाई गई थी, जिस के वे स्वयं सदस्य थे। मैं व्यक्तिगत मामलों में नहीं जाना चाहता। यह उचित नहीं कि अनुपूरक अनुदान की मांग में ये सब बातें कही जायें। आप को स्मरण रखना चाहिये कि सदन ने इस केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के लिए आय-व्ययक में ३५ लाख रुपये मंजूर किये हैं। अब चार मदें नई हैं और सफ़र खर्च, बढ़ाये गये वेतनों और भत्तों के लिए २ लाख रुपये चाहियें। उन्होंने इन के बारे में कुछ नहीं कहा किन्तु अपने भाषण में पदाधिकारियों की कड़ी परन्तु अनुचित आलोचना करते रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

> "'राज्यों के साथ सम्बन्ध' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

> "३१ मार्च, १९५३ को समाप्त होने वाले वर्ष में 'राज्यों के साथ सम्बन्ध' के निमित्त जो व्यय होगा उसके लिये राष्ट्रपति को ४,६३,००० रुपये तक की अनुपूरक राशि दी जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब कटौती प्रस्ताव संख्या ७०, मांग संख्या ८८.

श्री यू० एम० त्रिवेदी : श्रीमान्, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भाषण यथासभव संक्षिप्त होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं केवल पांच मिनट दूंगा। परन्तु इस में तो काश्मीर सरकार की नीति पर चर्चा करने के लिये कहा गया है..... मुझे खेद है कि मैं ने इसकी आज्ञा दे दी थी। मेरे विचार में यह गलत है। मैं इसे अनियमित ठहराता हूं।

इस के बाद एक कटौती प्रस्ताव श्री शिवामूर्ति स्वामी के नाम से है। यह हैदराबाद राज्य की वित्तीय स्थिति, उस की परियोजनाओं की समाप्ति के लिए तुरन्त सहायता देने की आवश्यकता और राज्य के कमी वाले क्षेत्रों में लोगों को सहायता देने के विषयों पर चर्चा करने के लिये है। यह भी नियमित नहीं है।

श्री एस० एस० मोरे : औचित्य प्रश्न के हेतु। हम अपने अधिकारों के बारे में कुछ स्पष्टीकरण चाहते हैं। मान लीजिये कोई कटौती प्रस्ताव अनियमित ठहराया जाता है क्या तब हम किसी विचाराधीन मांग पर चर्चा नहीं कर सकते और उस पर आलोचना नहीं कर सकते ?

उपाध्यक्ष महोदय : किसी मांग पर बोलने के लिए, यह आवश्यक नहीं कि माननीय सदस्य पहले कटौती प्रस्ताव की सूचना दें।

[उपाध्यक्ष महोदय]

वे मांग का विरोध कर सकते हैं किन्तु ऐसा करते हुए उन्हें अपना भाषण मांग में दिये हुए विषयों तक ही सीमित रखना चाहिए।

श्री नम्बियार : क्या समय कुछ और नहीं बढ़ाया जा सकता ?

उपाध्यक्ष महोदय : जी नहीं। मैं इस के लिए तैयार नहीं हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"३१ मार्च, १९५३ को समाप्त होने वाले वर्ष में 'राज्य मंत्रालय के अधीन विविध व्यय' के निमित्त जो व्यय होगा, उस के लिए राष्ट्रपति को ११,६२,००० रुपये तक की अनुपूरक राशि दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : मांग संख्या ९५.

श्री नम्बियार : मेरे नाम से दो कटौती प्रस्ताव हैं। छंटनी के कारण और इस तथ्य के कारण कि वर्क चार्ज आदमियों को स्थायी नहीं किया जा रहा और उन्हें सामान्य वेतन तथा भत्ते नहीं दिये जा रहे, गृह-निर्माण नीति को कार्यान्वित नहीं किया जा रहा। इस विभाग में १०००० कर्मचारी अब तक छंटनी में लाये जा चुके हैं और प्रतिदिन और आदमियों को निकाला जा रहा है। काम को शीघ्र समाप्त करने की बजाय यह ठेकेदारों को दिया जा रहा है और ये करदाताओं का खून चूस रहे हैं। हम ऐसा नहीं करने देंगे। अतः इस नीति को जिस के अनुसार काम ठेकेदारों को सौंप दिया जाता है, कर्मचारियों की छंटनी में लाया जाता है और इन आदमियों को नौकरी की और केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों की सुविधायें दिये बिना वर्क चार्ज आधार पर रखा जाता है, जारी नहीं रखना चाहिये। ये लोग अपने लिए मकान नहीं बना सकते। यद्यपि उन्होंने औरों के लिए महल तैयार किये हैं ये स्वयं इतनी गन्दी अवस्था में रहते हैं कि इन का साथ मानव जैसा व्यवहार नहीं किया जाता। अतः माननीय मंत्री से मेरा निवेदन है कि वे इन बातों की जांच करें इन वर्क चार्ज व्यक्तियों को स्थायी करें और इन्हें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा निर्धारित वेतन-श्रेणियों और भत्तों की सुविधाएं दें।

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : माननीय सदस्य ने जो बातें कही हैं, वे अनुपूरक अनुदान की मांग से उत्पन्न नहीं होतीं, क्योंकि यह मांग तो एक छोटे से विषय के बारे में है। फिर भी मैं इसका उत्तर दे देता हूं।

जहां तक वेतन आयोग की सिफ़ारिशों को कार्यान्वित न करने के आरोप का सम्बन्ध है, मैं सीधा कह सकता हूं कि यह बिल्कुल गलत है। इन कर्मचारी-वृन्द के सम्बन्ध में तथा अन्य कर्मचारियों के सम्बन्ध में भी वेतन आयोग की सिफारिशों को पूर्णतया कार्यान्वित किया गया है। यदि माननीय सदस्य मुझे ऐसे कोई उदाहरण बतलायें, जिन में ऐसा नहीं किया गया, तो मैं उनकी जांच करने के लिये तैयार हूं।

माननीय सदस्य ने यह सामान्य प्रश्न उठाया है कि ठेकेदारों की संस्था को हटा देना चाहिए और सब काम स्वयं सरकारी अभिकरण द्वारा किया जाना चाहिये। मेरा निवेदन है कि इस समय जो हमारी संसाधन और विकास सम्बन्धी अवस्था है, उसे ध्यान में रखते हुए यह सुझाव व्यवहार्य नहीं है। हमारे पास इतने कर्मचारी नहीं हैं कि सब निर्माण कार्य विभागीय रूप से किया जाये। अतः कुछ हद तक हमें ठेकेदारों पर निर्भर होना पड़ता है। मैं मानता हूं कि कुछ ठेकेदार ईमानदार नहीं होते किन्तु सब की एक साथ निन्दा करना उचित नहीं है। मैं उन का वकील नहीं हूं। यदि किसी विशेष ठेकेदार के विरुद्ध कोई शिकायतें हों

मैं उनकी जांच करने के लिये तैयार हूं। किन्तु ठेकेदारों की सारी व्यवस्था को ही हटा देना संभव नहीं है।

इस सामान्य शिकायत के बारे में कि उन लोगों को जो स्वयं मकान बनाते हैं; उन में रहने नहीं दिया जाता, मैं कह सकता हूं कि हम ने औद्योगिक गृह व्यवस्था योजना शुरू की है और हम आशा करते हैं कि इसके कार्यान्वित हो जाने पर गरीब लोगों की विशेषतया औद्योगिक मज़दूर वर्ग की मकानों की समस्या बहुत हद तक हल हो जायेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"निर्माण, उत्पादन तथा रसद मंत्रालय सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"३१ मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष में, 'निर्माण, उत्पादन तथा रसद मंत्रालय के निमित्त जो व्यय होगा, उसके लिए राष्ट्रपति को १,९५,००० रुपये तक की अनुपूरक राशि दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"३१ मार्च, १९५३ को समाप्त होने वाले वर्ष में आदेश पत्र को स्तम्भ दो में उल्लिखित मांग संख्या ९५, १००, १०१, ११८ और १३२ के निमित्त जो व्यय होगा, उसके लिए उक्त आदेश पत्र के स्तम्भ तीन में दिखाई गई अन्यान्य परिमाण तक की राशियां राष्ट्रपति को दी जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विनियोग (संख्या ३) विधेयक

राजस्व तथा व्यय मंत्री (श्री त्यागी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि १९५२-५३ वित्तीय वर्ष के व्यय के लिये भारत की संचित निधि में से आगे कुछ राशियों का भुगतान तथा विनियोग करने का अधिकार देने वाले एक विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री त्यागी : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं और प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक पर विचार किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि विधेयक पर विचार किया जाये।

डा० लंका सुन्दरम् (विशाखापटनम्) : मैं ने आज प्रातः विनियोग विधेयक पर चर्चा करने की आवश्यकता तथा महत्व के बारे में एक प्रश्न उठाया था। आप मुझ से पूछेंगे कि अनुदानों की मांगों को निपटाने के बाद क्या कोई महत्वपूर्ण विषय रह गये हैं। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि खाद्य तथा कृषि मंत्रालय की मांग संख्या ४९ और ११८ पर जिन की राशि ५ करोड़ और ९२ लाख रुपये है, चर्चा नहीं हुई। मैं आशा करता हूं कि आप इन पर और एक दो अन्य प्रश्नों पर चर्चा करने के लिये उपयुक्त समय निश्चित करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, तो वे अभी बोल सकते हैं।

श्री त्यागी : क्या आप इसके लिए प्रवर समिति का सुझाव देते हैं ?

डा० लंका सुन्दरम् : जी नहीं, श्रीमान्।

श्री त्यागी : तो क्या आप चाहते हैं कि इसे छपवाया जाय और परिचालित किया जाये। परिचालन का अर्थ यह है कि इसे

[श्री त्यागी]

समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाये और लोगों की राय मांगी जाये।

डा० लंका सुन्दरम् : परिचालन से मेरा अभिप्राय यह था कि इसे संसद् के सदस्यों में परिचालित किया जाये, ताकि इस पर चर्चा की जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में माननीय सदस्यों के पास विनियोग विधेयक की प्रतियां होंगी।

बहुत से माननीय सदस्य : जी नहीं, श्रीमान्।

श्री त्यागी : मेरा निवेदन है कि विधेयकों की प्रतियां माननीय सदस्यों को दी जाती हैं, या जैसा कि मेरे माननीय मित्र ने कहा है, उनमें परिचालित की जाती हैं। यदि माननीय सदस्यों ने उनका अध्ययन करना हो, तो सूचना दी जाती है और यदि उनके कोई नये सुझाव हों, तो वे संशोधन प्रस्तुत करते हैं। परन्तु विनियोग विधेयक में कोई नई चीज़ नहीं है। जो कुछ भी इसमें है उस पर चर्चा हो चुकी है और उसे स्वीकार किया जा चुका है। अतः इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस विधेयक का विषय केवल यही है, प्रथा यह है कि इसे पुरःस्थापित करने से पहले सदस्यों को नहीं भेजा जाता। पुरःस्थापित होने के तुरन्त बाद इस पर विचार आरम्भ कर दिया जाता है। यह केवल प्रविधिक मामला है।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : किन्तु हम ऐसा नहीं समझते।

उपाध्यक्ष महोदय : हमें इस बात पर अधिक वादविवाद नहीं करना चाहिए। मैं चर्चा करने की अनुमति देता हूं। जो भी सदस्य बोलना चाहें, बोल सकते हैं। इस विधेयक में केवल दो खंड हैं। माननीय सदस्य लाबी से प्रतियां ले सकते हैं। इस विधेयक में केवल वही मांगें हैं जिन्हें स्वीकार किया जा चुका है। यदि माननीय सदस्य कोई नई बात करना चाहते हैं और यह बातें अनुपूरक मांगों के सम्बन्ध में ही होनी चाहिएं, तो मैं उन्हें बोलने की आज्ञा देता हूं। जब तक कि इस विधेयक को निपटा नहीं दिया जाता, हम कुछ देर तक और बैठ जाते हैं। इसे आज अवश्य पारित करना है।

श्री नम्बियार (मयूरम्) : श्रीमान्, अब मैं बोलता हूं। मांग संख्या २३ के सम्बन्ध में मैंने एक कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहा था, जिसमें कहा गया था कि उन लोगों को जो एक विशेष प्रयोजन के लिए चीन जाना चाहते थे, पारपत्र नहीं दिये गये थे। किन्तु सांस्कृतिक प्रतिनिधि मंडल की.....

उपाध्यक्ष महोदय : यह सब असंगत है। किन्हीं व्यक्तियों को पार-पत्र दिये जाने या न दिये जाने का प्रश्न यहां उत्पन्न नहीं होता। यह केवल प्रतिनिधिमंडल के बारे में है। आप यह कह सकते हैं कि प्रतिनिधिमंडल को अधिक प्रभावोत्पादक होना चाहिए था या इसके सदस्यों को अधिक सावधानी से चुनना चाहिए था। आप इस बात की चर्चा नहीं कर सकते कि उन्होंने किसी व्यक्ति विशेष को क्यों नहीं चुना।

कुमारी ऐनी मस्करीन (त्रिवेन्द्रम) : मैं इस विधेयक का विरोध करती हूं क्योंकि यह सरकार देश का प्रशासन चलाने के बिल्कुल अक्षम है।

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा।

डा० लंका सुन्दरम् : मैं पहले मांग संख्या ४९ और ११८ की ओर निर्देश कर चुका हूं। इनकी कुल राशि ५ करोड़ और ९२ लाख रुपये है। म आशा करता हूं कि माननीय मंत्री यह स्पष्ट करेंगे कि ६ मासों

के अन्दर अन्दर लगभग ६ करोड़ रुपये की इस अतिरिक्त राशि की कैसे आवश्यकता पड़ी थी ?

श्री त्यागी : मैं नहीं समझ सकता कि इन राशियों के सदन द्वारा स्वीकृत किये जाने के बाद यह प्रश्न कैसे उत्पन्न होता है। दूसरे पक्ष से मैं केवल यह आशा करता था कि वे यह बतलायेंगे कि व्यय में क्या क्या और कैसे अग्रेतर कमी की जा सकती है या बचत कैसे की जा सकती है। यदि कोई रचनात्मक सुझाव दिये जा सकते हैं, तो इस समय चर्चा करने का कुछ लाभ भी होगा। परन्तु उन अनुदानों की आलोचना करना जिन्हें सदन स्वीकार कर चुका है, उचित नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ शर्तों के साथ विनियोग विधेयक पर चर्चा की जा सकती है। इसलिए विनियोग विधेयक के सम्बन्ध में जब भी पुरःस्थापन और विचार के प्रस्ताव एक ही दिन प्रस्तुत किये जायें, तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि पुरःस्थापन से पूर्व ही माननीय सदस्यों को विधेयक की प्रतियां दी जायें ।

श्री त्यागी : मैं आपका निर्णय स्वीकार करता हूं, किन्तु ऐसा करना मेरे लिए बहुत कठिन होगा, क्योंकि.....

उपाध्यक्ष महोदय : आप क्यों चिन्ता करते हैं ?

यह तो सचिवालय का काम है

श्री त्यागी : जी नहीं, श्रीमान् । इसमें जो कठिनाई है, वह मैं स्पष्ट करता हूं। मैं सदन का रुख या रवैया पहले नहीं जान सकता, क्योंकि यह संभव है कि सदन अनुपूरक या आय-व्ययक की मांगों में संशोधन करना चाहता हो। मैं तो यह विधेयक तभी प्रस्तुत कर सकता हूं जबकि मांगें सदन द्वारा स्वीकार की जा चुकी हों, क्योंकि मैं केवल इतनी राशि ही मांग सकता हूं जितनी कि सदन ने स्वीकार की हो। मैं पहले से कोई विधेयक नहीं दे सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १ से ३ को विधेयक का अंग बना लिया गया।

अनुसूची को विधेयक का अंग बना लिया गया।

नाम तथा अधिनियम सूत्र को विधेयक का अंग बना लिया गया।

श्री त्यागी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इसके पश्चात् सदन की बैठक शनिवार, १३ दिसम्बर, १९५२ के पौने ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हो गई।

GIPD—HS—146 PSD -25-7-53 285